




राजस्थान सरकार

परिवर्तित बजट 2024-2025



श्रीमती दिया कुमारी

उप मुख्यमंत्री (वित्त), राजस्थान
का

बजट भाषण

10 जुलाई 2024

आषाढ़ शुक्ल ४, विक्रम संवत् २०८१

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से मैं, वर्ष 2024–25 के परिवर्तित आय–व्ययक अनुमान प्रस्तुत कर रही हूँ।

2. प्रदेश की जनता ने जिस विश्वास व स्नेह के साथ हमें, जनकल्याण तथा सुशासन की अवधारणा को लागू कर राजस्थान को देश के अग्रणी विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने का अवसर दिया है, उसी भावना से प्रेरित होकर हमने 8 फरवरी, 2024 को माननीय सदन में लेखानुदान प्रस्तुत करते समय ही गत सरकार द्वारा विरासत में दी गई गलत नीतियों एवं कमजोर वित्तीय स्थिति की चुनौतियों को स्वीकार कर अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, आधारभूत संरचना के विकास, नीति निर्धारण की पहल तथा सबसे महत्वपूर्ण आमजन को राहत देने की दिशा निर्धारित कर दी।

3. माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से लगातार तीसरी बार आमजन का विश्वास एवं साथ प्राप्त हुआ है, के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री, श्री भजन लाल जी की हमारी सरकार ने कार्यभार संभालते ही नीतिगत दस्तावेज—संकल्प पत्र के माध्यम से जनता से किये गये वायदों को धरातल पर लाने का कार्य शुरू कर दिया है। इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं—

I. इस वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से ही लोकसभा चुनावों की आचार संहिता लागू होने के बाद भी हमारे द्वारा अत्य अवधि में ही 53 (तिरेपन) प्रतिशत से अधिक बजट घोषणाओं तथा संकल्प पत्र के 45 (पैंतालीस) बिन्दुओं पर कार्यवाही पूरी की जा चुकी है।

- II. गरीब परिवार की महिलाओं को 450 रुपये में LPG Cylinder, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 8 हजार रुपये किये जाने के साथ—साथ गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर 125 रुपये प्रति किंवटल का अतिरिक्त बोनस दिया गया है।
- III. पेयजल व सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराने के लिए Eastern Rajasthan Canal Project (ERCP) परियोजना के प्रथम चरण के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर कार्य आदेश जारी कर दिये गये हैं।
- IV. माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, हमने पिछली सरकार के कार्यकाल में घटित युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली पेपर—लीक जैसी घटनाओं की ना केवल रोकथाम की, बल्कि ऐसी घटनाओं में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध ठोस कार्रवाई करते हुए 100 से अधिक गिरफ्तारियां भी की हैं।
4. हम आगे भी प्रदेश को निरन्तर विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए कार्य करते रहेंगे तथा मुझे पूरा विश्वास है कि इस कार्य में हमें सभी का साथ मिलेगा। मैं, आज माननीय सदस्यों को देश के प्रसिद्ध रचनाकार निदा फाजली जी की वो पंक्तियाँ याद दिलाना चाहूँगी जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोकसभा में उद्घरित की थीं—
- “सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो ।
सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो ॥
किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं,
तुम अपने आप को खुद ही बदल सको, तो चलो ॥”

हमने इस परिवर्तित बजट में अमृत कालखण्ड—‘विकसित राजस्थान @ 2047’ (दो हजार सैंतालीस) के अन्तर्गत 5 वर्षों की कार्ययोजना बनाकर ‘सर्वजन हिताय’ आधारित समावेशी विकास का लक्ष्य रखा है। इस कार्ययोजना के अन्तर्गत भविष्य के लिए हमारे दस संकल्प हैं—

1. **\$ 350 billion Economy—**
प्रदेश को \$ 350 billion Economy बनाना
2. **Infrastructure Development—**
बुनियादी सुविधाओं—पानी, बिजली व सड़क का विकास
3. **Quality of Life—Civic Amenities—**
सुनियोजित विकास के साथ शहरी, ग्रामीण व क्षेत्रीय विकास
4. **Agriculture Growth and Farmers Welfare—**
सम्मान सहित किसान परिवारों का आर्थिक सशक्तीकरण
5. **Industrial Development and Investment Promotion—**
बड़े उद्योगों के साथ—साथ MSME को प्रोत्साहन
6. **Tourism, Art and Culture Promotion—**
'विरासत भी और विकास भी' की सोच के साथ धरोहर संरक्षण
7. **Sustainable Development and Green-Growth—**
सतत विकास के साथ हरित राजस्थान एवं पर्यावरण संरक्षण
8. **Human Resource Development and Health for All—**
मानव संसाधन विकास एवं सबके लिए स्वास्थ्य
9. **Social Security—**
गरीब एवं वंचित परिवारों के लिए गरिमामयी जीवन
10. **Good Governance—**
'Perform, Reform and Transform' के साथ सुशासन

आधारभूत संरचना (Infrastructure) :

पेयजल :

5. यह सर्वविदित है कि हमारा प्रदेश Water Deficient है। इसलिए जल की महत्ता को प्रदेशवासियों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। हर घर जल पहुँचाने की केन्द्र प्रायोजित महत्वाकांक्षी योजना—‘जल जीवन मिशन’ हमारे प्रदेश के लिए वरदान साबित हो सकती है, किन्तु पूर्व सरकार की उदासीनता व ढिलाई के चलते इस योजना में हमारा प्रदेश अत्यन्त पिछड़ गया। अब हमने इस मिशन को गति देते हुए पारदर्शिता के साथ कार्य प्रारम्भ कर इस वर्ष 15 हजार करोड़ रुपये व्यय कर 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुँचाने का लक्ष्य रखा है।

6. इसी क्रम में अब मैं, जल जीवन मिशन के तहत 5 हजार 846 (पांच हजार आठ सौ छियालीस) अतिरिक्त गांवों को सतही जल (Surface Water) के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए लगभग 20 हजार 370 करोड़ (बीस हजार तीन सौ सत्तर करोड़) रुपये की लागत से 6 वृहद पेयजल परियोजनाओं का कार्य हाथ में लिए जाने की घोषणा करती हूँ। ये पेयजल परियोजनायें हैं—

क्र.सं.	सतही स्रोत आधारित पेयजल परियोजना	लागत
1.	चम्बल नदी आधारित वृहद पेयजल परियोजना—करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी	2 हजार 944 करोड़ रुपये
2.	चम्बल नदी आधारित वृहद पेयजल परियोजना—अलवर, भरतपुर, कोटपूतली—बहरोड़, खैरथल—तिजारा	5 हजार 374 करोड़ रुपये
3.	चम्बल नदी आधारित कालीतीर जलप्रदाय परियोजना—धौलपुर, भरतपुर	710 करोड़ रुपये

4.	जाखम बांध आधारित वृहद पेयजल परियोजना—चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद व उदयपुर	3 हजार 530 करोड़ रुपये
5.	इंदिरा गांधी नहर आधारित वृहद पेयजल परियोजना—सीकर, झुंझुनूं व नीमकाथाना	7 हजार 582 करोड़ रुपये
6.	इंदिरा गांधी नहर आधारित वृहद पेयजल परियोजना—देचू व लोहावट (फलौदी)	230 करोड़ रुपये

7. ग्रामीण क्षेत्रों के अनुरूप ही शहरी क्षेत्रों में भी पेयजल उपलब्ध कराने के लिए अमृत 2.0 योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित विभिन्न योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन पिछली सरकार द्वारा नहीं किया गया। अमृत 2.0 योजना के अन्तर्गत—

- I. अब मैं, प्रदेश के 183 (एक सौ तिरासी) शहरों/कस्बों में पेयजल व्यवस्था में सुधार हेतु लगभग 5 हजार 180 करोड़ (पाँच हजार एक सौ अस्सी करोड़) रुपये के कार्य 2 वर्षों में करवाये जाने की घोषणा करती हूँ।
- II. प्रदेश में विभिन्न 32 शहरी जल स्रोत जीर्णोद्धार के कार्य 127 करोड़ (एक सौ सत्ताइस करोड़) रुपये की लागत से करवाये जाना प्रस्तावित है।
- III. अजमेर शहर की पेयजल आवश्यकता की पूर्ति के लिए Service Reservoir निर्माण तथा नसीराबाद से नौसरघाटी/कोटड़ा क्षेत्र तक Pipeline का कार्य किया जाना प्रस्तावित है।
- IV. टोडारायसिंह—केकड़ी, देवली, मालपुरा व अलीगढ़—टॉक हेतु शहरी पेयजल योजनाओं में 50 करोड़ (पचास करोड़) रुपये से अधिक की लागत से उच्च जलाशय, पाइप लाइन आदि के कार्य करवाये जायेंगे।

8. प्रदेश के विभिन्न शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व पाइप लाइन सम्बन्धी कार्य करवाये जायेंगे। ये कार्य हैं—

क्र.सं.	पेयजल योजना/कार्य	लागत
1.	खाजूवाला—बीकानेर में पेयजल योजना पुनर्गठन शहरी जल प्रदाय योजना	25 करोड़ रुपये
2.	किशनगढ़ बास व 21 गांवों में पेयजल हेतु परियोजना (खैरथल तिजारा)	77 करोड़ 53 लाख रुपये
3.	सीलीसेड क्षेत्र के ट्यूबवैल व पाइप लाइन के माध्यम से अलवर शहर को पेयजल (अलवर)	23 करोड़ 26 लाख रुपये
4.	रानी, बाली, फालना शहरों व 50 गांवों हेतु पेयजल (पाली)	18 करोड़ 90 लाख रुपये
5.	सुमेरपुर के ढोला तालाब से जुड़े 20 गांवों हेतु पेयजल (पाली)	7 करोड़ 90 लाख रुपये
6.	भवानीमण्डी—झालावाड़ में पेयजल हेतु राजगढ़ पेयजल योजना से जोड़ने का कार्य	22 करोड़ 91 लाख रुपये
7.	पाली, सोजत, जैतारण शहरों तथा 245 ग्रामों हेतु पेयजल (पाली, ब्यावर)	23 करोड़ 47 लाख रुपये
8.	थड़ोली से केकड़ी के मध्य भांसू गांव के समीप पाइप लाइन का कार्य (केकड़ी)	24 करोड़ 81 लाख रुपये
9.	गोयला से नसीराबाद के मध्य पाइप लाइन का कार्य (अजमेर)	34 करोड़ 95 लाख रुपये
10.	थड़ोली, केकड़ी, गोयला एवं नसीराबाद पम्प हाउस को डबल फीडर से जोड़कर बस ट्रांसफर सिस्टम लगाने का कार्य (अजमेर व केकड़ी)	5 करोड़ 60 लाख रुपये
11.	जल योजना पूगल (खाजूवाला)—बीकानेर को धोधा नहरी उपशाखा से जोड़ने एवं पुनर्गठन कार्य	4 करोड़ 50 लाख रुपये

12.	शहरी जल योजना श्रीमाधोपुर के पुनर्गठन का कार्य (नीमकाथाना)	8 करोड़ रुपये
13.	उदयपुर शहर में पेयजल पाइप लाइन के कार्य (उदयपुर)	15 करोड़ रुपये

9. प्रदेश में स्थानीय स्तर पर पेयजल हेतु आवश्यकतानुसार विधानसभा क्षेत्रों में 2 वर्षों में 20–20 Handpumps तथा 10–10 Tubewells का निर्माण करवाये जाने की मैं, घोषणा करती हूँ।

10. जल की महत्ता को देखते हुए यह अति आवश्यक है कि इसकी एक बूँद भी व्यर्थ न जाये। इस दृष्टि से नगरीय एवं औद्योगिक क्षेत्रों में Hybrid Annuity Model (HAM) पर CETPs एवं STPs का निर्माण एवं संचालन कराया जाकर जल को विभिन्न उपयोगों के लिए Recycle किया जाना प्रस्तावित है।

ऊर्जा :

11. गत सरकार की गलत नीतियों तथा कुप्रबन्धन के कारण प्रदेश पर आये बिजली संकट से उबारने के लिए भी हमारी सरकार ने आवश्यक कदम उठाने प्रारम्भ कर दिये हैं। साथ ही, 'विकसित राजस्थान @ 2047' (दो हजार सेंतालीस) के सपने को साकार करने की दृष्टि से आगामी 10 वर्षों में प्रदेश में विद्युत मांग में संभावित 6 प्रतिशत वृद्धि दर के लिए भी आवश्यक ऊर्जा उत्पादन की कार्ययोजना तैयार की गई है।

वर्ष 2031–32 तक परम्परागत स्रोतों से 20 हजार 500 मेगावाट (बीस हजार पांच सौ मेगावाट) क्षमता तथा अक्षय ऊर्जा के स्रोतों से 33 हजार 600 मेगावाट (तीन सौ हजार छह सौ मेगावाट) क्षमता (सोलर 22 हजार 200 मेगावाट, पवन 8 हजार 100 मेगावाट एवं हाइड्रो 3 हजार 300 मेगावाट) का उत्पादन सुनिश्चित करने हेतु कार्य प्रारम्भ किया गया है। इसके अन्तर्गत—

- I. माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी की पहल पर RVUNL एवं केन्द्रीय उपक्रमों यथा—NTPC, COAL India Limited, NLC India Limited के मध्य joint venture undertaking बनाकर 3 हजार 325 मेगावाट (तीन हजार तीन सौ पच्चीस मेगावाट) कोयला एवं लिंगनाईट आधारित परियोजनायें स्थापित करने हेतु MoU 10 मार्च, 2024 को किये गये हैं।
- II. वर्तमान में अनुबंधित 9 हजार मेगावाट सौर ऊर्जा के अतिरिक्त 13 हजार मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए Tariff based Tender प्रक्रिया से 8 हजार मेगावाट ऊर्जा उत्पादन के साथ ही ‘कुसुम योजना’ के तहत 5 हजार मेगावाट का कार्य प्रगतिरत है। माननीय सदस्यों को जानकर खुशी होगी कि कुसुम योजना के अन्तर्गत 3 हजार 500 मेगावाट (तीन हजार पाँच सौ मेगावाट) क्षमता की स्थापना के लिए LoI (Letters of Intent) जारी भी किये जा चुके हैं।
- III. इस प्रकार वर्ष 2031–32 तक की ऊर्जा की मांग की पूर्ति हेतु 2 लाख 25 हजार करोड़ रुपये की लागत के कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं।
- IV. साथ ही, हमारे द्वारा अक्षय ऊर्जा के उत्पादन को गति देने के लिए आवश्यक Land Policy को भी लागू किया जा चुका है। अब निजी क्षेत्र के माध्यम से renewable energy के उत्पादन को भी गति देते हुए 50 हजार मेगावाट से अधिक उत्पादन क्षमता स्थापित करने की दिशा में पूगल, छतरगढ़—बीकानेर एवं बोडाना—जैसलमेर में सोलर पार्क विकसित किये जाने का कार्य हाथ में लिया जायेगा।

- V. इसके अतिरिक्त, राज्य में ऊर्जा भंडारण क्षमता विकसित किये जाने हेतु नीति लायी जायेगी। इसके अन्तर्गत Pump Storage का भी समावेश किया जायेगा। इस क्रम में बारां, भरतपुर एवं अन्य जिलों में feasibility के आधार पर Pump Storage के माध्यम से भी ऊर्जा उत्पादन क्षमता सृजित की जायेगी।
12. माननीय प्रधानमंत्री जी के हर घर—हर खेत बिजली निर्बाध रूप से उपलब्ध कराने के संकल्प को साकार करने के लिए हमारी सरकार प्रदेश में विद्युत तंत्र को मजबूत करने एवं इसके विस्तार हेतु आवश्यक कदम उठाने जा रही है। ये सुधार कार्य हैं—
- A. **Energy Access Reforms—**
- I. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में 'आदर्श सौर ग्राम' बनाये जाना प्रस्तावित है। प्रत्येक ग्राम में 2 Mega Watt (MW) क्षमता तक के Decentralized Solar Power Plants की स्थापना की जायेगी। इसके लिए 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है।
- II. इसी के साथ, प्रदेश के सभी राजकीय कार्यालयों को भी समयबद्ध रूप से सौर ऊर्जा से जोड़ते हुए बिजली की बचत का मार्ग प्रशस्त किया जायेगा। इस हेतु HAM (Hybrid Annuity Model) पर Rajasthan Renewable Energy Corporation Limited (RRECL) के माध्यम से कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है।
- III. बिजली से वंचित रहे 2 लाख 8 हजार से अधिक घरों को आगामी 2 वर्षों में domestic connections प्रदान किये जायेंगे।

IV. 765 (सात सौ पैंसठ) केवी के छः, 400 केवी के सात, 220 केवी के पन्द्रह व 132 केवी के 40 GSS व सम्बन्धित लाइनों का चरणबद्ध रूप से विस्तार व निर्माण किया जायेगा। प्रथम चरण में करवाये जाने वाले कार्य हैं—

क्र.सं.	जीएसएस/ कार्य का नाम
1.	400 केवी जीएसएस निर्माण कार्य— केंचिया —श्रीगंगानगर
2.	220 केवी जीएसएस निर्माण कार्य— जावली (कठूमर)—अलवर; बजाखरा (सागवाड़िया)—बांसवाड़ा; बयाना—भरतपुर; नौखड़ा (कोलायत)—बीकानेर; बेंगू—चित्तौड़गढ़; भांवता (बांदीकुई), उदयपुरा (सिकराय)—दौसा; सागवाड़ा—झूंगरपुर; जैतारण—ब्यावर; छोटी सादड़ी—प्रतापगढ़; देवगढ़—राजसमंद एवं सलूम्बर 220 केवी जीएसएस में क्रमोन्नयन—सुमेरपुर—पाली
3.	132 केवी जीएसएस निर्माण कार्य— भीलवाड़ा; देवाता (जवाजा)—ब्यावर; रेलावन व सेमली फाटक (किशनगंज)—बारां; सेला (सिवाना), पचपदरा, बोरावास (पचपदरा) —बालोतरा; बाछड़ाऊ (चौहटन)—बाड़मेर; गुसाईसर बड़ा एवं तुकरियासर (झूंगरगढ़), केहरली (कोलायत), महाजन (लूणकरणसर), दंतोर (खाजूवाला)—बीकानेर; साहवा, सातडा—चूरू; भांवता—डीडवाना कुचामन; धौला (जमवारामगढ़)—जयपुर; फलसूण्ड (पोकरण), डांगरी —जैसलमेर; फीच, पाल (लूणी), मांडियाई खुर्द (ओसियां)—जोधपुर; सुनेल, रायपुर—झालावाड़; कुडगांव (सपोटरा)—करौली; ईडवा (डेगाना), इन्दावड (मेड़ता), नोखा चांदावता—नागौर; साण्डेराव (सुमेरपुर) —पाली; सुहागपुरा, बम्बोरी (छोटी सादड़ी)—प्रतापगढ़; केलवाडा (कुम्भलगढ़)—राजसमंद; शिवाड़ (खण्डार)—सवाई माधोपुर;

	करडा (रानीवाड़ा)–सांचौर, खाट लबाना (सादुलशहर)–श्रीगंगानगर एवं कोटड़ा (झाडोल)–उदयपुर
4.	33/11 केवी जीएसएस निर्माण कार्य– चाचियावास (पुष्कर)–अजमेर; देवंदी–बाड़मेर; सहजनपुर (छबड़ा)–बारां; नाथडियास (रायपुर), बीएसपी नगर–भीलवाड़ा; मोटानिया जोहड़ा व तारानगर–चूरूल; बस्सी (भैसरोडगढ़)–चित्तौड़गढ़; पादरड़ी बड़ी (सागवाड़ा)–झूंगरपुर; पांचवा, डीडवाना शहर–डीडवाना कुचामन; बांदीकुई, दौसा शहर, सालिमपुर, लोटवाड़ा (महवा)–दौसा; निदोला (शाहपुरा)–जयपुर; मुकनसर (पोकरण)–जैसलमेर; रोडकला–करौली; अर्जुनपुरा (लाडपुरा) व नॉर्दन बाईपास के पास–कोटा; निम्बोला बिश्वा (डेगाना), सोनेली, खियाला (जायल), मूंदियाड (खींवसर)–नागौर; गुढ़ा (जहाजपुर)–शाहपुरा; रामपुरा (खण्डेला)–सीकर सहित 33/11 केवी के 240 जीएसएस का निर्माण। लगभग 3 हजार 500 करोड़ (तीन हजार पाँच सौ करोड़) रुपये व्यय।

B. Energy Leakage Prevention Reforms–

- I. Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS) के अंतर्गत विद्युत छीजत (leakage) को रोकने तथा आमजन की सुविधा के दृष्टिगत समस्त विद्युत उपभोक्ताओं के चरणबद्ध रूप से smart meters लगाये जाने प्रस्तावित हैं। इस वर्ष 25 लाख से अधिक **smart meters** लगाये जायेंगे।

सङ्केत :

13. देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी का मानना है कि infrastructure न केवल लोगों के जीवन को आसान बनाता है, बल्कि समाज को भी सशक्त करता है। उन्होंने इसी दृष्टि से कहा है—

"We must invest in resilient infrastructure today for a better tomorrow."

अर्थात्—“बेहतर कल के लिए हमें आज सुदृढ़ आधारभूत ढांचे में निवेश करना चाहिए।”

हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी के नेतृत्व में इसी भावना से हर परिवार को गुणवत्तापूर्ण पानी व बिजली उपलब्ध कराने के साथ ही सड़क, नगरीय विकास तथा औद्योगिक आधारभूत संरचना के कार्य प्राथमिकता से हाथ में लिए हैं। मैं सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगी कि प्रदेश के समग्र विकास को गति देने के लिए प्रति विधानसभा क्षेत्र 5 करोड़ रुपये की सड़कों व 3 करोड़ रुपये के अन्य आधारभूत संरचना के कार्यों की स्वीकृतियाँ भी जारी की जा चुकी हैं।

14. प्रदेश में, 5 वर्षों (हमारे इस सरकार के कार्यकाल में) में 53 (तिरेपन) हजार किलोमीटर लम्बाई का सड़क नेटवर्क लगभग 60 हजार करोड़ रुपये व्यय कर विकसित करने की मैं, घोषणा करती हूँ। इसी क्रम में, चरणबद्ध रूप से State Highways, सड़कों के साथ बाईपास सड़कों, Flyovers, Elevated Roads, ROBs व RUBs, High Level Bridges आदि के निर्माण तथा repair व उन्नयन के कार्य लगभग 9 हजार करोड़ रुपये की लागत से करवाये जाने प्रस्तावित हैं। ये कार्य हैं—

I. State Highways व अन्य सड़क निर्माण कार्य—

क्र.सं.	State Highways/सड़कें	लागत
1.	माल बामोरी—मांगरोल—बारां (SH-01) (41.20 किमी.)	174 करोड़ रुपये
2.	दूदू—सांभर—भाटीपुरा (SH-02) (40.40 किमी.)	127 करोड़ रुपये
3.	गोटन—साथिन (पीपाड़) (SH-86B) (30.50 किमी.)	85 करोड़ रुपये
4.	बूंदी—सिलोर—नमाना—गरड़ा—भोपतपुरा (SH-29B) (44 किमी.)	184 करोड़ रुपये

5.	जिला सीमा अजमेर से भदून—जाखोलाई—उजोली—भैरवाई—उमामाल की ढाणी जिला सीमा नागौर तक (SH-135) (17 किमी.) (रूपनगढ़)—अजमेर	25 करोड़ रुपये
6.	बिजयनगर—नगर—बड़ली—माताजी का खेड़ा व देवलियाकलां सड़क (MDR-9) (18.20 किमी.) (बिजयनगर, भिनाय)—केकड़ी	20 करोड़ रुपये
7.	रसीली—मौजमाबाद—झाग—राताखेड़ा—रामपुरा ऊँटी—बगरु सड़क (MDR-21) (40 किमी.) (मौजमाबाद, सांगानेर)—जयपुर/दूर्दू	90 करोड़ रुपये
8.	भनोखर—कांटवाड़ी—गढ़ी—सवाईराम—रामसिंहपुरा—परबैणी सड़क (MDR-325) (20 किमी.) (रैणी, लक्ष्मणगढ़, करूमर)—अलवर	20 करोड़ रुपये
9.	कासोरिया—कांवलियास—डाबला—खामौर—बल्दरखा सड़क (MDR-367) (18.70 किमी.) (हुरडा, बनेडा, शाहपुरा)—भीलवाड़ा, शाहपुरा	28 करोड़ 5 लाख रुपये
10.	मोरड़ी—ईसरवाला—मसोटिया—तलवाड़ा—गोपीनाथ का गढ़ा सड़क (MDR-208) (21 किमी.) (घाटोल, गढ़ी)—बांसवाड़ा	32 करोड़ रुपये
11.	लूणकरणसर—ढाणी भोपालाराम—सहजरासर सड़क (MDR-298) (16 किमी.) (लूणकरणसर)—बीकानेर	24 करोड़ रुपये
12.	भादरा शहर—राजपुरा बास—डुंगराना—बोझला—मलसीसर सड़क (MDR-31) (13 किमी.) (भादरा)—हनुमानगढ़	20 करोड़ 18 लाख रुपये
13.	नेवरिया—सिंहाना—ऊँचा—मुरोली सड़क (MDR-370) (30.50 किमी.) (राश्मी)—चित्तौड़गढ़	50 करोड़ रुपये
14.	बाबरिया खेड़ा—हिण्डोली—राश्मी—सांखली—पहुना सड़क (MDR-96) (39.40 किमी.) (कपासन, राश्मी) —चित्तौड़गढ़	60 करोड़ रुपये
15.	खेरली—कोटपुरा—मिश्रियापुरा—मांगरौल—बिचौला सड़क (MDR-292) (12 किमी.) (राजाखेड़ा, मनियां) —धौलपुर	16 करोड़ 67 लाख रुपये
16.	सिकन्दरा—गीजगढ़—धूमना—रामगढ़—गैरोटा सड़क (SH-25) (15.50 किमी.) (सिकराय) —दौसा	15 करोड़ रुपये
17.	बरना—गांगा—निम्बा—बीदा—सम सड़क (MDR-36) (29 किमी.) (सम) —जैसलमेर	15 करोड़ रुपये

18.	कालाडेरा—प्रतापपुरा—जालसू—जाहोता—जयरामपुरा सड़क (SH-19) (25 किमी.) (जालसू) —जयपुर	40 करोड़ रुपये
19.	झुंझुनूं—रिजाणी—चुड़ैला—बिरमी—बिसाऊ सड़क (SH-37) (39 किमी.) (झुंझुनूं, मलसीसर, बिसाऊ) —झुंझुनूं	39 करोड़ 22 लाख रुपये
20.	राजोता—डाडा फतेहपुरा—मेहाड़ा—बसई सड़क (SH-82) (21 किमी.) (खेतड़ी) —नीमकाथाना	33 करोड़ 50 लाख रुपये
21.	डांगियावास—गुड़ा—उचियारडा—खातियासनी सड़क (SH-68) (23 किमी.) (जोधपुर, लूणी) —जोधपुर	31 करोड़ 21 लाख रुपये
22.	सांचौर—सिद्धेश्वर—पालड़ी सोककियान—आमली—काछेला—बगसड़ी सड़क (MDR-17) (13.50 किमी.) (सांचौर, चितलवाना) —सांचौर	18 करोड़ 50 लाख रुपये
23.	कालीसिंध—ढीपरी—बिनायका—इटावा—तालाब—खातौली सड़क (SH-70) (13.50 किमी.) (पीपल्दा) —कोटा	15 करोड़ रुपये
24.	फरड़ौद—मातासुख—कसनाउ—अड़वड़—कुचेरा सड़क (SH-92A) (25 किमी.) (जायल) —नागौर	27 करोड़ 50 लाख रुपये
25.	जायल—राजोद—छापड़ा—कमेड़िया—आकोड़ा सड़क (SH-140) (58 किमी.) (जायल) —नागौर	63 करोड़ 80 लाख रुपये
26.	फालना गांव—खिमेल सड़क (MDR-120) (10.50 किमी.) (बाली)—पाली	18 करोड़ 50 लाख रुपये
27.	रियां बड़ी—जडाऊकलां—जडाऊ खुर्द—चावंडिया कलां—चावंडिया खुर्द सड़क (MDR-243) (14 किमी.) (रियां बड़ी) —नागौर	19 करोड़ 60 लाख रुपये
28.	जीणमाताजी—रलावता—रुपगढ़—सुलियावास—दांतारामगढ़ सड़क (MDR-139) (18.50 किमी.) (दांतारामगढ़)—सीकर	21 करोड़ 40 लाख रुपये
29.	पचार—रामजीपुरा—खुचारियावास—बाय—खाटूश्यामजी (20 किमी.) (दांतारामगढ़)—सीकर	30 करोड़ रुपये
30.	दौलतपुरा—बहरावण्डा खुर्द—सेवती खुर्द—हरिपुरा सड़क (MDR-051) तक (5.50 किमी.) (खण्डार)—सवाई माधोपुर	11 करोड़ रुपये
31.	संवारिया—झाड़ली—देवल—लम्याजुनादार—लाम्बाहरिसिंह सड़क (MDR-308) (13.57 किमी.) (मालपुरा)—टोंक	25 करोड़ रुपये

32.	गोगुन्दा—गणेशजी का गुड़ा—मोड़ी—छिपाला—मारुवास—तुला सड़क (MDR-36B) (14.50 किमी.) (गोगुन्दा, बड़गांव)—उदयपुर	18 करोड़ 75 लाख रुपये
33.	सेमला—सुनेल—हेमड़ा—डोला सड़क (SH-19D) (36 किमी.) (सुनेल, पिड़ावा)—झालावाड़	21 करोड़ 60 लाख रुपये
34.	आवर—कोटड़ी—रूपाखेड़ी—हड़मतिया सड़क (MDR-221) (19 किमी.) (पिड़ावा) —झालावाड़	43 करोड़ 13 लाख रुपये
35.	महापुरा से खटवाड़ा तक सड़क (3.50 किमी.)—जयपुर	5 करोड़ 34 लाख रुपये
36.	बधाल—ईटावा (किशनगढ़—रेनवाल) से (NH-52) गोविन्दगढ़ तक (21.90 किमी.)—जयपुर	95 करोड़ रुपये
37.	SH-25 से केशरपुर बल्लाणा—जाटोली—इम्टीपुरा—बालेटा—पूनखर—मीन भगवान मंदिर—राजगढ़ बाईपास ROB तक सड़क चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण (36 किमी.)—अलवर	35 करोड़ रुपये
38.	अजमेर शहर की विभिन्न सड़कों के निर्माण कार्य	20 करोड़ रुपये
39.	जस्साखेड़ा से दूधालेश्वर सड़क के चौड़ाईकरण (15 कि.मी.)—ब्यावर	15 करोड़ रुपये
40.	केकड़ी—सरवाड—नसीराबाद—सावर—देवली सड़क के उन्नयन का कार्य—केकड़ी, अजमेर	15 करोड़ रुपये
41.	केकड़ी—रामथला—नेगडिया देवली सड़क के उन्नयन का कार्य—केकड़ी, अजमेर	10 करोड़ रुपये
42.	मालपुरा—रिण्डल्या—मान्दोलाई खेजड़ी का बास देवगांव बघेरा—हिसामपुर नासीरदा देवली तक सड़क चौड़ाईकरण—केकड़ी, अजमेर	20 करोड़ रुपये
43.	नसीराबाद से मांगलियावास ब्यावर रोड सड़क के उन्नयन का कार्य (20 किमी.) (नसीराबाद)—अजमेर	20 करोड़ रुपये
44.	एन.एच.48 मकरेडा डोडियाना दांतडा कालेसरा तक सड़क का नवीनीकरण एवं चौड़ाईकरण (14 किमी.) (नसीराबाद)—अजमेर	10 करोड़ रुपये
45.	कराणा से बिलाली स्टैण्ड (एम.डी.आर—228) वाया बड़गांव बिलाली तक (8.5 किमी.) (बानसूर)—कोटपूतली बहरोड़	8 करोड़ 50 लाख रुपये

46.	हाजीपुर से हरसौरा वाया गुवाड़ा, चूला, बावली का बास तक (13 किमी.) (बानसूर)–कोटपूतली बहरोड़	9 करोड़ 10 लाख रुपये
47.	सुन्दनी से कोहाला घाटी तक दो लेन (माँ त्रिपुरा सुन्दरी शक्ति पीठ पहुँचने के लिए) (12 किमी.) (गढ़ी)–बांसवाड़ा	15 करोड़ रुपये
48.	सरेडी मोड से राठडिया आसोडा वाया आडा रोड तक सम्पर्क सड़क का विकास कार्य (15.50 किमी.) (गढ़ी)–बांसवाड़ा	20 करोड़ रुपये
49.	सीसवाली भैरुपुरा चौराहे से सीसवाली खाड़ी तक सड़क के उन्नयन का कार्य (1.5 किमी.) (अन्ता)–बारां	2 करोड़ रुपये
50.	मज से लालकोठी (मध्य प्रदेश सीमा) वाया रेनगढ़ रिझिया जारेला सड़क का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य (13.1 किमी.) (अन्ता)–बारां	15 करोड़ रुपये
51.	हनोतिया गांव में नदी पर पुलिया निर्माण कार्य (बारां–अटरू)–बारां	8 करोड़ 50 लाख रुपये
52.	सहजनपुर में अंधेरी नदी स्थित बालाजीघटा पर पुलिया निर्माण (छबड़ा)–बारां	8 करोड़ रुपये
53.	छिपाबड़ौद से गूगोर वाया छबड़ा (MDR-264) (23.20 किमी.) (छबड़ा)–बारां	25 करोड़ रुपये
54.	बाड़मेर में विभिन्न सड़क निर्माण कार्य (25 किमी.) (बाड़मेर)–बाड़मेर	10 करोड़ रुपये
55.	देवड़ा–फूलन राखी सड़क सुदृढ़ीकरण कार्य (9.4 कि.मी.) (सिवाना)–बालोतरा	8 करोड़ रुपये
56.	खारा फांटा–सिणधरी – मिठोडा–सिवाना–देवन्दी –मोकलसर नेशनल हाईवे–325 तक सड़क कार्य (51 कि.मी.) (सिवाना)–बालोतरा	30 करोड़ रुपये
57.	भरतपुर सर्किल–बयाना बाईपास बिदयां (SH-01) से बरहबद (SH-45) (4.5 किमी.) (बयाना)–भरतपुर	7 करोड़ रुपये
58.	डीग में बाईपास निर्माण (16 किमी.)–डीग	100 करोड़ रुपये
59.	पहाड़ी से जुरहडा तक सड़क निर्माण (10 किमी.) (कामा)–डीग	10 करोड़ रुपये

60.	डीग नगर रोड से बेड़म, अढ़ावली, नगला भजना, हयातपुर, जटेरी बधाम तक सड़क निर्माण कार्य (13 किमी.) (नगर)–डीग	15 करोड़ रुपये
61.	नौ चौक से चांवडिया चौराहे तक हाईलेवल पुल का निर्माण अप्रोच मय डिवाईडर सड़क निर्माण कार्य (जहाजपुर)–शाहपुरा	15 करोड़ रुपये
62.	मांडल भीलवाड़ा हरिपुरा चौराहे से देवगढ़ जिला राजसमंद तक सड़क को फोरलेन निर्माण हेतु डीपीआर (62 किमी.) (माण्डल)–भीलवाड़ा	5 करोड़ रुपये
63.	धुंवाला से गम्भीरपुरा हेतु हुए लिरडिया से भादु तक सड़क उन्नयन (20 किमी.) (माण्डल)–भीलवाड़ा	20 करोड़ रुपये
64.	मेवासा से रघुनाथपुरा वाया भोजा पायरा सड़क 7 मीटर तक सड़क उन्नयन (10 किमी.) (माण्डल)–भीलवाड़ा	10 करोड़ रुपये
65.	बनास नदी बरडोद–देवली के बीच पुलिया निर्माण (सहाड़ा)–भीलवाड़ा	10 करोड़ रुपये
66.	भीलवाड़ा–देवगढ़ वाया पांसल, पिथास बागोर, बोराणा जगदीश सड़क चौड़ाईकरण (8 किमी.) (सहाड़ा)–भीलवाड़ा	8 करोड़ रुपये
67.	मिसिंग लिंक कालू रोड श्रीडूंगरगढ़ से पूनरासर वाया समन्दसर (22 किमी.) (डूंगरगढ़)–बीकानेर	7 करोड़ 70 लाख रुपये
68.	बीर बिंगा जी मन्दिर से तोलियासर मिसिंग लिंक सड़क (9.8 किमी.) (डूंगरगढ़)–बीकानेर	3 करोड़ 43 लाख रुपये
69.	682 आरडी पूगल से आड्हुरी होते हुए मकेरी सड़क की चौड़ाई बढ़ाने एवं नवीनीकरण का कार्य (29 किमी.) (खाजूवाला)–बीकानेर	23 करोड़ 20 लाख रुपये
70.	भूरासर से आनन्दगढ़ वाया 28 केएलडी, गोकुलगढ़ तक सड़क निर्माण (16 किमी.) (कोलायत)–बीकानेर	16 करोड़ रुपये
71.	गांव हरियाखड़ी से सातलियावास–खण्ड निम्बाहेड़ा (1.5 किमी.) (बड़ी सादड़ी)–चित्तौड़गढ़	80 लाख रुपये
72.	झूंगला से कानोड़ सिंगल रोड से डबल रोड (बड़ी सादड़ी)–चित्तौड़गढ़	7 करोड़ रुपये

73.	लोठियाना से सूठाला रोड पर (बामनी नदी) पुलिया निर्माण (बेगूं) – चित्तौड़गढ़	6 करोड़ 10 लाख रुपये
74.	भुजर कला से डाबी एनएच तक सड़क निर्माण (15 किमी.) (बेगूं) – चित्तौड़गढ़	20 करोड़ रुपये
75.	नौ मील चौराहा से भटवाड़ा–सूदरी–गंगरार मंडफिया – साडास–दुगार–राजगढ़–तेजपुर –नंदवाई –बेंगू –सेमलिया –धामचा से एमपी सीमा तक (बेगूं) – चित्तौड़गढ़	50 करोड़ रुपये
76.	काकरवा से भादसौड़ा, रोलिया से रेलमगरा एवं इंटाली से भादसौड़ा (42 किमी.) (कपासन)–चित्तौड़गढ़	60 करोड़ रुपये
77.	सिगरी हनुमानजी (कदमाली नदी) पर काजवे के स्थान पर पुल निर्माण (निम्बाहेड़ा)–चित्तौड़गढ़	25 करोड़ रुपये
78.	लालसोट से खटवा नवीनीकरण एवं चौड़ाईकरण (9.25 किमी.) (लालसोट)–दौसा	5 करोड़ 10 लाख रुपये
79.	एनएच 148 डूंगरपुर मोड से डोब वाया हरिपुरा नवीनीकरण एवं चौड़ाईकरण (6.1 किमी.) (लालसोट)–दौसा	5 करोड़ 49 लाख रुपये
80.	महवा से भरतपुर बॉर्डर वाया औण्डमीना, समसपुर, शीशवाड़ा चौड़ाईकरण (25 कि.मी.) (महवा)–दौसा	15 करोड़ रुपये
81.	अलूदा रानोली सड़क निर्माण वाया पपलाजमाता छारेड़ा (23 किमी.) (सिकराय)–दौसा	21 करोड़ रुपये
82.	सरोदा कराडा पाडवा भासौर बनकोडा सड़क का चौड़ाईकरण व सुदृढ़ीकरण (20 किमी.) (सागवाड़ा)–डूंगरपुर	10 करोड़ रुपये
83.	करणपुर से केसरीसिंहपुर वाया धनूर सड़क की चौड़ाईकरण (27 किमी.) (करणपुर)–श्रीगंगानगर	46 करोड़ रुपये
84.	पदमपुर–श्रीगंगानगर सड़क से चानणाधाम वाया 20 बीटी सड़क की चौड़ाईकरण (12 किमी.) (करणपुर)–श्रीगंगानगर	20 करोड़ रुपये
85.	रायसिंहनगर–पदमपुर सड़क मार्ग पर स्थित ग्राम 20 पीएस बस स्टैण्ड से वाया रिडमलसर होते हुए श्रीगंगानगर–सूरतगढ़ हाइवे सड़क तक चौड़ाईकरण (25 कि.मी.) (करणपुर)–श्रीगंगानगर	40 करोड़ रुपये

86.	भादरा—साहवा सड़क से भादरा—राजगढ़ सड़क तक बाईपास निर्माण (8 किमी.) (भादरा)—हनुमानगढ़	25 करोड़ रुपये
87.	विनोदीलालपुरा से डाबिच एवं गोपालपुरा से पीपला तक (12 किमी.) (चाकसू) — जयपुर	8 करोड़ रुपये
88.	कोटखावदा से देवसी की ढाणी होते हुए वाया नरोत्तमपुरा से देहलाला तक सड़क (6 किमी.) (चाकसू) — जयपुर	3 करोड़ रुपये
89.	इन्द्रपुरी से श्रीकिशनपुरा होते हुए वाया खेड़ारानिवास से रामचन्द्रपुरा तक सड़क । (8 किमी.) (चाकसू) — जयपुर	3 करोड़ 50 लाख रुपये
90.	ढोढ़सर से किशनमानपुरा तक सड़क (8 किमी.) (चौमूं) — जयपुर	4 करोड़ रुपये
91.	तातेड़ा मोड़ से नांगल कलां तक सड़क (2 किमी.) (चौमूं) — जयपुर	60 लाख रुपये
92.	चौमूं शहर से जयपुर रोड़ एचटी लाईन के नीचे कचौलिया रोड़ तक सड़क (1 किमी.) (चौमूं) — जयपुर	50 लाख रुपये
93.	खेल मैदान से लुंगती वाले बालाजी होते हुए बागड़ा बास की सीमा तक (2 किमी.) (चौमूं) — जयपुर	60 लाख रुपये
94.	रेनवाल रोड़ गुवारड़ी पंचमुखी हनुमान मन्दिर से जंगलात होते हुए कालाडेरा तक (4 किमी.) (चौमूं) — जयपुर	1 करोड़ 20 लाख रुपये
95.	जयसिंहपुरा खोर की सड़कों का सुदृढ़ीकरण — जयपुर	5 करोड़ रुपये
96.	धूला मोड़ आगरा रोड़ (एन.एच. 52) से धामस्या लालवास होने हुए फुटालाव एन.एच—148 तक सड़क (26 कि.मी.) (जमवारामगढ़) — जयपुर	25 करोड़ रुपये
97.	जनक मार्ग से शुरू होकर खातीपुरा मोड़ से कर्वीस रोड़ होते हुए पुरानी चुंगी पर अण्डरपास बनाते हुए झारखण्ड मोड़ से सिरसी रोड़ पर गौतम मार्ग तक Elevated Road की DPR (झोटवाड़ा) — जयपुर	5 करोड़ रुपये
98.	सी.जोन बाईपास पर सिरसी रोड़ पर राणा कुम्भा रोड़ से होते हुए सिरसी मोड़ तक जाने हेतु Elevated Road एवं सिरसी मोड़ से राणा कुम्भा रोड़ तक Elevated Road की DPR (झोटवाड़ा) — जयपुर	2 करोड़ रुपये
99.	मठ की ढाणी तिगरिया से जगतपुरा सड़क (1.5 किमी.) (शाहपुरा) — जयपुर	70 लाख रुपये

100.	हरजी—पचानवा नदी पर पुल, पादरली—तख्तगढ़ पुल, कवराडा नदी पर पुल (आहौर) — जालौर	19 करोड़ रुपये
101.	एनएच 325 से बिठूडा—चादराई सड़क (10 कि.मी.) (आहौर) — जालौर	5 करोड़ रुपये
102.	झालरापाटन के 15 मिसिंग लिक रोड (झालरापाटन)—झालावाड़	28 करोड़ 53 लाख रुपये
103.	बाईपास मनोहर थाना एमडीआर 176 (3.3 कि.मी.) (मनोहरथाना) — झालावाड़	15 करोड़ रुपये
104.	नीमकाथाना खेतड़ी सड़क का झोजु धाम से नानुवाली बावड़ी तक सड़क चौड़ाईकरण (7 कि.मी.) (खेतड़ी)—नीमकाथाना	10 करोड़ रुपये
105.	मावण्डा से महाडा सड़क (राज्य राजमार्ग—13 ए) (11 कि.मी.) (खेतड़ी)—नीमकाथाना	11 करोड़ रुपये
106.	पपुरना, रामकुमारपुरा, डाबला, पाटन सड़क चौड़ाईकरण (13 कि.मी.) (खेतड़ी) — नीमकाथाना	20 करोड़ रुपये
107.	नवलगढ़ बाईपास वाया झाझड़ियों की ढाणी—बिरोल (12 कि.मी.) (नवलगढ़)—झुंझुनूं	36 करोड़ रुपये
108.	बिलाडा से हरियाडा जिला सीमा तक पुष्कर से रोहट सड़क (30 कि.मी.) (बिलाडा)—जोधपुर	20 करोड़ रुपये
109.	फलोदी—शेखासर—राणेरी—बारू—नाचना रोड़—फलोदी	20 करोड़ रुपये
110.	नान्देलाव की हवेली लोहावट वाया बेरु—मालूंगा—गगाड़ी—पांचला—चेराई—सामराऊ—भाकरी सड़क (ओसियां) — जोधपुर	20 करोड़ रुपये
111.	मण्डरायल से पहाड़ी, बहरावण्डा से जगनेर, करौली से वजीरपुर सड़क—करौली	10 करोड़ रुपये
112.	चौड़ागांव—जोड़ली—पहाड़पुरा—बूकना—निशाना—कालागुडा सड़क (14 कि.मी.) (सपोटरा) — करौली	11 करोड़ रुपये
113.	करसाई से बर्रिया सड़क का चौड़ाईकरण (11 कि.मी.) (सपोटरा) — करौली	10 करोड़ रुपये
114.	कैलादेवी आस्थाधाम के बाईपास का चौड़ाईकरण (7 कि.मी.) (सपोटरा) — करौली	9 करोड़ रुपये

115.	खेडारसूलपुर पुलिया का निर्माण (लाडपुरा)–कोटा	2 करोड़ 20 लाख रुपये
116.	रामगंजमण्डी रिंग रोड की डीपीआर–कोटा	5 करोड़ रुपये
117.	ऊजाड़ नदी पर मोईखुर्द से डेरू माता जोलपा की ओर नदी पर पुलिया निर्माण (सांगोद)–कोटा	4 करोड़ 50 लाख रुपये
118.	कनवास से देवली (एम.डी.आर.–184), कैथून से अङ्गूसा (एम.डी.आर.–185) (सांगोद)–कोटा	10 करोड़ रुपये
119.	कुचेरा (एन एच–87) से कानुता (एन एच– 58) वाय रूपाथल– 101 मील–बुगरडा– रातंगा– सोनेली–तंवरा–रामसर–गुढ़ा रोहिली (30 किमी.) (जायल)– नागौर	25 करोड़ रुपये
120.	नावां शहर की विभिन्न सड़कें (10 किमी.)–डीडवाना कुचामन	5 करोड़ रुपये
121.	बाली, फालना एवं सादड़ी से बाईपास (29 किमी.) (बाली)–पाली	116 करोड़ रुपये
122.	देसूरी से रानी वाया गिराली सड़क (29 कि.मी.) (बाली)–पाली	25 करोड़ रुपये
123.	नाडोल से घेनडी वाया निप्पल सड़क सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ाईकरण (17 किमी.) (बाली)–पाली	17 करोड़ रुपये
124.	समौखी से बलाड़ा, पृथ्वीपुरा से लौटोती, बलुन्दा से खराड़ी, कालब खुर्द से काणूजा, बूटीवास से रास, निमाज से चावण्डिया कलां, कावलिया से आनन्दपुर कालू सड़कों के सुदृढ़ीकरण व चौड़ाईकरण का कार्य (38 किमी.) (जैतारण)–ब्यावर	30 करोड़ रुपये
125.	प्रतापगढ़ के पश्चिमी भाग में बाईपास चित्तौड़गढ़ रोड से धरियावाद रोड होते हुए बांसवाड़ा रोड तक अर्द्धचन्द्राकार रिंग रोड की डीपीआर–प्रतापगढ़	4 करोड़ रुपये
126.	धमोतर बोरी भुवासिया गादोला रोड (9 किमी.) (प्रतापगढ़)–प्रतापगढ़	5 करोड़ 40 लाख रुपये
127.	भचुण्डला चकुण्डा जिरावता मिरावता मध्य प्रदेश सीमा तक (6.5 किमी.) (प्रतापगढ़) – प्रतापगढ़	3 करोड़ 90 लाख रुपये
128.	मावली–घोड़ा घाटी सड़क का चौड़ाईकरण (7 किमी.) (नाथद्वारा) –राजसमन्द	10 करोड़ 50 लाख रुपये

129.	उथरड़ा से मंडियाना सड़क का चौड़ाईकरण (6.5 किमी.) (नाथद्वारा)–राजसमन्द	8 करोड़ रुपये
130.	सुमेरगंज मंडी दौलतपुरा कमलेश्वर महादेव चितारा लहसोडा बोदल एनएच 552 तक का चौड़ाईकरण (8 किमी.) (खण्डार) – सवाई माधोपुर	10 करोड़ रुपये
131.	सवाईमाधोपुर धमून कलां से बिलोपा एकडा बिन्जारी चौथ का बरवाडा की सड़क का चौड़ाईकरण (45 कि.मी.) (खण्डार)–सवाई माधोपुर	50 करोड़ रुपये
132.	भगवतगढ़ से हथडौली वाया त्रिलोकपुरा सड़क मय बनास नदी पर रपट निर्माण कार्य (5.5 किमी.) (खण्डार)–सवाई माधोपुर	22 करोड़ रुपये
133.	चौरू से चौथ का बरवाडा सड़क का चौड़ाईकरण (12 किमी.) (खण्डार)–सवाई माधोपुर	15 करोड़ रुपये
134.	सांथा से नांगल शेरपुर (करौली) तक वाया जौल, डौरावली, धौलाकुआं, स्टेट हाईवे–25 की सड़क एवं स्टेट हाईवे–22 से सती माता पथवारी वाया भैरों मंदिर सड़क निर्माण (सवाई माधोपुर) –सवाई माधोपुर	15 करोड़ रुपये
135.	सवाईमाधोपुर शहर की सड़कें–सवाई माधोपुर	10 करोड़ रुपये
136.	जयपुर बीकानेर बाईपास एनएच–52 से लोसल डीडवाना सड़क एसएच–07 वाया धोद सरवड़ी एसएच–37बी (35.5 किमी.) (धोद) –सीकर	25 करोड़ रुपये
137.	भोजपुर (एसएच 37) से चौमूं पुरोहितान (एसएच 113) (25 किमी.) (खण्डेला) – सीकर	16 करोड़ 82 लाख रुपये
138.	सीलपुर (एसएच 13) से ज्ञानपुरा (एमडीआर 276) (32.5 किमी.) (खण्डेला)–सीकर	21 करोड़ रुपये
139.	एनएच–52 से सिमारला जागीर और खेजडोली जिला सीमा तक, याम सिंह वाली से कुम्भा बाली, एसएच–113 से भारणी एवं एसएच–37 से मारणी सड़क चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण (श्रीमाधोपुर)–नीमकाथाना	40 करोड़ रुपये

140.	किवरली से पांडूरी पुल निर्माण कार्य (पिण्डवाड़ा—आबू)–सिरोही	7 करोड़ 70 लाख रुपये
141.	देलदर से टाकिया सड़क (12 किमी.) (पिण्डवाड़ा—आबू)– सिरोही	25 करोड़ रुपये
142.	बनास नदी पर दोउवाड़ी से बोरडा सड़क मय काजवे का निर्माण (3.5 किमी.) (निवाई)– टोंक	25 करोड़ रुपये
143.	क्यारी से सईकला तक सड़क एवं पुलिया निर्माण, सिरवल नदी पर पुलिया निर्माण एवं शिवडीया से पिपरमाल सड़क निर्माण (गोगुन्दा) – उदयपुर	30 करोड़ रुपये
144.	कोटडा से देवला रोड को 4 लेन में करने की डीपीआर (झाड़ोल)– उदयपुर	5 करोड़ रुपये
145.	सलूम्बर में बायपास एसएच 32 किमी 69 से एसएच 53 इसरवास, एसएच 53 किमी 83 से एसएच 32–78 देवगांव (8 किमी.) –सलूम्बर	10 करोड़ रुपये
146.	सेमारी एवं सराडा को सलूम्बर से जोड़ने वाली सड़क (40 किमी.) सलूम्बर	25 करोड़ रुपये
147.	रामपुरा से नाई गांव होते हुए नांदेश्वर महादेव मार्ग (6.5 किमी.) – उदयपुर	5 करोड़ रुपये
148.	झाड़ोल से नांदेश्वर से रिंग रोड की डीपीआर–उदयपुर	2 करोड़ रुपये
149.	खींवसर क्षेत्र की विभिन्न नॉनपेचेबल/मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण—नागौर	10 करोड़ रुपये
150.	भद्रकाली मंदिर को जोड़ने वाली सड़क का चौड़ाईकरण (6.50 किमी.) – हनुमानगढ़	5 करोड़ रुपये
151.	भरतपुर – अलवर मार्ग को चार लेन में परिवर्तित करने की डीपीआर	5 करोड़ रुपये
152.	तारानगर शहर व क्षेत्र की विभिन्न सड़कों/मिसिंग लिंक का कार्य	15 करोड़ रुपये
153.	जसवंतपुरा से चितरोड़ी सड़क वाया सुन्धा माता (25 किमी.) (रानीवाड़ा) – सांचौर	12 करोड़ 50 लाख रुपये

154.	मावली, उदयपुर से नाथद्वारा वाया गुडली सड़क की डीपीआर—उदयपुर	3 करोड़ रुपये
155.	देवगढ़ से भीलवाडा सड़क चौड़ाईकरण (20 किमी.) (देवगढ़)—राजसमन्द	20 करोड़ रुपये
156.	देवली—उनियारा क्षेत्र में विभिन्न सड़कों के कार्य	20 करोड़ रुपये
157.	कुड़छी—नागड़ी—धारणावास—भांवडा—बैरावास—तांडावास सड़क (41 किमी.) (खींवसर)—नागौर	22 करोड़ रुपये

II. बाईपास सड़क सम्बन्धी कार्य—

क्र.सं.	बाईपास सड़कें	लागत
1.	बरसो से त्योंगा—भरतपुर	200 करोड़ रुपये
2.	लुधावई टोल से तुहिया वाया मुरवारा, भांडोर—भरतपुर	150 करोड़ रुपये
3.	NH-52 रामू का बास से SH-08 कुडली—सीकर	90 करोड़ रुपये
4.	हनुमानगढ़—सूरतगढ़ सड़क से हनुमानगढ़ संगरिया सड़क	200 करोड़ रुपये
5.	NH-123 से NH-11B—धौलपुर	154 करोड़ 64 लाख रुपये
6.	NH-44 से SH-2A—धौलपुर	131 करोड़ 76 लाख रुपये
7.	सूरवाल से कुस्तला—सवाई माधोपुर	130 करोड़ 14 लाख रुपये
8.	रिंग रोड वाया तारानगर सड़क वाया बालेरी सड़क से सरदारशहर सड़क वाया रतनगढ़ सड़क वाया देपलसर सड़क से NH-52—चूरू	200 करोड़ रुपये
9.	मंडावा—झुंझुनूं रोड से सीकर—झुंझुनूं रोड (NH-11 से SH-08) —झुंझुनूं	61 करोड़ रुपये
10.	सीकर—झुंझुनूं रोड से झुंझुनूं—उदयपुरवाटी रोड से झुंझुनूं—चिड़ावा रोड—झुंझुनूं	100 करोड़ रुपये
11.	मण्डरायल—करौली—हिण्डौन—मानवा (SH-22) से गंगापुर—हिण्डौन—बयाना—भरतपुर (SH-01) (हिण्डौनसिटी)—करौली	85 करोड़ रुपये
12.	NH-58 से मेगा हाईवे (सूजानगढ़)—चूरू	75 करोड़ रुपये

III. ROB/ RUB/ Flyover/ Elevated Road सम्बन्धी कार्य—

क्र.सं.	ROB/RUB निर्माण	लागत
1.	जयपुर में नाड़ी का फाटक पर 4 lane ROB	86 करोड़ 89 लाख रुपये
2.	जयपुर में सीतावाली फाटक और बैनाड फाटक के मध्य RUB	14 करोड़ 37 लाख रुपये
3.	डीडवाना—कुचामन में छोटी खाट् LC 90 पर ROB	58 करोड़ 70 लाख रुपये
4.	बीकानेर में श्रीडुंगरगढ़ में LC 224/B.1-2 पर ROB	44 करोड़ 33 लाख रुपये
5.	कोटा में रामगंज मंडी—झालावाड Railway LC 3-A/2-E पर ROB	46 करोड़ 54 लाख रुपये
6.	बांदीकुई—दौसा रेलवे फाटक पर ROB निर्माण	60 करोड़ रुपये
7.	L.C. No. 160 —जोधपुर (मेडता रोड़—जोधपुर ट्रैक पर) रेलवे फाटक पर ROB निर्माण	70 करोड़ रुपये
8.	जयपुर में सी.बी.आई./इन्दूणी फाटक LC 214 पर ROB	95 करोड़ रुपये
9.	सालीग्रामपुरा फाटक—जयपुर LC 67-AC पर ROB	86 करोड़ रुपये
10.	नलका फाटक पर ROB निर्माण कार्य (बारां—अटरु)—बारां	45 करोड़ रुपये
11.	पवनपुरी नागनेचेजी माताजी मन्दिर बीकानेर के सामने ROB का निर्माण—बीकानेर	40 करोड़ रुपये
12.	सूरसागर में नहर चौराहे से एम्स जाने वाली रोड पर ROB—जोधपुर	30 करोड़ रुपये
13.	लूणकरणसर कस्बे मे टू लेन RUB के निर्माण हेतु (लूणकरणसर) — बीकानेर	8 करोड़ रुपये
14.	रामनगर तिराहा, चूरू में RUB—चूरू	5 करोड़ रुपये
15.	ओम कॉलोनी में RUB—चूरू	5 करोड़ रुपये
16.	20 Level Crossing Railway फाटकों पर feasibility अनुसार DPR तैयार करने का कार्य	3 करोड़ रुपये
17.	परसनेऊ—बिंगा रेलवे स्टेशन (373/3-4) के मध्य RUB—बीकानेर	10 करोड़ 95 लाख रुपये

18.	मोलीसर—रतनगढ़ रेलवे स्टेशन (312/0-1) के मध्य RUB (रतनगढ़) —चूरू	7 करोड़ 25 लाख रुपये
19.	शेरेकन—तलवाड़ा झील (29/9-27/0) के मध्य RUB —हनुमानगढ़	6 करोड़ रुपये
20.	भरतपुर में हीरादास चौराहे से कुम्हेर गेट चौराहा तक flyover	99 करोड़ 01 लाख रुपये
21.	भरतपुर में काली बगीची चौराहा—बिजली घर चौराहा—RBM Hospital flyover	194 करोड़ 73 लाख रुपये
22.	जयपुर में सहकार मार्ग, इमली फाटक पर Flyover	65 करोड़ रुपये
23.	जयपुर में रिद्धि—सिद्धि, गोपालपुरा पर Flyover	72 करोड़ रुपये
24.	महिन्द्रा सेज, जयपुर के पास 250 फीट एवं 200 फीट सड़क के Intersection पर Flyover	90 करोड़ रुपये
25.	जयपुर में पृथ्वीराज दक्षिणी क्षेत्र में वन्दे मातरम सड़क पर पत्रकार कॉलोनी जंक्शन पर पर Flyover	98 करोड़ रुपये
26.	जयपुर में सांगानेर Flyover से चौराड़िया पेट्रोल पम्प तक Elevated Road	170 करोड़ रुपये
27.	जयपुर में अम्बेडकर सर्किल से ओ.टी.एस. से जवाहर सर्किल तक Elevated Road निर्माण कार्य (प्रथम चरण—Feasibility Report तैयार करना। द्वितीय चरण की DPR तैयार कर निर्माण)	1 हजार 100 करोड़ रुपये
28.	जयपुर में कलेक्ट्रेट सर्किल से राजमहल पैलेस होटल चौराहे (सरदार पटेल मार्ग) तक Elevated Road की DPR तैयार कर निर्माण कार्य	400 करोड़ रुपये
29.	उदयपुर में पारस तिराहे पर Flyover	36 करोड़ 16 लाख रुपये
30.	उदयपुर में देबारी चौराहे से प्रताप नगर चौराहे तक Elevated Road का निर्माण कार्य	125 करोड़ रुपये
31.	उदयपुर सिटी स्टेशन से कलक्टर निवास तक Elevated Road की DPR	5 करोड़ रुपये

IV. शहरी क्षेत्रों में सुनियोजित विकास के कार्य—

क्र.सं.	निर्माण कार्यों का विवरण	लागत
1.	जयपुर में टोंक रोड से फागी रोड के मध्य सड़क निर्माण कार्य की Feasibility Study (30 किमी.)	3 करोड़ रुपये
2.	जयपुर क्षेत्र में सेक्टर सड़कों का निर्माण कार्य (प्रथम चरण)	50 करोड़ रुपये
3.	मानसरोवर-सांगानेर क्षेत्र की सड़कों का उन्नयन	90 करोड़ रुपये
4.	विद्याधर नगर-जयपुर के विभिन्न वार्डों में सड़क निर्माण कार्य	75 करोड़ रुपये
5.	जोधपुर में रामराज नगर से राजीव गांधी नगर, विनोबा भावे नगर वाया एनआरआई कॉलोनी को जोड़ने के लिए सम्पर्क सड़क निर्माण	10 करोड़ रुपये
6.	अजमेर में पृथ्वीराज नगर योजना में सड़क निर्माण कार्य	3 करोड़ 97 लाख रुपये
7.	पुष्कर-अजमेर में सूरजकुण्ड योजना में सड़क निर्माण कार्य	4 करोड़ 80 लाख रुपये
8.	उदयपुर में बड़गांव से ग्राम कविता, राष्ट्रीय राजमार्ग 76 तक मास्टर प्लान विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	43 करोड़ रुपये
9.	उदयपुर में जड़ाव नर्सरी से कलड़वास तिराहे तक सड़क विस्तार का कार्य	38 करोड़ रुपये
10.	उदयपुर में सीसारमा गांव से नांदेश्वर तक सड़क विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	14 करोड़ रुपये
11.	भरतपुर में योजना संख्या 13 में सड़क निर्माण कार्य	3 करोड़ 95 लाख रुपये
12.	भरतपुर में SPZ योजना की मुख्य सड़क चौड़ाईकरण एवं सौन्दर्यीकरण कार्य	3 करोड़ रुपये
13.	सिविल एयरपोर्ट-जैसलमेर से सम सड़क वाया ग्राम जियाई तक सड़क निर्माण का कार्य	11 करोड़ रुपये
14.	जैसलमेर में रामगढ़ सड़क से सम सड़क तक निर्माण का कार्य	4 करोड़ 50 लाख रुपये
15.	जैसलमेर बाड़मेर मुख्य सड़क से म्याजलार सड़क तक निर्माण का कार्य	8 करोड़ रुपये
16.	सवाई माधोपुर में विवेकानंद मार्केट व्यावसायिक योजना में सड़क/फुटपाथ/नाली निर्माण कार्य।	1 करोड़ 50 लाख रुपये

V. High Level Bridges के निर्माण कार्य—

क्र.सं.	उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य	लागत
1.	उनियारा—बिजौलिया वाया इन्द्रगढ़—लाखेरी बूंदी रोड पर मेज नदी पर—बूंदी	27 करोड़ 32 लाख रुपये
2.	सांचौर—रानीवाड़ा—मंदार—आबूरोड रोड पर CH. 118/200 (रेवदर)—सिरोही	5 करोड़ 18 लाख रुपये
3.	चारी—जांजरी रोड पर दबायचा (खैरवाड़ा)—उदयपुर	11 करोड़ रुपये
4.	नादोती—श्रीमहावीरजी खेड़ा रोड, गम्भीर नदी पर—करौली	25 करोड़ रुपये
5.	सौजत—सिरयारी—जोजावर—देसूरी रोड, सावरद नदी पर (मारवाड़ जंक्शन)—पाली	10 करोड़ रुपये
6.	डियास—पनोतिया—देवरिया—धनोप—केरोट (MDR-367) एवं खारी नदी पर High Level Bridge व CD work (27.60 किमी.) (शाहपुरा, फुलियाकलां, भिनाई) —केकड़ी, भीलवाड़ा, शाहपुरा	79 करोड़ 19 लाख रुपये
7.	कपासन चौराहे से मानपुरा को जोड़ने वाली सड़क पर High Level Bridge—चित्तौड़गढ़	56 करोड़ रुपये
8.	करौली—हिण्डौन सड़क स्टेट हाईवे 22 पर 4 लेन उच्चस्तरीय पुल एवं करौली में बाईपास निर्माण की डीपीआर—करौली	3 करोड़ रुपये
9.	जवाई पुल का जीर्णोद्धार कार्य—सिरोही	20 करोड़ रुपये
10.	गोमती नदी पर बड़ावली सेमरी वाया निचला गुड़ा रोड, गोमती नदी पर सराड़ी गिंगला रोड एवं सर्स नदी पर ढेलाई रोड पर हाईलेवल ब्रिज—सलूम्बर	20 करोड़ रुपये
11.	डेलवास में बेडच नदी पर नवीन पुलिया निर्माण—चित्तौड़गढ़	20 करोड़ रुपये

15. प्रदेश में प्रथम बार 2 हजार 750 किलोमीटर से अधिक की लम्बाई के 9 **Green Field Expressways** का निर्माण चरणबद्ध रूप से किये जाने हेतु इस वर्ष 30 करोड़ रुपये की लागत से DPR बनायी जानी प्रस्तावित है।

ये Expressways हैं—जयपुर—किशनगढ़—अजमेर—जोधपुर (350 किमी.), कोटपूतली—किशनगढ़ (181 किमी.); जयपुर—भीलवाड़ा (193 किमी.); बीकानेर—कोटपूतली (295 किमी.); ब्यावर—भरतपुर (342 किमी.); जालौर—झालावाड़ (402 किमी.); अजमेर—बांसवाड़ा (358 किमी.); जयपुर—फलोदी (345 किमी.) एवं श्रीगंगानगर—कोटपूतली (290 किमी.)।

16. बिपरजॉय तूफान, अतिवृष्टि एवं समय पर रखरखाव की कमी के कारण क्षतिग्रस्त एक हजार 343 (एक हजार तीन सौ तैतालीस) सड़कों एवं पुलियाओं की मरम्मत व जीर्णोद्धार करने के लिए 2 वर्षों में 644 करोड़ (छह सौ चवालीस करोड़) रुपये व्यय किये जाने प्रस्तावित हैं।

17. उपखण्ड, पंचायत समिति व तहसील मुख्यालय को जिला मुख्यालय से 2 लेन चौड़ी सड़क से जोड़ने का कार्य चरणबद्ध रूप से करवाया जायेगा। इस पर लगभग 306 करोड़ (तीन सौ छह करोड़) रुपये की लागत आयेगी। इसके साथ ही मैं, शहरी क्षेत्रों में प्रमुख सड़कों की मरम्मत एवं उन्नयन के लिए 500 करोड़ रुपये के प्रावधान की घोषणा करती हूँ।

क्षेत्रीय विकास एवं नागरिक सुविधायें :

18. पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति **Theodore Roosevelt** ने कहा था—

"The country will not be a good place for any of us to live in unless we make it a reasonably good place for all of us to live in."

अर्थात् “हमारे रहने के लिए देश तब तक एक अच्छा स्थान नहीं होता, जब तक कि हम इसे सबके रहने के लिए यथोचित अच्छा स्थान नहीं बनाते।”

हमारा देश प्राचीन काल से ही Civic Planning के लिए जाना जाता रहा है। चाहे सिंधु घाटी सभ्यता व हड्ड्या/मोहनजोदहो की planning का उदाहरण लें या फिर विद्याधर भट्टाचार्य/मिर्ज़ा इस्माइल द्वारा जयपुर की planning का, हम इनसे प्रेरणा लेकर शहरी, ग्रामीण व क्षेत्रीय विकास के लिए कठिबद्ध हैं।

19. शहरों के साथ ही Peri-Urban क्षेत्रों के सुनियोजित विकास को सुनिश्चित करने की दृष्टि से '**Rajasthan Regional and Urban Planning Bill-2024**' लाया जाना प्रस्तावित है।

20. राजस्थान जैसे वृहद् एवं विविधता से परिपूर्ण प्रदेश में प्रत्येक जिले की पृथक समस्यायें व आवश्यकतायें हैं। इनके प्रभावी निस्तारण एवं क्रियान्वयन के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान कर 'डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना' प्रारम्भ करने की मैं, घोषणा करती हूँ। योजना अन्तर्गत जन सहभागिता के कार्य प्राथमिकता से करवाये जायेंगे तथा क्रियान्वयन हेतु जिला स्तर पर विशेषज्ञों की Mission Team गठित की जायेगी।

21. प्रदेश में जिला स्तर के एवं अन्य चयनित शहरी निकायों में Wi-Fi enabled Library and Co-working Stations की स्थापना लगभग 150 करोड़ रुपये की लागत से की जानी प्रस्तावित है।

22. प्रदेश के नगर निकायों को स्वच्छ, सुरक्षित एवं सुन्दर बनाये जाने के दृष्टिगत 2 वर्षों (2024–25 व 2025–26) में चरणबद्ध रूप से –

I. विभिन्न नगरीय निकायों में बिजली की लाइनों को underground करने के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जायेगा।

- साथ ही, चरणबद्ध रूप से प्रत्येक नगरीय निकाय में 65 करोड़ (पैंसठ करोड़) रुपये की लागत से Fire Brigades उपलब्ध करवायी जायेंगी।
- II. ठोस कचरे के प्रबन्धन (Solid Waste Management) हेतु 71 (इकहत्तर) नगरीय निकायों में Processing Plants; 86 (छियासी) नगरीय निकायों में Material Recovery Facility (MRF) केन्द्रों का निर्माण तथा 131 (एक सौ इकतीस) नगरीय निकायों में पुराने कचरे के निस्तारण (Legacy Waste Remediation) की समुचित व्यवस्था की जायेगी। इन पर लगभग 650 करोड़ रुपये व्यय होंगे।
- III. कचरा संग्रहण व परिवहन से निस्तारण तक की व्यवस्था को प्रभावी बनाने हेतु IT तकनीक जैसे—Vehicle Tracking System एवं Radio Frequency Identification Device (RFID) का उपयोग करने के साथ—साथ नगर निगमों में संचालित Intermediate Transfer Stations को mechanised एवं automated कराया जायेगा। इस पर 135 करोड़ (एक सौ पैंतीस करोड़) रुपये व्यय होंगे।
- IV. साथ ही, विभिन्न शहरों में drainage, जल संरक्षण, जन सुविधा व सामुदायिक कार्य तथा अल्प आय वर्ग के लिए आवास निर्माण सम्बन्धी कार्य लगभग एक हजार 300 करोड़ रुपये की लागत से करवाये जायेंगे। ये कार्य हैं—

क्र.सं.	कार्य का विवरण	लागत
1.	अजमेर में नसीराबाद रोड से अर्जुनलाल सेठ नगर योजना तक आरसीसी नाला एवं सड़क निर्माण	3 करोड़ 90 लाख रुपये
2.	अजमेर शहर में वर्षा जल निकासी व्यवस्था में सुधार के कार्य	44 करोड़ रुपये
3.	श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ रोड पर नाला निर्माण	3 करोड़ रुपये
4.	श्रीगंगानगर में हनुमानगढ़ रोड पर नाला निर्माण	6 करोड़ 70 लाख रुपये
5.	बीकानेर शहर में एकत्रित होने वाले गंदे पानी के स्थायी समाधान का कार्य	100 करोड़ रुपये
6.	श्रीमाधोपुर में सीवरेज प्रोजेक्ट फेज 2 का कार्य	50 करोड़ 93 लाख रुपये
7.	विद्याधर नगर—जयपुर में जल भराव की समस्या का निस्तारण कार्य के साथ ही, मुरलीपुरा एवं विद्याधर नगर में सीवरेज कार्य	70 करोड़ रुपये
8.	30 नगरीय निकायों में जल भराव वाले क्षेत्रों में drainage एवं grey water treatment सम्बन्धी कार्य	125 करोड़ रुपये
9.	बहरोड़ में सीवरेज कार्य	25 करोड़ रुपये
10.	जालोर शहर में सीवरेज कार्य	25 करोड़ रुपये
11.	श्रीडूंगरगढ़—बीकानेर, पोकरण—जैसलमेर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट	50 करोड़ रुपये
12.	मुकुन्दगढ़ (नवलगढ़)—झुंझुनूं में गंदे पानी की निकासी हेतु ड्रेनेज प्रोजेक्ट	10 करोड़ रुपये
13.	भीम—राजसमंद में ड्रेनेज सिस्टम एवं रोड लाइट आदि का कार्य	10 करोड़ रुपये
14.	मानसरोवर झील—भीलवाड़ा के विकास का कार्य	12 करोड़ रुपये
15.	गिराज कैनाल—भरतपुर का पुनरुद्धार एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य तथा सुजानगंगा के revival हेतु DPR का कार्य	45 करोड़ रुपये

16.	परतापुर (गढ़ी)–बांसवाड़ा में सतौरी नदी पर रपट निर्माण, सौन्दर्यीकरण, सुरक्षा दीवार आदि कार्य	4 करोड़ रुपये
17.	जयपुर में पैदल यात्रियों हेतु फुटपाथ एवं चौराहों पर जेब्रा क्रॉसिंग का कार्य	25 करोड़ रुपये
18.	सवाई माधोपुर कुतलपुरा आवासीय योजना में सड़क/पार्क/सामुदायिक भवन आदि का निर्माण।	3 करोड़ रुपये
19.	आर.सी. व्यास योजना–भीलवाड़ा में कन्वेशन सेंटर का निर्माण	9 करोड़ रुपये
20.	नेहरू गार्डन, फतेहसागर–उदयपुर का सौन्दर्यीकरण एवं संचालन का कार्य	15 करोड़ रुपये
21.	महला आवासीय योजना–जयपुर में 365 आवासों का निर्माण	39 करोड़ 1 लाख रुपये
22.	एनआरआई योजना–सेक्टर-28, प्रतापनगर, सांगानेर–जयपुर में आरएचबी ग्रीनवुड मेंशन 164 विला एवं 132 शॉपिंग आर्किड का निर्माण	231 करोड़ 85 लाख रुपये
23.	बरली आवासीय योजना फेज-5–जोधपुर में 1 हजार 41 आवासों का निर्माण	218 करोड़ 88 लाख रुपये
24.	नई आवासीय योजना–हनुमानगढ़ में 564 आवासों का निर्माण	85 करोड़ 60 लाख रुपये
25.	ताऊसर रोड योजना–नागौर में 106 आवासों का निर्माण	16 करोड़ 6 लाख रुपये
26.	देवली (गोवर्धन विलास) योजना फेज-1–उदयपुर में 212 आवासों का निर्माण	29 करोड़ 3 लाख रुपये
27.	किशनबाग–जयपुर में द्रव्यवती नदी पर पुलिया निर्माण	5 करोड़ रुपये
28.	लाखेरी योजना–बूंदी में 195 आवासों का निर्माण	35 करोड़ 11 लाख रुपये

23. प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों के बाजारों एवं Public Places में महिलाओं के लिए चरणबद्ध रूप से Bio/Pink Toilet Complex स्थापित कराये जाने प्रस्तावित हैं। प्रथम चरण में, नगर निगम व नगर परिषद् क्षेत्रों में 67 (सड़सठ) toilet complex बनाये जायेंगे। इस हेतु लगभग 14 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

24. प्रदेश में Public Transport System के माध्यम से आमजन को सरक्षी, सुरक्षित एवं आधुनिकतम यातायात सुविधा सुलभ कराने हेतु—

- I. राजस्थान रोडवेज द्वारा 2 वर्षों में 500 बसें क्रय करने के साथ ही 800 और बसें Service Model पर लिया जाना प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत 300 इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल की जायेंगी।
- II. प्रदेश में दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में भी यात्रियों की सुविधा के लिए लोक परिवहन सेवा प्रारम्भ की जायेगी।
- III. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश के Railway Stations का विकास कर यात्रियों के लिए आधुनिकतम सुविधायें सुलभ कराकर पहल की है। इसी तर्ज पर प्रदेश में यात्रियों की सुविधा एवं Roadways की कार्य कुशलता बढ़ाने की दृष्टि से अजमेर, भरतपुर, दूदू कोटा एवं उदयपुर सहित 10 जिला मुख्यालयों पर आधुनिकतम सुविधायुक्त Bus Ports/Stands का निर्माण करवाया जायेगा। साथ ही, विभिन्न Bus Stands, Depots एवं Workshops की repair, maintenance एवं public facilities हेतु 50 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

- IV. बहरोड़; कामा—डीग; रूपवास—भरतपुर; बायतू—बालोतरा; श्रीडुंगरगढ़—बीकानेर; महवा—दौसा; सपोटरा—करौली; मनोहर थाना—झालावाड़; धोद, खण्डेला—सीकर एवं पिंडवाडा—सिरोही में बस स्टैण्ड सम्बन्धी विकास कार्य करवाये जायेंगे।
- V. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की प्रशासनिक एवं संचालन व्यवस्था को बेहतर करने हेतु एक हजार 650 कार्मिकों की भर्ती की जायेगी।
25. शहरी ट्रांसपोर्ट सेवाओं के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए—
- जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर, कोटा एवं बीकानेर जैसे प्रमुख शहरों में city transport के लिए चरणबद्ध रूप से GCC model आधारित 300 electric buses क्रय की जायेंगी। साथ ही, ई—बसों के सुगम संचालन हेतु 25 करोड़ रुपये व्यय कर Modern Shelter cum Charging Stations स्थापित किये जायेंगे।
 - Jaipur Metro का विस्तार करने के लिए Jaipur Metro Rail Corporation को केन्द्र सरकार के साथ Joint Venture में परिवर्तित कर कार्य को गति दी जायेगी। साथ ही, Public Transport की सुविधा को बढ़ाने के लिए आवश्यकतानुसार Elevated Road का भी प्रावधान किया जायेगा।
26. पूर्वी राजस्थान के दूरस्थ क्षेत्रों के क्षेत्रीय विकास के लिए बृज क्षेत्रीय विकास योजना प्रारम्भ किये जाने की घोषणा करती हूँ। साथ ही, डांग, मगरा, मेवात एवं बृज क्षेत्रीय विकास योजनाओं हेतु इस वर्ष 50—50 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जाने प्रस्तावित हैं।

औद्योगिक विकास :

भारत के संविधान निर्माता एवं भारत रत्न डॉ. भीम राव अम्बेडकर के शब्दों में—

"The key to economic progress and social upliftment lies in industrialization. By fostering industrial growth, we can provide employment, reduce poverty and enhance the standard of living. "

अर्थात्—“आर्थिक उन्नति एवं सामाजिक उत्थान की कुंजी औद्योगिकीकरण में है। औद्योगिक विकास बढ़ाने से हम रोजगार दे सकते हैं, गरीबी कम कर सकते हैं तथा जीवन स्तर को ऊँचा कर सकते हैं।”

27. माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में इसी भावना से—

- I. Ease of Doing Business (EoDB) एवं Sustainability आधारित **Industrial Policy-2024** लायी जायेगी। इस नीति के माध्यम से Theme based Industrial Parks की स्थापना व Hassle Free Goods Transportation उपलब्ध कराने के साथ Research एवं Development (R&D) तथा Green Technology को बढ़ावा दिया जायेगा। साथ ही, प्रदेश से निर्यात बढ़ाने के लिए **Export Promotion Policy** भी लाया जाना प्रस्तावित है।
- II. प्रदेश में Textile सम्बन्धित उद्योग को और ऊँचाइयों पर ले जाने के लिए पृथक **Garment and Apparel Policy** लाया जाना प्रस्तावित है।
- III. Logistic Eco-system को विकसित करने तथा Supply Chain System को resilient बनाने के लिए **Rajasthan Warehousing and Logistics Policy** लायी जानी प्रस्तावित है।

- IV. इस वर्ष होने वाले **Investor Summit** के साथ ही **Non-Resident Rajasthani Conclave** आयोजित किये जाने की घोषणा करती हूँ। साथ ही, विश्व के प्रमुख शहरों में चरणबद्ध तरीके से Rajasthan Foundation के नये Chapters शुरू किये जायेंगे।
- V. पचपदरा रिफाइनरी—बालोतरा से निकलने वाले Downstream Products आधारित उद्योगों हेतु बालोतरा में **Rajasthan Petro Zone (RPZ)** की स्थापना की जानी प्रस्तावित है। साथ ही, प्रदेश में **Defence Manufacturing Hub** की भी स्थापना की जायेगी।
- VI. Global Companies से निवेश आमंत्रित करने के लिए जयपुर में 'अमृत Global Technology and Application Centre' की स्थापना 200 करोड़ रुपये की लागत से की जायेगी। साथ ही, **Data Centre Policy** भी लायी जायेगी।
- 28.** प्रदेश में उद्यमियों एवं निवेशकों के लिए उत्कृष्ट औद्योगिक परिवेश तैयार किये जाने हेतु विभिन्न स्थानों पर औद्योगिक पार्क, औद्योगिक क्षेत्र, **Stone मंडियों** की स्थापना सहित आधारभूत कार्य करवाये जायेंगे। ये कार्य हैं—

क्र.सं.	औद्योगिक पार्क/ क्षेत्र/Stone मंडी एवं आधारभूत कार्य
1.	वस्त्र नगरी—भीलवाड़ा में Textile Park ; बीकानेर में Ceramic Park ; बांदीकुई—दौसा के पास Industrial and Logistical Hub ; कांकाणी/रोहट—पाली में Solar Panel Manufacturing Park ; बांसवाड़ा में Biomass Pellet एवं Chemical Manufacturing Park ; किशनगढ़—अजमेर में Tiles Manufacturing Park तथा जोधपुर में Handicraft Park
2.	धर्मपुरा—बाड़मेर, माल की तूस—उदयपुर, वरकाना—पाली एवं नैनवा—बूंदी में 'श्रीराम जानकी औद्योगिक क्षेत्र'

3.	थोलाई (जमवारामगढ़)—जयपुर में स्थापित Integrated Resource Recovery Park की तर्ज पर प्रदेश में 2 और Waste Recycling Parks की स्थापना
4.	सौंखरी (कटूमर)–अलवर, करेडा (माणडल)–भीलवाड़ा, पीपलूंद (जहाजपुर) –शाहपुरा, जुरहरा (कामा)–डीग एवं भिणडर–उदयपुर में औद्योगिक क्षेत्र
5.	जोधपुर–कांकाणी–रोहट–पाली–मारवाड़ क्षेत्र के 'Marwar Industrial Cluster' में चरणबद्ध रूप से 150 करोड़ रुपये की लागत से आधारभूत सुविधायें
6.	Western Dedicated Freight Corridor पर श्रीमाधोपुर, किशनगढ़, साखून, सराधना, हरिपुर, चांदवाल, मारवाड़ जंक्शन, जावली, बिरोलिया, केशवगंज, बनास एवं स्वरूपगंज के नवीन रेलवे स्टेशनों को 2-lane सड़क से जोड़ना, लगभग 110 करोड़ रुपये व्यय
7.	RIICO के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में 175 करोड़ (एक सौ पचहत्तर करोड़) रुपये की लागत से आधारभूत सुविधायें
8.	प्रदेश में Dimensional और सजावटी पत्थर यथा—मार्बल, Sandstone, Granite आदि से सम्बन्धित घरेलू और विदेशी उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए व्यावर, कोटा, जालोर, राजसमंद व सिकन्दरा—दौसा में Stone मंडियों की स्थापना, वर्तमान Stone Clusters का भी उन्नयन, 125 करोड़ रुपये का प्रावधान

29. हमारे प्रदेश का हर जिला अपने एक विशिष्ट उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। जैसे राजसमंद—terracotta के लिए, बाड़मेर—block printing के लिए, कोटा—डोरिया साड़ी के लिए, जालोर—मोजड़ी जूती के लिए, पाली—मेहंदी के लिए, प्रतापगढ़—थेवा कला के लिए, जयपुर—Gems एवं Jewellery के लिए, दौसा—दरियों के लिए तथा नागौर—hand tools के लिए। स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देने हेतु माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के '**Vocal for Local**' के लिए की गई पहल के क्रम में—

- I. राज्य के प्रत्येक जिले को Export Hub बनाने की दृष्टि से **Rajasthan-One District, One Product Policy 2024** लाये जाने की घोषणा करती हूँ। इसके क्रियान्वयन पर प्रतिवर्ष लगभग 100 करोड़ रुपये का भार आयेगा।
- II. साथ ही, ऐसे उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदर्शनी एवं कार्यशाला/सेमिनार आदि आयोजित करने हेतु जयपुर में **PM-Unity Mall** लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

30. राज्य के संतुलित, समावेशी तीव्र विकास के साथ रोजगार व निर्यात को बढ़ावा देने के लिए **MSME Policy-2024** लायी जानी प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत—

- I. प्रत्येक संभाग के MSME विकास व सुविधा केन्द्रों को IT enabled कर और अधिक सुविधायुक्त बनाया जायेगा।
- II. राज्य के Handloom, Handicraft एवं MSME Sector के 50 clusters 3 वर्षों में विकसित किये जायेंगे। इस हेतु 150 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रथम चरण के रूप में इस वर्ष 15 clusters के लिए 45 करोड़ (**पैंतालीस करोड़**) रुपये व्यय किये जायेंगे।
- III. Entrepreneurs को अपने उत्पाद देश-विदेश में Market करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने की दृष्टि से 30 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

31. खादी एवं ग्रामोद्योग प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत चयनित खादी संस्थाओं/समितियों के साथ ही बुनकर संघ से जुड़े बुनकरों को भी ऋण एवं सहायता प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, प्रदेश में माटी कला से जुड़े कलाकारों के उत्थान के लिए—

- I. माटी कला **Centre of Excellence** 5 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।
- II. कलाकारों को एक हजार Electric Wheel (इलेक्ट्रिक चाक) एवं मिट्टी गूंथने की मशीनें उपलब्ध करवायी जायेंगी।

पर्यटन, कला एवं संस्कृति :

32. राजस्थान, अपनी ऐतिहासिक विरासत और स्थापत्य, समृद्ध संस्कृति, गौरवशाली इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता के लिए विश्व विख्यात है। राज्य की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का महत्वपूर्ण योगदान है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में पर्यटन की प्रत्यक्ष और परोक्ष हिस्सेदारी कुल 5.6 प्रतिशत है एवं राज्य में लगभग 20 लाख परिवार पर्यटन क्षेत्र से किसी न किसी रूप में आय अथवा रोजगार की दृष्टि से जुड़े हुए हैं।

33. प्रदेश में पर्यटन विकास को गति देने के लिए नवीन पर्यटन नीति लायी जानी प्रस्तावित है। साथ ही, राजस्थान पर्यटन विकास बोर्ड का गठन करते हुए **Rajasthan Tourism Infrastructure and Capacity Building Fund (RTICF)** बनाया जाकर, हमारे इस कार्यकाल में 5 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कार्य करवाये जाने की घोषणा करती हूँ। इस Fund के माध्यम से Heritage Tourism, Religious Tourism, Rural Tourism, Eco-Tourism एवं Adventure Tourism के विकास, प्रदेश की Branding तथा पर्यटकों की सुविधा सम्बन्धी कार्य हाथ में लिये जायेंगे।

34. RTICF के अन्तर्गत 2 वर्षों में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर एवं पुष्कर सहित 20 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न कार्य हाथ में लिये जाने प्रस्तावित हैं। इसके साथ ही—

- I. प्रदेश के शौर्य व साहस के प्रतीक रहे किलों, स्मारकों तथा सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए मैं, **Rajasthan Heritage Conservation and Development Authority** बनाये जाने की घोषणा करती हूँ।
- II. UNESCO Heritage Site —जयपुर के परकोटा क्षेत्र एवं स्मारकों के लिए **Jaipur Walled City Heritage Development Plan** बनाकर 100 करोड़ रुपये के कार्य हाथ में लिए जाने प्रस्तावित हैं। इस क्षेत्र की विरासत को बनाये रखने के लिए आवश्यक Bylaws भी अधिसूचित किये जायेंगे।
- III. आमेर के मावठा एवं सागर के साथ ही, प्रदेश की विभिन्न बावड़ियों (Step Wells) के पुनरुद्धार हेतु 20 करोड़ रुपये के कार्य हाथ में लिये जायेंगे।
- IV. चित्तौड़गढ़, आमेर—जयपुर आदि पर्यटन स्थलों पर संचालित Light and Sound Shows का उन्नयन किया जायेगा।
- V. वैर—भरतपुर के सफेद महल, प्रताप फुलवारी एवं प्रताप नहर सहित किले की मरम्मत एवं सौन्दर्यीकरण व भरतपुर किले के आस—पास क्षेत्र में सौन्दर्यीकरण एवं उन्नयन कार्य करवाये जायेंगे।

- VI. Lesser Known Tourism Sites रामगढ़ क्रेटर साइट—बारां, सांभर झील क्षेत्र—जयपुर एवं झामरकोटड़ा व जावर—उदयपुर को विकसित करने पर लगभग 30 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। साथ ही, खाभा फोर्ट परिसर जैसलमेर में Fossil Park एवं Open Rocks Museum बनाये जाने प्रस्तावित हैं।
- VII. Wedding Destinations के रूप में तेजी से उभर रहे प्रदेश के शहरों यथा—जयपुर, उदयपुर, जोधपुर एवं सवाई माधोपुर आदि के लिए branding व infrastructure विकास के Projects हाथ में लिये जायेंगे।
- VIII. प्रदेश में MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) Tourism हेतु आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली के भारत मण्डपम् की तर्ज पर जयपुर में राजस्थान मण्डपम् बनाने की में, घोषणा करती हूँ।

35. राजस्थान रणथम्भौर, सरिस्का एवं घना जैसे प्रमुख Wildlife Sanctuaries/Reserves के लिए तो सदैव से विश्व प्रसिद्ध है ही, किन्तु अब, Leopard Reserve झालाना—जयपुर, जवाई—पाली आदि को भी Eco-Tourism Circuit का भाग बनाने से पर्यटकों को विभिन्न Flora-Fauna से परिचित होने का अवसर मिलने के साथ ही दूरदराज के क्षेत्रों का विकास भी सम्भव होगा। इसी क्रम में—

- I. सांभर झील, खींचन Conservation Reserve, शेरगढ़ अभयारण्य, मनसा माता Conservation Reserve एवं बस्सी अभयारण्य को Eco-Tourism Sites के रूप में विकसित किया जायेगा।

- II. जोगी महल—सवाई माधोपुर, आमेर—जयगढ़—नाहरगढ़ किला—जयपुर, बिजासन माता (इंदरगढ़)—बूंदी, समई माता—बांसवाड़ा तथा छतरंग मोरी—चित्तौड़गढ़ में Ropeway सुविधा उपलब्ध कराने के लिए DPR बनायी जाकर कार्य हाथ में लिए जाने प्रस्तावित हैं।
- III. प्रदेश के संरक्षित वन क्षेत्रों में स्थित धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं और वन्यजीवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रथम चरण में सरिस्का स्थित पांडूपोल और रणथम्भौर में त्रिनेत्र गणेश जी के लिए EV based Transport System शुरू किया जायेगा।
36. राजस्थान की भूमि अपने मंदिरों एवं आस्था स्थलों के लिए सम्पूर्ण देश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक अलग ही आकर्षण रखती है। हमारी केन्द्र सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अयोध्या एवं काशी विश्वनाथ को श्रद्धालुओं की आस्था के अनुरूप भव्य बनाकर देश में एक नये उत्साह का संचार किया है। इसी तर्ज पर खाटूश्यामजी को भव्यता प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपये राशि का प्रावधान कर कार्य करवाये जाने की घोषणा करती हूँ।
37. माननीय सदस्यों को जानकर खुशी होगी कि प्रदेश में विभिन्न त्यौहारों जैसे—दीपावली, होली, शिवरात्रि एवं रामनवमी आदि को आमजन पूर्ण हर्षोल्लास के साथ—साथ श्रद्धा से मना सकें, इस दृष्टि से लगभग 600 मंदिरों में इन अवसरों पर विशेष साज—सज्जा व आरती के कार्यक्रम आयोजित किये जाना प्रस्तावित है। इस पर 13 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।
38. राज्य में मंदिरों के जीर्णोद्धार व धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न मंदिरों एवं धार्मिक स्थलों के विकास कार्य करवाये जायेंगे। ये कार्य हैं—

क्र.सं.	मंदिरों/धार्मिक स्थलों के कार्य
1.	हल्देश्वर महादेव मंदिर, सिवाना—बालोतरा; कैलादेवी मंदिर (झील का बाड़ा) व गंगा मंदिर—भरतपुर; सालासर—चूरू; मेहंदीपुर बालाजी—दौसा; राजरणछोड़ मंदिर—जोधपुर; माताजी मावलियान मंदिर, गणेश मंदिर व जमवाय माता मंदिर—जयपुर; डाढ़देवी मंदिर—कोटा; सोमनाथ महादेव मंदिर —पाली; गौतमेश्वर मंदिर (अरनोद)—प्रतापगढ़; करणी माताजी मंदिर व नीमच माताजी —उदयपुर; जीणमाता, शाकम्भरी—सीकर; मुरलीमनोहर मंदिर (द्वारिका)—गुजरात तथा राधामाधव मंदिर (जयपुर मंदिर) वृदावन का विकास
2.	पुष्कर—अजमेर में ब्रह्मा मंदिर कोरिडोर व सरोवर परिक्रमा मार्ग, तीर्थराज लोहार्गल (नवलगढ़)—झुंझुनू से बरखण्डी पर्वत तक Ropeway तथा चौबीस कोस परिक्रमा मार्ग, कृष्ण गमन पथ—बृज चौरासी परिक्रमा—डीग, रणछोड़राय खेड़ तीर्थ (पचपदरा) —बालोतरा तथा श्री महावीर जी—करौली में विभिन्न विकास कार्य
3.	धुधलेश्वर महादेव (गुड़मालानी)—बाड़मेर, मथुराधीश जी मंदिर—कोटा, केशवराय मंदिर (केशोरायपाटन)—बूंदी, अम्बे माता मंदिर, सिंदरू (सुमेरपुर)—पाली, प्रेम सागर तालाब सर्वाई भोज मंदिर (आर्सीद)—भीलवाड़ा एवं कपिल सरोवर (कोलायत)—बीकानेर के सौन्दर्यीकरण व आधारभूत सुविधाओं के कार्य

39. जनजाति आस्था केन्द्र सीताबाड़ी—बारां, कमलनाथ महादेव व

जावर माता मंदिर—उदयपुर के प्रांगण एवं आसपास के स्थलों का समग्र विकास तथा यात्रियों के लिए सुविधायें विकसित की जायेंगी।

40. छूंगरपुर तथा बांसवाड़ा में क्रमशः छूंगर बरंडा व बांसिया चारपोटा

जनजातीय नायकों के स्मारकों का एवं उदयपुर में वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय का निर्माण किया जायेगा। इन पर 25 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

साथ ही, छूंगरपुर में शिल्पग्राम बनाया जायेगा।

41. लोक कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए रवीन्द्र रंगमंच, जवाहर कला केन्द्र—जयपुर, लोक कला मण्डल—उदयपुर एवं विभिन्न कला—संगीत—साहित्य—भाषा अकादमियों का उन्नयन लगभग 30 करोड़ रुपये व्यय कर किया जायेगा। साथ ही, राज्य अभिलेखागार—बीकानेर में स्थित लगभग 40 करोड़ Historical Scripts का चरणबद्ध रूप से digitization किया जायेगा।

42. पर्यटन की दृष्टि से हमारा प्रदेश, देश—विदेश से आने वाले पर्यटकों की अग्रणी पसंद है। विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में दूर—दूर तक स्थित पर्यटन स्थलों तक सुगम पहुँच बनाने के लिए Civil Aviation के क्षेत्र में अपार संभावनायें हैं। इसे ध्यान में रखते हुए—

- I. यात्री सुविधा के लिए जयपुर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की terminal capacity 50 लाख से बढ़ाकर 70 लाख यात्री प्रतिवर्ष किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, जयपुर में नये State Terminal का निर्माण भी किया जायेगा।
- II. औद्योगिक नगरी—कोटा में Greenfield Airport का काम शुरू किया जायेगा।
- III. उदयपुर हवाई अड्डे के विकास एवं विस्तार तथा उत्तरलाई—बाड़मेर हवाई अड्डे पर स्थायी Civil Enclave व approach road के लिए भूमि निःशुल्क उपलब्ध करवायी जायेगी।
- IV. श्रीगंगानगर एवं झालावाड़ हवाई अड्डों के उन्नयन, repair एवं maintenance के कार्य कराये जायेंगे।
- V. किशनगढ़—अजमेर तथा हमीरगढ़—भीलवाड़ा में flying training शुरू की जायेगी।

वन एवं पर्यावरण :

43. प्रदेश में दीर्घकालीन विकास सुनिश्चित करने के लिए **Green-Growth** को प्राथमिकता देते हुए Sustainable Development Goals (SDGs) प्राप्त करना हमारा ध्येय है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी से अपेक्षा की है—

"We, the present generation, have the responsibility to act as a trustee of the rich natural wealth for the future generations. The issue is not merely about climate change; it is about climate justice."

अर्थात्—“हमारी वर्तमान पीढ़ी के पास समृद्ध प्राकृतिक संपदा के ट्रस्टी के रूप में कार्य करने की जिम्मेदारी है, जिससे यह संपदा भविष्य की पीढ़ियों को उपलब्ध हो सके। यह विषय केवल जलवायु परिवर्तन का नहीं है, बल्कि यह जलवायु न्याय का है।”

वर्ष 2023–24 के केन्द्र सरकार के बजट में अमृतकाल के लिए निर्धारित 7 प्राथमिकताओं (देश को अमृत काल में मार्गदर्शन देने वाले 'सप्तऋषि') में से एक 'Green-Growth' है। इसी क्रम में, सभी विकास योजनाओं में Green-Growth के सिद्धान्त का समावेश करने तथा पर्यावरण संरक्षण के साथ ही प्रदेश को 'हरित—राजस्थान' के रूप में उन्नति के पथ पर अग्रसर करने की दृष्टि से आगामी वर्ष से राज्य का '**Green Budget**' भी प्रस्तुत करने की मैं, घोषणा करती हूँ।

44. राजस्थान को हरित प्रदेश के रूप में विकसित करने की दृष्टि से वर्ष 2028 तक, वन क्षेत्र में 20 हजार हेक्टेयर की वृद्धि किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है। माननीय सदस्यों को विदित है कि सम्पूर्ण देश में पौधारोपण के साथ—साथ पौधों को जीवित रखने को बराबर का महत्व देने की दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस विश्व पर्यावरण दिवस

(5 जून, 2024) से 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान की शुरूआत की थी। इसी दिशा में, इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वृक्षारोपण महाभियान के माध्यम से हर परिवार को जोड़ते हुए 7 करोड़ पौधे लगाने व पालने का लक्ष्य रखा गया है।

45. इस क्रम को सतत रखने के लिए मैं, Multi-Sectoral Programme के रूप में **Mission 'हरियाळे—राजस्थान'** प्रारम्भ करने की घोषणा करती हूँ। इस मिशन के अन्तर्गत 5 वर्षों में लगभग 4 हजार करोड़ रुपये की राशि व्यय कर विभिन्न कार्य हाथ में लिये जायेंगे। ये कार्य हैं—

- I. प्रदेश में प्रतिवर्ष आवश्यक लगभग 10 करोड़ पौध तैयार करने के लिए 50 नई नर्सरियां स्थापित करने एवं वर्तमान में स्थापित 540 से अधिक नर्सरियों का संवर्द्धन करने के साथ ही, निजी क्षेत्र/पंचायत के अधीन नर्सरियों के लिए अनुदान की व्यवस्था भी की जायेगी।
- II. प्रत्येक जिले में आमजन की सहभागिता से एक—एक 'मातृ वन' की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही, **One District—One Species** कार्यक्रम लागू कर प्रत्येक जिले के लिए विशेष नरस्त की पौध वहां के पर्यावरण को देखते हुए तैयार की जायेगी।
- III. पौधों का समुचित पालन कर Survival सुनिश्चित करने के लिए 2 हजार स्थानीय व्यक्तियों को incentive के आधार पर 'वन मित्र' लगाया जायेगा तथा प्रत्येक क्षेत्र में इच्छुक retired कर्मचारी को Guardian के रूप में जिम्मेदारी दी जायेगी। साथ ही, इस दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों व संस्थाओं को सम्मानित भी किया जाना प्रस्तावित है।

- IV. महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत पर्यावरण संरक्षण, चरागाह विकास तथा वृक्षारोपण के कार्य एक हजार 650 करोड़ रुपये की राशि व्यय कर करवाये जायेंगे।
- V. प्रदेश के विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में शुद्ध एवं स्वच्छ प्राण वायु के लिए Urban Green Lungs की महत्ता को ध्यान में रखते हुए जयपुर, बीकानेर, भीलवाड़ा, भरतपुर, सीकर व उदयपुर के साथ ही विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में 175 करोड़ (एक सौ पचहत्तर करोड़) रुपये से अधिक की लागत से पौधारोपण तथा पार्क विकास के कार्य करवाये जायेंगे।
- VI. वन से होने वाले लाभ समस्त प्रदेश के साथ—साथ स्थानीय निवासियों को विशेषकर प्राप्त हो सकें, इस दृष्टि से Joint Forest Management Committees (JFMCs) को सशक्त करते हुए 'वन—धन कार्यक्रम' को प्राथमिकता दी जायेगी। इसके साथ ही, Block स्तर तक वन उपज एवं सम्बन्धित उत्पादों के विक्रय के लिए **Marketing Hubs** विकसित किये जायेंगे। इस कार्य को गति देने के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
- VII. वन विभाग के कार्मिकों, Joint Forest Management Committees (JFMCs) के सदस्यों सहित समस्त Stakeholders की प्रबन्धकीय योग्यता बढ़ाने की दृष्टि से झालाना—जयपुर में 40 करोड़ रुपये की लागत से **Forest and Wildlife Training cum Management Institute** की स्थापना की जायेगी।
- VIII. वन संरक्षण के अन्तर्गत नवाचार के रूप में **Forest Carbon Credits Certification Mechanism** स्थापित किया जायेगा।

46. राजस्थान देश में ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व में भी घना पक्षी अभयारण्य, Tigers एवं Leopards के साथ—साथ विभिन्न वन्यजीव प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। अतः प्रदेश की इस पहचान को और आगे ले जाने तथा वन्यजीवों के संरक्षण हेतु विभिन्न कार्य करवाये जायेंगे। ये कार्य हैं—

क्र.सं.	कार्य का नाम/विवरण
1.	5 बाघ परियोजना क्षेत्रों में 20 करोड़ रुपये की राशि व्यय कर Tiger Habitat सुधार के कार्यों के साथ ही Anti-Poaching Infrastructure सुदृढ़ किया जायेगा।
2.	पक्षियों के साथ—साथ अन्य जीव—जन्तुओं के अवलोकन व अध्ययन के लिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (घना)—भरतपुर के निकट Zoological Park (Zoo) एवं Aquarium की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु इस वर्ष DPR बनाकर कार्य हाथ में लिया जायेगा।
3.	नाहरगढ़ जैविक उद्यान—जयपुर में पर्यटकों द्वारा पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु Walk in Aviary 20 करोड़ रुपये की लागत से विकसित की जायेगी।
4.	गोडावण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय मरु उद्यान—जैसलमेर में गजाई माता, चौहानी, सुदासरी एवं रामदेवरा में नए enclosures स्थापित करने के साथ ही enclosures में Predator Proof Fencing की जायेगी।
5.	अलवर में Biological Park की स्थापना 25 करोड़ रुपये की लागत से की जायेगी।
6.	गांधी सागर अभयारण्य एवं भैंसरोडगढ़ अभयारण्य—चित्तौड़गढ़ एवं चम्बल अभयारण्य को कूनो नेशनल पार्क से जोड़ते हुए चीते के विचरण हेतु corridor एवं सफारी बनाने के लिए मध्यप्रदेश के साथ MoU करते हुए feasibility study करवायी जानी प्रस्तावित है।
7.	प्लास्टिक से पर्यावरण एवं वन्यजीवों को होने वाले नुकसान की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, Conservation Reserves, आरक्षित एवं रक्षित वन क्षेत्रों में 'single use plastic' पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जायेगा। साथ ही, विभिन्न पर्यटन/सार्वजनिक स्थलों पर 50 Plastic

	Bottle Flaking/Reserve Vending Machines की स्थापना की जायेगी।
8.	वन संरक्षण के साथ ही आमजन की सुविधा एवं अर्थव्यवस्था के विकास में बाधा दूर हो सके, इस दृष्टि से जयसमंद-उदयपुर, केसरबाग-धौलपुर, केवलादेव-भरतपुर एवं नाहरगढ़-जयपुर की तर्ज पर सरिस्का-अलवर, रणथम्भौर-सवाई माधोपुर एवं राष्ट्रीय चम्बल घड़ीयाल अभयारण्य-कोटा का Eco-Sensitive Zones के रूप में चिन्हिकरण कर मास्टर प्लान बनाया जायेगा।

47. प्रदूषण की रोकथाम एवं पर्यावरण संरक्षण हेतु—

- I. Clean cooking के प्रोत्साहन तथा cooking fuel के दबाव को कम करने के उद्देश्य से 50 प्रतिशत अनुदान पर 10 हजार solar/electric cooking systems वितरित किये जायेंगे। इस पर 15 करोड़ रुपये का व्यय होगा।
- II. शहरों में वायु की गुणवत्ता के पर्यवेक्षण के लिए जयपुर की तर्ज पर अलवर एवं भिवाड़ी में भी Early Warning Systems विकसित किये जायेंगे।

मानव संसाधन विकास :

48. प्रदेश के कोने-कोने में बसे परिवारों को शिक्षा, चिकित्सा व रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही वंचित वर्गों को सशक्त करना, जिससे कि वे अपने जीवन को खुशहाल बना सकें, हमारी सरकार का प्राथमिक लक्ष्य है। Rome के प्रसिद्ध प्रशासक व कानूनविद् Cicero (सिसरो) ने अपनी पुस्तक **De Legibus** में Latin में उल्लेख किया है—

"Salus populi suprema lex esto "

अर्थात् “लोगों का स्वास्थ्य, कल्याण, सहायता एवं खुशहाली

सर्वोच्च उद्देश्य होना चाहिए।”

प्रदेशवासियों की ओर अपने दायित्वों का निर्वहन करते समय हमें आज सबसे अधिक विचार अपने युवाओं के भविष्य के लिए करना है।

युवा विकास एवं कल्याण :

49. युवाओं के प्रेरणास्रोत स्वामी विवेकानन्द ने भी कहा था—

"A brave, frank, clean hearted, courageous and aspiring youth is the only foundation on which the future can be built."

अर्थात्— “बहादुर, स्पष्टवादी, साहसी, आकांक्षी एवं साफ दिल वाले युवा एकमात्र नींव है, जिस पर भविष्य का निर्माण हो सकता है।”

इस कारण युवाओं को और अधिक संबल प्रदान करने के लिए आवश्यकता है—

‘युवाओं के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास की,
शिक्षा व खेलों से शारीरिक एवं मानसिक विकास की,
कौशल एवं क्षमता को निखारने की,
रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने की।’

50. हमारी सरकार युवाओं के सुरक्षित भविष्य के लिए संवेदनशील है। हमने लेखानुदान प्रस्तुत करते समय लगभग 70 हजार पदों पर भर्तियाँ किये जाने की घोषणा की थी। हमारे इस कार्यकाल में लगभग 20 हजार युवाओं को नियुक्ति प्रदान की गई, जिनसे माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी द्वारा 29 जून, 2024 को संवाद कर जनसेवा के लिए प्रेरित किया गया। माननीय सदस्यों को अवगत कराते हुए मुझे हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हमने 5 वर्षों में 4 लाख भर्तियाँ करने का संकल्प लिया है और इस वर्ष के लक्ष्य को भी बढ़ाकर एक लाख से अधिक पदों पर भर्ती किया जाना प्रस्तावित है। हम हर वर्ष समयबद्ध रूप से भर्ती परीक्षायें कराकर युवाओं को रोजगार देने का कार्य करेंगे।

51. युवाओं के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास, उन्हें प्रोत्साहित करने तथा उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने की दृष्टि से 'युवा नीति—2024' लाये जाने की घोषणा करती हूँ। नवीन नीति के माध्यम से 5 वर्षों में समस्त युवा वर्ग को उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए—

- I. मैं, सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में, skill upgradation के साथ ही 10 लाख से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा करती हूँ।
- II. राज्य की विकास यात्रा में सम्मिलित होने के लिए युवाओं को AI (Artificial Intelligence) आधारित counselling की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही **apprenticeship/ internship programmes** संचालित किये जाना प्रस्तावित है।
- III. चयनित युवाओं को देश/विदेश में exposure visits के अवसर उपलब्ध करवाये जायेंगे।

52. युवाओं में कौशल क्षमता का विकास कर उन्हें employable बनाये जाने की दृष्टि से **State Skill Policy** लायी जाकर वर्तमान में प्रचलित पाठ्यक्रमों को relevant बनाते हुए प्रदेश में 2 वर्षों की अवधि में एक लाख 50 हजार से अधिक युवाओं को training करवायी जायेगी।

53. प्रदेश के युवाओं को startups स्थापित करने एवं 'Employment Provider' भी बनने हेतु प्रोत्साहन देने के लिए—

- I. मैं 'Atal Entrepreneurship Programme' चलाये जाने की घोषणा करती हूँ। इसके अन्तर्गत युवाओं को देश—विदेश के

- उत्कृष्ट CEOs की mentorship उपलब्ध कराने के साथ—साथ outreach exposure के भी अवसर उपलब्ध करवाये जायेंगे।
- II. इसके साथ ही, चयनित startups को 'Atal Entrepreneurship Programme' में i-Start Fund के तहत 10 करोड़ रुपये तक की funding सुविधा भी उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।
 - III. साथ ही, startups को equity funding के द्वारा financial support दिये जाने हेतु 100 करोड़ रुपये से **Fund of Funds** बनाया जाना प्रस्तावित है।
 - IV. Startups को विभिन्न विभागों से सीधे Work Order दिये जाने की प्रक्रिया का सरलीकरण कर i-start fund के अन्तर्गत 25 करोड़ रुपये की राशि का corpus fund बनाया जायेगा। साथ ही, Startups को सीधे sub-contracting के माध्यम से कार्य देने की सुविधा भी उपलब्ध करवायी जायेगी।
54. युवाओं के लिए नवीन तकनीकी क्षेत्रों में रोजगार के और अधिक अवसर सृजित करने की दृष्टि से हमारे द्वारा एक हजार करोड़ रुपये की लागत से जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर में **Atal Innovation Studios** और **Accelerators** स्थापित किये जा रहे हैं। इनके अन्तर्गत **Agriculture Accelerator Mission** प्रारम्भ करना भी प्रस्तावित है। इसी के साथ अब मैं, **AVGC-XR Policy (Animation, Visual Effects, Gaming, Comics-Extended Reality Policy)** लाने की घोषणा करती हूँ। इससे 5 वर्षों में 50 हजार से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।

55. हमारे प्रदेश का युवा बहुत innovative व उद्यमी है, परन्तु एक startup की यात्रा बहुत उतार-चढ़ाव भरी होती है। इसे ध्यान में रखते हुए startup founders व युवाओं की upskilling करने के साथ-साथ उनको skilled manpower उपलब्ध करवाने के लिए i-Start के अंतर्गत **Learn, Earn And Progress (LEAP) Programme** प्रारम्भ करने की घोषणा करती हूँ। इस हेतु 25 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

56. Young Age से ही उद्यमशीलता विकास सुनिश्चित करने के लिए विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में '**Business Innovation Programme**' चलाया जायेगा। इससे एक लाख से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। इस पर 20 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

57. प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने, युवाओं को गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण सुविधायें उपलब्ध कराने तथा उनके लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से नाचना (पोकरण)—जैसलमेर में नवीन ITI तथा बांदीकुई—दौसा, फागी—दूदू, वल्लभनगर—उदयपुर, निवाई—टोंक, मारवाड़ जंक्शन—पाली व गुड़मालानी—बाड़मेर में नवीन पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों सहित 2 वर्षों में 20 ITIs एवं 10 पॉलिटेक्निक महाविद्यालय खोले जाने की मैं, घोषणा करती हूँ।

58. प्रदेश में उत्कृष्ट तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु प्रथम चरण के रूप में भरतपुर, बीकानेर व अजमेर के Engineering Colleges का उन्नयन कर **Rajasthan Institute of Technology (RIT)** स्थापित करने की मैं, घोषणा करती हूँ। इन पर लगभग 300 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।

59. गुरु-शिष्य सम्बन्ध की परम्परा को पुनः स्थापित कर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा का स्तर सुधारने की दिशा में कदम उठाते हुए प्रदेश में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को 'कुलगुरु' की पदवी प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार तथा तकनीकी शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की दृष्टि से—

क्र.सं.	महाविद्यालय/ ITIs/ पॉलिटेक्निक
1.	महाविद्यालय— सरवाड़—अजमेर; गुलाबपुरा—भीलवाड़ा; राशमी (कपासन), डूंगला (बड़ी सादड़ी)—चित्तौड़गढ़; मौजमाबाद—दूर्दू; विद्याधर नगर—जयपुर; चामू (शेरगढ़)—जोधपुर; डग—झालावाड़; दीगोद (सांगोद), चेचट (रामगंजमण्डी)—कोटा; अरनोद—प्रतापगढ़ एवं रींगस—सीकर
2.	कन्या महाविद्यालय— कठूमर—अलवर; जहाजपुर—शाहपुरा; सिकराय—दौसा; फुलेरा—जयपुर; बिलाड़ा, ओसियां—जोधपुर; फलौदी एवं फलासिया—उदयपुर
3.	कृषि महाविद्यालय— चूरू; कुम्हेर—डीग एवं जमवारामगढ़—जयपुर में कृषि महाविद्यालय
4.	महाविद्यालयों में UG से PG में क्रमोन्नयन/ नवीन विषय/ संकाय – 25 महाविद्यालयों में नये विषय/ संकाय प्रारम्भ करने के साथ ही आहोर—जालोर, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड—जोधपुर, डेगाना—नागौर, कोटडा—उदयपुर महाविद्यालय तथा सिकराय—दौसा व सूरसागर—जोधपुर कन्या महाविद्यालय सहित 10 महाविद्यालयों का Under Graduate (UG) से Post Graduate (PG) में क्रमोन्नयन
5.	विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में आधारभूत सुविधाओं का विकास— विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में भवनों के निर्माण, उन्नयन एवं repair हेतु 125 करोड़ रुपये का व्यय चयनित विश्वविद्यालयों/ महाविद्यालयों में Smart Classrooms /ICT Labs की स्थापना के लिए 45 करोड़ (पैंतालीस करोड़) रुपये का व्यय

6.	<p>हिन्दी माध्यम में शिक्षा सुविधा—</p> <p>Medical Colleges में वंचित वर्गों के विद्यार्थी भी शिक्षा प्राप्त कर सकें, इस दृष्टि से हिन्दी माध्यम से भी शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था</p>
7.	<p>ITIs में आधारभूत सुविधायें—</p> <p>अनूपगढ़, खेतड़ी, भिवाड़ी, बालोतरा, नाथद्वारा, रत्नगढ़ व शाहपुरा —जयपुर सहित 30 ITIs में आधारभूत सुविधाओं के लिए 50 करोड़ रुपये का व्यय</p>
8.	<p>ITIs का आधुनिकीकरण—</p> <p>Manufacturing Sector में trained skilled workers उपलब्ध कराये जाने के लिए इस वर्ष private investment के माध्यम से 150 ITIs के modernization के लिए 965 करोड़ (नौ सौ पैंसठ करोड़) रुपये से अधिक का व्यय</p>
9.	<p>ITIs में नवीन Trades—</p> <p>अजमेर, किशनगढ़, भरतपुर, सांगानेर, खो—नागोरियान—जयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, झुंझुनूं, अलवर, जोधपुर, उदयपुर, ब्यावर, बीकानेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, रत्नगढ़, कोटपूतली, सीकर व श्रीगंगानगर की ITIs में 3D Printing/IoT (Internet of Things) / Fiber to Home Technician/ Multimedia/Animation आदि से सम्बन्धित Trades यथा आवश्यकता प्रारम्भ</p>
10.	<p>पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में नवीन Branches/ सीट क्षमता वृद्धि –</p> <p>बीकानेर, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़ व जैसलमेर के पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों में यथा आवश्यकता Computer Science/ Electrical / Civil / Chemical / Mining Engineering Branch खोलने के साथ ही, महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, बीकानेर में नये Non-Engineering पाठ्यक्रम,</p> <p>अलवर व जैसलमेर के पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में सीट क्षमता में वृद्धि</p>

60. प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से जनप्रतिनिधिगण के माध्यम से स्कूल शिक्षा की सुविधायें बढ़ाने सम्बन्धी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। आमजन की इस भावना को ध्यान में रखते हुए 50 नये प्राथमिक विद्यालय खोलने के साथ ही 100 विद्यालयों का क्रमोन्नयन तथा 100 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नवीन विषय प्रारम्भ करने की मैं, घोषणा करती हूँ। इसके अतिरिक्त, विद्यालयों में शिक्षा की सुविधाओं का उन्नयन करने की दृष्टि से—

- I. प्रदेश में 4 करस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के छात्रावास भवन, 5 नेताजी सुभाषचन्द्र बोस छात्रावासों तथा 138 भवन रहित विद्यालयों के भवनों का निर्माण करवाया जायेगा।
- II. Class-rooms, labs, Libraries एवं toilets के निर्माण हेतु 350 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। साथ ही, 750 विद्यालयों के भवनों की मरम्मत हेतु 100 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

61. प्रदेश के विभिन्न वंचित वर्गों के विद्यार्थियों को बेहतर आवासीय सुविधायें उपलब्ध करवाने की दृष्टि से छात्रावास/आवासीय विद्यालयों का निर्माण तथा आधारभूत सुविधायें विकसित करने सम्बन्धी कार्य करवाये जायेंगे। ये कार्य हैं—

क्र.सं.	छात्रावास/आवासीय विद्यालय/ अन्य आधारभूत सुविधायें
1.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सहित अन्य आवासीय विद्यालयों तथा छात्रावासों की repair व आवश्यक सामग्री के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान
2.	जर्जर भवन वाले 15 छात्रावासों के पुनर्निर्माण हेतु लगभग 45 करोड़ रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। ये स्थान हैं—प्रान्हेडा—केकड़ी, चाकसू—जयपुर, कोटा, धौलपुर, रैणी—अलवर, गजनपुरा—बारां, प्रतापगढ़, अरनोद—प्रतापगढ़, जोधपुर एवं पाटोदी—बालोतरा, दानपुर

	(छोटी सरवन)–बांसवाड़ा, कहारी (दौवड़ा) व डूंगरसारण (चिखली)–डूंगरपुर तथा फलासिया–उदयपुर।
3.	17 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का 77 करोड़ रुपये की लागत से उन्नयन एवं रखरखाव
4.	Migratory पशुपालकों हेतु पिण्डवाड़ा–सिरोही में आवासीय विद्यालय का निर्माण 28 करोड़ रुपये की लागत से। सुमेरपुर–पाली में घुमन्तू जातियों के लिए आवासीय विद्यालय
5.	बालिका गृहों में आवासित देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाली बालिकाओं हेतु जयपुर में राजकीय आवासीय विद्यालय
6.	बाली–पाली, कोटपूतली, पसोपा (नगर)–डीग में देवनारायण आवासीय विद्यालय देवला (कोटड़ा)–उदयपुर व जसवंतपुरा–जालोर में एकलव्य आवासीय विद्यालय
7.	शेरगढ़–जोधपुर में अनुसूचित जनजाति छात्रावास; सिकराय–दौसा में अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास; डग–झालावाड़ में अनुसूचित जाति छात्रावास; कठूमर–अलवर व तिजारा में देवनारायण बालिका छात्रावास; भटेश्वर (पिण्डवाड़ा)–सिरोही, पोषाणा–जालोर में जनजाति बालिका छात्रावास तथा मेर–मण्डवाड़ा–सिरोही में जनजाति छात्रावास।

62. राज्य में सभी वर्गों के राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालयों में आवासित छात्र–छात्राओं को देय मैस भत्ता (Mess Allowance) 2 हजार 500 रुपये से बढ़ाकर 3 हजार रुपये प्रतिमाह किये जाने की घोषणा करती हूँ। साथ ही, खेलकूद आवासीय विद्यालयों के खिलाड़ियों का मैस भत्ता (Mess Allowance) बढ़ाकर 4 हजार रुपये प्रतिमाह किया जाना प्रस्तावित है।

63. राजकीय विद्यालयों के मेधावी विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने की दृष्टि से 8वीं, 10वीं एवं 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में राज्य तथा जिला स्तरीय मेरिट में आने वाले 33 हजार (तीन लाख हजार) विद्यार्थियों को **Tablets with 3 years internet connectivity** निःशुल्क दिये जाने की में, घोषणा करती हूँ।

64. प्रदेश में संस्कृत शिक्षा के प्रोत्साहन एवं विस्तार हेतु—

- I. भवन विहीन 20 संस्कृत महाविद्यालयों हेतु भवन निर्माण कराये जायेंगे। इस हेतु लगभग 50 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।
- II. ज्योतिष एवं वास्तु विद्या के वैज्ञानिक पक्षों के अध्ययन एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, जयपुर में 10 करोड़ रुपये की लागत से **Centre of Excellence** शुरू किया जायेगा।
- III. रैवासा—सीकर में संचालित आदर्श वेद आवासीय विद्यालय की तर्ज पर संभाग स्तर पर चरणबद्ध रूप से आदर्श वेद विद्यालय स्थापित किये जाने प्रस्तावित हैं। साथ ही, वेद विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के मानदेय को 8 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रतिमाह किया जाना प्रस्तावित है।

65. युवा शक्ति के सर्वांगीण विकास में खेलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश में प्रत्येक स्तर पर खेलों के प्रोत्साहन हेतु समुचित वातावरण तैयार करने के लिए **Sports–Infrastructure, Science, Analysis, Counselling व Nutrition** का समावेश करते हुए 'खेल नीति—2024' लाने की में, घोषणा करती हूँ। इस खेल नीति के अन्तर्गत—

- I. राजस्थान खेल आधुनिकीकरण मिशन की स्थापना करते हुए खेल क्षेत्र के लिए गत वर्ष प्रावधित 475 करोड़ (चार सौ पचहत्तर करोड़) रुपये की बजट राशि को चरणबद्ध रूप से दुगुना किया जाना प्रस्तावित है।
- II. प्रदेश में Coaches एवं Sports Specialists तैयार करने के लिए **Maharana Pratap Sports University** स्थापित किये जाने की मैं, घोषणा करती हूँ। इस पर 250 करोड़ (दो सौ पचास करोड़) रुपये व्यय होंगे। इसके साथ ही, संभागीय स्तर पर **Sports Colleges** की भी स्थापना 50–50 करोड़ रुपये की राशि से की जानी प्रस्तावित है।
- III. प्रदेश में '**One District-One Sport' Scheme** लागू करते हुए प्रत्येक जिले में चरणबद्ध रूप से प्रचलित खेलों की अकादमी स्थापित करने की घोषणा करती हूँ।
- IV. हमारे द्वारा प्रदेश का नाम Sports के क्षेत्र में उन्नति के शिखर पर ले जाने के लिए 'Misson Olympic' प्रारम्भ करने की घोषणा की गई थी। इसके अन्तर्गत केन्द्र सरकार के '**Target Olympic Podium (TOP) योजना**' के अनुरूप सुविधायें उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।
- V. प्रदेश के खिलाड़ियों को समुचित security coverage उपलब्ध कराने के दृष्टिगत **Sports Life Insurance Scheme** लागू किया जाना प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत अन्तरराष्ट्रीय पदक विजेताओं को श्रेणीवार 25 लाख रुपये तक का दुर्घटना व जीवन बीमा कवरेज दिया जायेगा।

- VI. उत्कृष्ट खिलाड़ियों को अन्तरराष्ट्रीय स्तर की training एवं practice सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर में **State of the Art Ultra Fitness Centre** स्थापित किया जायेगा। साथ ही, राज्य स्तर के खिलाड़ियों के लिए physical rehab हेतु जयपुर में 15 करोड़ रुपये व्यय कर समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
- VII. चयनित विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में आवश्यक sports infrastructure एवं equipments की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए PTI/Coaches की समुचित व्यवस्था की जायेगी।
- VIII. ग्रामीण युवाओं को खेल प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने की दृष्टि से ग्राम पंचायत स्तर पर चरणबद्ध रूप से open gyms व खेल मैदान बनाये जायेंगे। प्रथम चरण में, 10 हजार से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों पर ये सुविधायें विकसित की जायेंगी।
- IX. खिलाड़ियों के Sports Certificates के लिए Digital Repository बनायी जायेगी।
- X. प्रस्तावित खेल नीति के अन्तर्गत **Para Athletes** के लिए पृथक से विशेष प्रावधान किये जायेंगे।
- XI. साथ ही, प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर स्टेडियम, ट्रैक, खेल अकादमी आदि की स्थापना/उन्नयन का कार्य किया जायेगा। ये कार्य हैं—

क्र.सं.	कार्य का नाम/विवरण
1.	सिंथेटिक ट्रैक—सांगानेर—जयपुर में सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण
2.	खेल स्टेडियम—मसूदा—ब्यावर, बनेड़ा—शाहपुरा, गजसिंहपुर (करणपुर)—श्रीगंगानगर, डेगाना—नागौर, भादरा—हनुमानगढ़, चाकसू, बगरू, जयसिंहपुरा खोर—जयपुर में खेल स्टेडियम का निर्माण
3.	खेल अकादमी—शाहपुरा में खेल अकादमी

4.	उन्नयन/आधुनिकीकरण कार्य—जगतपुरा—जयपुर स्थित Shooting Range तथा विद्याधरनगर स्टेडियम—जयपुर का upgradation तथा श्रीराम स्टेडियम—बारां व सादुलशहर—श्रीगंगानगर खेल स्टेडियम को विकसित कर अत्याधुनिक किये जाने का कार्य
----	--

66. 'खेलो इण्डिया Youth Games' की तर्ज पर प्रदेश में पारम्परिक खेलों (Traditional and Indigenous Games) को शामिल करते हुए ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर प्रतिवर्ष 'खेलो राजस्थान Youth Games' का आयोजन किये जाने की मैं, घोषणा करती हूँ। इस हेतु 50 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष व्यय किये जायेंगे।

67. राष्ट्रीय युवा महोत्सव की तर्ज पर Youth Day (12 जनवरी) के अवसर पर राज्य युवा महोत्सव आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार की भाँति **Rajasthan Youth Icon Award** दिया जायेगा।

68. प्रदेश के युवाओं में नशे की बढ़ती लत चिन्ता का विषय है। इसे ध्यान में रखते हुए श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर व बाड़मेर सहित 10 जिलों में 25—25 बेड क्षमता के नशामुक्ति केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। इन पर 10 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य :

69. माननीय सदस्यों को मुझे यह जानकारी देते हुए अत्यधिक प्रसन्नता है कि प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं का और अधिक विस्तार करने के लिए इस वित्तीय वर्ष के बजट में 27 हजार 660 करोड़ (सत्ताइस हजार छः सौ साठ करोड़) रुपये का प्रावधान अर्थात् पूरे बजट का 8.26 प्रतिशत भाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए प्रावधित है।

70. हमारी केन्द्र की सरकार ने 'आयुष्मान भारत योजना' लागू कर देश में आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने की दिशा में क्रान्तिकारी पहल की थी। इसी क्रम में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (**MAA Yojana**) लागू कर केंसर जैसी गम्भीर बीमारियों से ग्रसित रोगियों को और अधिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराते हुए IPD के साथ—साथ '**Day Care**' Packages जोड़ने की व्यवस्था की गयी है। MAA Yojana के माध्यम से आमजन को और अधिक राहत देने के लिए अब—

- I. शिशुओं एवं छोटे बच्चों के इलाज के लिए नये Paediatric Packages जोड़े जायेंगे।
- II. छोटे और दूरस्थ स्थानों पर समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निजी चिकित्सा संस्थानों के वर्तमान Empanelment Norms में शिथिलन (relaxation) दिया जायेगा।
- III. कतिपय Packages की दरों का rationalization किया जाना प्रस्तावित है।

71. साथ ही, सम्पूर्ण प्रदेश में गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व जांच के साथ बेहतर चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (**MAA**) Voucher योजना' लागू किये जाने की घोषणा करती हूँ।

72. प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में भी आमजन को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो सके, इसके लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक—एक 'आयुष्मान मॉडल सीएचसी' स्थापित किये जाने की मैं, घोषणा करती हूँ। इन चिकित्सा

संस्थानों में विभिन्न आवश्यक सुविधाओं के साथ—साथ मानवीय दृष्टिकोण से मोर्चरी का निर्माण भी प्रस्तावित है। इन पर 125 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

73. प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन के लिए 'मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (MAA) Health Infrastructure Mission' प्रारम्भ कर आगामी 3 वर्षों में 15 हजार करोड़ रुपये के कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं। इसके अन्तर्गत Super-speciality/Tertiary Care चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा संस्थानों के क्रमोन्नयन, स्थापना, भवन निर्माण एवं repair व maintenance तथा आयुष चिकित्सा सुविधा कार्य करवाये जायेंगे। ये कार्य हैं—

A. Super-speciality/Tertiary Care चिकित्सा सुविधा—

क्र.सं.	Super-speciality/Tertiary Care चिकित्सा सुविधा
1.	जयपुर स्थित सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय के अधीन निर्माणाधीन एक हजार 200 bedded IPD Tower की सुविधायें आमजन को उपलब्ध हो सकें, इसके लिए आयुष्मान टावर को और अधिक सुविधायुक्त बनाने, आवश्यक उपकरणों आदि की खरीद करने तथा मरीजों एवं उनके परिजनों को समुचित वाहन पार्किंग सुविधा सुलभ कराने के लिए लगभग 200 करोड़ रुपये व्यय किये जाने प्रस्तावित
2.	Rajasthan University of Health Sciences (RUHS) में Super-Speciality सेवायें उपलब्ध कराने के लिए 200 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे। साथ ही, MVT के तहत विभिन्न स्थानों पर PPP के माध्यम से Super-Speciality Hospitals, Medical Colleges आदि बनाये जाने की योजना
3.	मेडिकल कॉलेज, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर एवं कोटा में Spinal Injury Centres की स्थापना, इस पर लगभग 10 करोड़ रुपये व्यय
4.	JLN चिकित्सालय—अजमेर में Super-Speciality Block की स्थापना, SMS अस्पताल—जयपुर में Palliative Care Unit, Rheumatology

	Lab की स्थापना एवं ENT Wing का उन्नयन, कांवटिया व जयपुरिया अस्पताल—जयपुर एवं SDM अस्पताल—बीकानेर का उन्नयन, मथुरादास माथुर अस्पताल—जोधपुर एवं RBM अस्पताल—भरतपुर में आधारभूत सुविधाओं के कार्य
5.	श्रीगंगानगर में कैंसर Wing एवं गंगाशहर अस्पताल—बीकानेर में प्रसव वार्ड की स्थापना, अलवर अस्पताल में शिशु विभाग, कुचामन जिला अस्पताल में कार्डियक यूनिट तथा SRG अस्पताल—झालावाड़, RK जिला अस्पताल—राजसमंद, कोटा अस्पताल, अम्बामाता चिकित्सालय —उदयपुर का उन्नयन
6.	Rare Diseases के निदान एवं उपचार हेतु जे के लोन अस्पताल—जयपुर में 22 करोड़ (बाइस करोड़) रुपये की लागत से Centre of Excellence for Medical Genetics
7.	मेडिकल कॉलेज अस्पतालों/जिला अस्पतालों में सभी प्रकार की जांचों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए चरणबद्ध रूप से out sourced model पर diagnostic labs
8.	29 (उनतीस) मेडिकल कॉलेज अस्पतालों/जिला अस्पतालों में Lactation Management Units

B. चिकित्सा संस्थानों के क्रमोन्नयन, स्थापना, भवन निर्माण एवं repair व maintenance के कार्य—

क्र.सं.	चिकित्सा संस्थान/कार्य
1.	उप जिला चिकित्सालयों से जिला चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन—चौहटन—बाड़मेर, नदबई—भरतपुर, बाली, सोजत—पाली, लोहावट—फलौदी, सांचौर। सैटेलाइट चिकित्सालयों से जिला चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन—सांगानेर—जयपुर व झालरापाटन—झालावाड़। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों से जिला चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन—भिण्डर—उदयपुर।

2.	<p>सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों से उप जिला चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन—परतापुर (गढ़ी), आनन्दपुरी—बांसवाड़ा, लूणकरणसर, खाजूवाला, बजू (कोलायत)—बीकानेर, जैतारण, मसूदा—ब्यावर; छबड़ा—बारां, हमीरगढ़ (सहाड़ा), बिजोलिया, माण्डलगढ़—भीलवाड़ा, बयाना, रूपवास (बयाना)—भरतपुर, कामां, कुम्हेर—डीग, बिलाड़ा—जोधपुर, भीनमाल—जालोर, बगरू—जयपुर, डग, पिडावा—झालावाड़, टोडाभीम—गंगापुर सिटी, पावटा—कोटपूतली बहरोड़, सपोटरा—करौली, काशीपुरी (सांगोद)—कोटा, टोडारायसिंह—केकड़ी, तिजारा—खेरथल तिजारा, खींवसर, मेड़ता सिटी—नागौर, सुमेरपुर—पाली, धरियावद—प्रतापगढ़, देवगढ़, आमेट—राजसमंद, जहाजपुर—शाहपुरा, लोसल, रींगस—सीकर, आबूरोड—सिरोही, देवली, मालपुरा, निवाई—टोंक एवं कोटड़ा, झाड़ोल—उदयपुर।</p> <p>शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से सैटेलाइट चिकित्सालय में क्रमोन्नयन—गढ़ चूरू—चूरू, सुरसागर—जोधपुर।</p>
3.	नवीन सैटेलाइट चिकित्सालय—विद्याधर नगर, झोटवाड़ा—जयपुर।
4.	<p>प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नयन—मंगलवाड़—चित्तौड़गढ़; गागरडू—दूदू; सांथा (महवा), श्यामपुरा (लालसोट)—दौसा; खोह—डीग; निवाणा (शाहपुरा), हरमाड़ा, नींदड़, —जयपुर; जयसिंहपुरा (विराटनगर), राजनौता, गोनेड़ा—कोटपूतली बहरोड़; सेखाला, केतुकलां (शेरगढ़), कुड़ी भक्तासनी, चेराई (ओसियां)—जोधपुर; सांगरिया (पिड़ावा)—झालावाड़; भडौदाकलां—झुंझुनूं भूती (आहोर)—जालोर; भैरुंदा, खुड़ीकलां (डेगाना)—नागौर; मेहाड़ा (खेतड़ी)—नीमकाथाना; खिंवाड़ा (मारवाड़ जंक्शन)—पाली; सुहागपुरा—प्रतापगढ़; सरदारगढ़ (कुम्भलगढ़), कुंवारिया—राजसमंद; देवपुरा, जावद—सलूम्बर; धनूर (श्रीकरणपुर)—श्रीगंगानगर एवं कैलाश नगर—सिरोही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र।</p>
5.	नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र—रावां (छबड़ा)—बारां; खारी (गुड़मालानी)—बाड़ेमर; तुहिया, बिलौठी (नदबई)—भरतपुर;

	बरबोदनिया (सागवाड़ा)—झूंगरपुर; चौक (पोकरण)—जैसलमेर एवं दोसोद (नीमराणा)—कोटपूतली बहरोड़
6.	उप स्वास्थ्य केन्द्रों से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नयन— नाकोड़ा (सिवाना)—बालोतरा; अटारी (नदबई)—भरतपुर; अमरगढ़ (जहाजपुर)—शाहपुरा; ममाणा—दूदू; खोरंडी—डीडवाना कुचामन; खुशखेड़ा—खैरथल तिजारा; नोरवा (आहोर)—जालोर; चौखा—जोधपुर; लखा (फतेहगढ़)—जैसलमेर; भिलवाड़ी (भवानीमंडी)—झालावाड़; गुडला—करौली; मोर—केकड़ी; सोनेली, चाऊ (जायल)—नागौर; राज्यावास—राजसमंद; सरदार नगर (बनेड़ा)—शाहपुरा एवं झाड़ली (मालपुरा)—टोंक उप स्वास्थ्य केन्द्र।
7.	स्वास्थ्य केन्द्रों का उन्नयन— सिणधरी (सिवाना)—बालोतरा; बगड़ी नगर (सोजत)—पाली, जेके लोन अस्पताल—जयपुर व मौलासर—डीडवाना सहित 25 स्वास्थ्य केन्द्रों में Bed Strength बढ़ाये जाना एवं 15 नये स्वास्थ्य उप केन्द्र खोलना
8.	चरणबद्ध रूप से 300 करोड़ रुपये की लागत से भवन निर्माण— जिला अस्पताल—किशनगढ़—अजमेर, बालोतरा, रतनगढ़—चूरू, दूदू गंगापुर सिटी, केकड़ी, कुचामन, डीडवाना, नीमकाथाना, फलोदी, कोटा, नोखा—बीकानेर, सलूम्बर, सांचौर, शाहपुरा। उप जिला अस्पताल—कुशलगढ़—बांसवाड़ा, वैर—भरतपुर, कोलायत—बीकानेर, तारानगर—चूरू, राजाखेड़ा—धौलपुर, भादरा—हनुमानगढ़, किशनगढ़—रेनवाल—जयपुर, चिड़ावा—झुंझुनूं खेतड़ी—नीमकाथाना, मंडरायल—करौली, कपासन—चित्तौड़गढ़, जायल—नागौर व खाटू श्यामजी—सीकर। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र—कुण्डल—दौसा, चौथ का बरवाड़ा—सवाई माधोपुर, रास—ब्यावर, जयसिंहपुरा खोर—जयपुर, थांवला—नागौर व चूपना—प्रतापगढ़, बुचावास—दौसा व राशमी—चित्तौड़गढ़ सहित 30 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र।

9.	Repair व maintenance सम्बन्धी कार्य—विभिन्न चिकित्सा संस्थानों यथा—जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल, MCH, CHC आदि के लिए चरणबद्ध रूप से 2 वर्षों में 150 करोड़ रुपये की लागत से।
----	--

C. आयुष चिकित्सा सुविधा—

क्र.सं.	आयुष चिकित्सा सुविधा
1.	अजमेर में आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना, महावा—दौसा में आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय
2.	ब्यावर, दूदू डीग, डीडवाना—कुचामन, सांचौर, नीमकाथाना, गंगापुर सिटी व केकड़ी में पूर्व में संचालित (Hospitals) आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी औषधालय/चिकित्सालयों को चरणबद्ध रूप से जिला आयुष चिकित्सालयों में क्रमोन्नत
3.	Electropathy विधा के सम्बन्ध में परीक्षण कर नियम बनाने की कार्यवाही की जायेगी।

74. प्रदेशवासियों को बेहतर Medical Consultancy उपलब्ध कराने, समस्त स्वास्थ्य सम्बन्धी रिकार्ड उन्हें online उपलब्ध कराने, चिकित्सालयों में लग रही कतारों/प्रतीक्षा समय में कमी लाने तथा चिकित्सा क्षेत्र में data आधारित research की सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से मैं, **Rajasthan Digital Health Mission** प्रारम्भ करने की घोषणा करती हूँ। Mission के अन्तर्गत प्रदेशवासियों का PHC स्तर पर स्वास्थ्य परीक्षण कर e-Health Record भी बनाया जाना प्रस्तावित है।

75. प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए एक हजार 500 चिकित्सकों तथा 4 हजार नर्सिंग कर्मियों के नये पदों का सृजन किया जायेगा। साथ ही, RajMES के अन्तर्गत भी राज्य सरकार के नियमों को adopt किया जाना प्रस्तावित है।

सड़क सुरक्षा :

76. प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं एवं उनसे होने वाली मृत्यु में कमी लाने तथा सड़क सुरक्षा की दृष्टि से—

- I. वर्तमान में निष्क्रिय पड़े Trauma Centres में से इस वर्ष 10 Centres को आवश्यक उपकरण एवं चिकित्साकर्मी उपलब्ध करा operational किया जायेगा। साथ ही, RUHS—जयपुर, कोलाना (बांदीकुई)—दौसा, साण्डेराव, देसूरी—पाली व प्रतापगढ़ सहित 6 नये **Trauma Centres** स्थापित किये जायेंगे। राजमार्गों पर दुर्घटनाओं के दौरान मानव जीवन बचाने हेतु 25 अतिरिक्त Advanced Life Support Ambulances भी उपलब्ध करवायी जायेंगी।
- II. Road Safety हेतु विभिन्न विभागों में समन्वय सुनिश्चित कर त्वरित कार्यवाही सम्पादित करने की दृष्टि से प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर **Road Safety Task Force** का गठन किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल पहुंचाकर जीवन रक्षा करने वाले **Good Samaritans** को देय प्रोत्साहन राशि को 5 हजार रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये किया जायेगा।
- III. PM गतिशक्ति योजना के अंतर्गत जयपुर—दिल्ली एवं जयपुर—भरतपुर राष्ट्रीय राजमार्गों (NH-48 व NH-21) के साथ ही 4 State Highways पर Intelligent Traffic Management System (ITMS) लागू किया जाना प्रस्तावित है।

सामाजिक सुरक्षा :

77. मैं, माननीय सदन को भूदान अभियान के प्रणेता, भारत रत्न आचार्य विनोबा भावे का कथन याद दिलाना चाहूँगी –

“वास्तविक उन्नति तभी की जा सकती है, जब उसका लाभ सभी को प्राप्त हो, ना कि कुछ तक ही सीमित रहे।”

इसी विचार को सरकार का केन्द्र बिन्दु बनाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है—

“आज की सरकार का ध्येय है—**Nation First – Citizen First.**

आज की सरकार की प्राथमिकता है—वंचितों को वरीयता।”

78. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विकास एवं सशक्तीकरण के लिए प्रावधित SCSP एवं TSP Funds की एक-एक हजार करोड़ रुपये की राशि को बढ़ाकर एक हजार 500 करोड़ रुपये करने की मैं, घोषणा करती हूँ।

79. प्रदेश में आधारभूत संरचना के विकास को गति देने के साथ ही, हमारा यह भी प्रयास रहेगा कि दूरस्थ क्षेत्रों तथा वंचित वर्ग के habitations में भी सभी बुनियादी सुविधायें उपलब्ध हों। इसी क्रम में, प्रथम चरण के रूप में 10 हजार से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में वंचित वर्ग की आबादी की आधारभूत संरचनाओं यथा—Internal Road, पेयजल, Solid Waste Management आदि के लिए 200 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ बाबा साहेब अम्बेडकर आदर्श ग्राम विकास योजना प्रारम्भ किये जाने की मैं, घोषणा करती हूँ।

80. प्रदेश में अनुसूचित क्षेत्र (TSP) में निवासरत जनजाति के परिवारों के समग्र विकास के लिए 75 (पचहत्तर) करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ गोविन्द गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना शुरू किये जाने की घोषणा करती है। इसके अन्तर्गत आदिवासियों के जल-जंगल-जमीन से जुड़ाव को दृष्टिगत रखते हुए वन क्षेत्र में सामुदायिक पट्टे (Community Forest Rights) दिए जाकर Community Centre, आंगनबाड़ी, Agro Forestry, चरागाह विकास तथा अन्य सामुदायिक कार्य करवाये जायेंगे।

81. शहरी क्षेत्रों में Street Vendors को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सम्पूर्ण देश के लिए लागू की गई 'प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना' की तर्ज पर प्रदेश में शहरी क्षेत्रों एवं कस्बों में Street Vendors के साथ ही अन्य जरूरतमंद एवं असहाय परिवारों के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना लागू करने की घोषणा करती है।

82. प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लाभार्थियों को राहत दिये जाने के उद्देश्य से 25 हजार रुपये प्रति लाभार्थी अतिरिक्त अनुदान दिये जाने की घोषणा करती है।

83. स्थायी आश्रय और आवास से वंचित denotified tribes के परिवारों हेतु मुख्यमंत्री घुमन्तू आवासीय योजना लागू किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 30 जनवरी, 2024 को राज्यपाल अभिभाषण पर बहस का उत्तर देते समय की गई पाक विस्थापितों को आवास उपलब्ध कराने की घोषणा के क्रम में ऐसे परिवारों हेतु भी एक लाख रुपये प्रति परिवार की सहायता उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

84. आज के आधुनिक युग में e-Commerce तथा Online सेवा प्रदायगी (Service Delivery) का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है तथा अधिक से अधिक युवा इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर पा रहे हैं। किन्तु, इन सेवाओं को उपलब्ध कराने वाली देश-विदेश की बड़ी कम्पनियों द्वारा इन युवाओं की सामाजिक सुरक्षा तथा उन्नति का समुचित प्रबन्ध नहीं किया जाता है। ऐसे युवाओं को संबल प्रदान करने के लिए इन कम्पनियों से प्रति Transaction, Social Security Charge लेते हुए 250 करोड़ रुपये की निधि का गठन किया जाना प्रस्तावित है।

85. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का यह स्पष्ट अभिमत रहा है कि देश में आर्थिक रूप से पिछड़ा परिवार, चाहे किसी भी वर्ग से आता हो, उसे संबल प्रदान करना, लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनी हुई सरकार का प्रथम दायित्व है। इसी क्रम में EWS वर्ग के युवाओं की शिक्षा एवं रोजगार, बालिकाओं के संबलन तथा परिवारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान करने की मैं, घोषणा करती हूँ।

86. प्रदेश के विभिन्न वर्गों के उत्थान एवं राहत प्रदान करने हेतु—

- I. अनुसूचित जाति/जनजाति विकास निगम, अन्य पिछड़ी जाति विकास निगम एवं अल्पसंख्यक विकास निगम के माध्यम से SC, ST, OBC, सफाई कर्मचारी, अल्पसंख्यक समुदाय एवं दिव्यांगजन के जरूरतमंद परिवारों को रियायती दर पर ऋण उपलब्ध करवाने के लिए सरकार द्वारा इन निगमों को 100 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध करवायी जानी प्रस्तावित है।
- II. साथ ही, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) के व्यक्तियों को भी रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाने हेतु 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

87. माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे कि महिला सशक्तीकरण एक ऐसा विषय है, जिस पर एकमत होकर प्राथमिकता से कदम उठाने आवश्यक हैं। United Nations के पूर्व Secretary General, नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता श्री कोफी अन्नान ने कहा था—

"Gender equality is more than a goal in itself. It is a precondition for meeting the challenge of reducing poverty, promoting sustainable development and building good governance."

अर्थात्—“लैंगिक समानता अपने आप में एक लक्ष्य से बढ़कर है। यह गरीबी कम करने, सतत विकास को बढ़ाने तथा सुशासन के निर्माण की चुनौतियों का सामना करने की पहली शर्त है।”

हम बालिका के जन्म लेने के साथ ही उसके संबलन हेतु सशक्त कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

88. आंगनबाड़ी केन्द्रों पर आने वाले लगभग 36 लाख (छत्तीस लाख) बच्चों को उचित पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने हेतु सप्ताह में 3 दिन दूध उपलब्ध करवाये जाने की मैं, घोषणा करती हूँ। इस हेतु क्रय किये जाने वाले milk powder पर 200 करोड़ रुपये वार्षिक व्यय किये जायेंगे।

89. प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रों के विकास व विस्तार तथा आधारभूत सुविधायें विकसित किये जाने के लिए—

- I. प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5—5 नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने प्रस्तावित हैं।
- II. प्रदेश में चरणबद्ध रूप से प्रत्येक आंगनबाड़ी में शुद्ध पेयजल, बिजली एवं बच्चों को गरम पोषाहार उपलब्ध कराने हेतु गैस की व्यवस्था की जानी प्रस्तावित है। इस क्रम में, प्रथम चरण में इस वर्ष

2 हजार केन्द्रों का आदर्श आंगनबाड़ी के रूप में उन्नयन किया जायेगा। इस पर लगभग 40 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

90. जनजाति समुदाय के बच्चों हेतु 250 नवीन माँ-बाड़ी केन्द्रों की स्थापना भी की जानी प्रस्तावित है।

91. महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण व आजीविका संवर्द्धन के लिए—

- I. माननीय सदस्यों को जानकर खुशी होगी कि इस हेतु शुरू की गई 'लखपति दीदी योजना' के अन्तर्गत इस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य को 5 लाख से बढ़ाकर कर 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाया जाना प्रस्तावित है।
- II. हमने 5 वर्षों में 2 लाख नये Self Help Groups (SHGs) के गठन का संकल्प लिया है। प्रथम चरण में, इस वर्ष 25 हजार समूहों को revolving fund एवं 15 हजार समूहों को आजीविका संवर्धन राशि (Community Investment Fund) उपलब्ध करवाते हुए 40 हजार नवीन SHGs गठित किया जाना प्रस्तावित है। इस पर लगभग 300 करोड़ रुपये का व्यय होगा।
- III. Self Help Groups (SHGs) की महिलाओं को राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कॉपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के माध्यम से विभिन्न योजनाओं में 300 करोड़ रुपये का ऋण रियायती दर—2.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर दिया जाना प्रस्तावित है।
- IV. जिला स्तर पर चरणबद्ध रूप से कामकाजी महिलाओं के लिए Hostel एवं Paying Guest सुविधा उपलब्ध करवायी जाने के लिए 35 करोड़ (पैंतीस करोड़) रुपये का प्रावधान किया जायेगा।

V. बालिकाओं को अधिक संख्या में सेना, अर्द्ध सैनिक बलों एवं पुलिस में जाने हेतु आवश्यक सुविधायें देने की दृष्टि से संभागीय स्तर पर चरणबद्ध रूप से बालिका सैनिक स्कूल स्थापित किये जाने की घोषणा करती हूँ।

92. प्रदेश में विशेष योग्यजन को संबल प्रदान करने की दृष्टि से—
- I. दिव्यांगजन को 20 हजार रुपये तक के Artificial Limbs / Equipment उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु कार्यरत संस्थाओं के माध्यम से शिविर आयोजित किये जायेंगे। इससे लगभग 50 हजार दिव्यांगजन लाभान्वित होंगे।
 - II. Intellectual Disability वाले विद्यार्थियों को विशेष Learning Kits, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को AI/AR आधारित Smart Glasses तथा श्रवणबाधित विद्यार्थियों को Digital Hearing Aids उपलब्ध करवाये जायेंगे।
 - III. साथ ही, युवा दिव्यांगों को संबल प्रदान करने की दृष्टि से 2 हजार दिव्यांगजन को Scooty दिये जाने की में, घोषणा करती हूँ।
93. Rare Disease से ग्रसित व्यक्तियों के लिए राहत पैकेज के अन्तर्गत—
- I. प्रदेश में 50 करोड़ रुपये की राशि से **Rare Disease Fund** बनाये जाने की घोषणा करती हूँ।
 - II. Muscular Dystrophy से पीड़ित व्यक्तियों को Electrical/ Power/ Wheel Chair हेतु एक लाख रुपये की सहायता दिया जाना प्रस्तावित है।

III. Muscular Dystrophy से ग्रसित रोगी के साथ Attendant (सहयोगी) को रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जायेगी।

94. दिव्यांगजनों एवं वंचित वर्गों की सुविधाओं का उन्नयन करने की दृष्टि से वर्तमान में संचालित जामडोली—जयपुर परिसर का विस्तार व सुदृढ़ीकरण करते हुए मैं, यहाँ 'स्वयंसिद्धा Centre of Excellence' स्थापित करने की घोषणा करती हूँ। इस हेतु चरणबद्ध रूप से 200 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है। इसके साथ ही, संभाग स्तर पर वृद्ध एवं असहाय व्यक्तियों की देखभाल, संरक्षण व पुनर्वास हेतु 50–50 क्षमता के 'स्वयंसिद्धा आश्रम' स्थापित किये जाने प्रस्तावित हैं।

95. स्वतंत्रता सेनानियों को वर्तमान में देय सम्मान पेंशन राशि 50 हजार रुपये को बढ़ाकर अब मैं, 60 हजार रुपये प्रतिमाह किये जाने की घोषणा करती हूँ। साथ ही, द्वितीय विश्व युद्ध के शहीदों की पेंशन राशि को 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रतिमाह किया जाना प्रस्तावित है।

सुशासन :

96. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने शासन/सुशासन के सम्बन्ध में कहा है—

"हमने सत्ता के Mindset को भी बदला है।

हम सेवा का Mindset लेकर आये हैं।

हमने गरीब कल्याण को अपना माध्यम बनाया है।

हमने तुष्टिकरण नहीं बल्कि सन्तुष्टिकरण को अपना आधार बनाया है।"

97. राजस्थान के विस्तार एवं विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण दूरस्थ क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों तक अपनी पहुँच बनाकर उन्हें Door-Step Service Delivery उपलब्ध कराना, जटिल कार्य होने के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इस दिशा में कार्य प्रारम्भ कर दिया है। प्रदेश में सुशासन स्थापित करने हेतु प्रशासनिक तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए—

- I. प्रशासन की mobility बढ़ाने हेतु विभिन्न विभागों में इस वित्तीय वर्ष में 250 वाहन उपलब्ध करवाये जायेंगे।
- II. साथ ही, विभिन्न विभागों में efficiency एवं transparency बढ़ाने के लिए कार्यालयों तथा कार्मिकों को उपलब्ध कराये जाने वाले IT Equipments यथा Desktops, Printers, Laptops एवं Tablets के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
- III. जिला स्तर पर आमजन को समस्त विभागों से सम्बन्धित सेवा एवं समस्याओं के लिए एक ही स्थान पर अधिकारियों से सम्पर्क करने व सुनवाई में समिलित होने की सुविधा प्राप्त हो सके, इस दृष्टि से प्रारम्भिक रूप से भरतपुर में Integrated Office Complex cum Service Centre के रूप में कर्मशिला भवन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।
- IV. समस्त जिला मुख्यालयों के साथ ही अन्य प्रमुख स्थानों पर चिकित्सा सुविधा, Emergency Response एवं पर्यटन की दृष्टि से Air Travel को सुगम करने के लिए Helipads का निर्माण कराया जायेगा।

- V. प्रदेश के छोटे नगरीय निकायों में भी समस्त आवश्यक जन सुविधायें उपलब्ध करवाने की दृष्टि से इनका वित्तीय सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।
- VI. प्रदेश में नगरीय एवं ग्रामीण निकायों तथा सहकारी संस्थाओं की संरचना में आबादी के वर्तमान विस्तार को देखते हुए आवश्यक परिवर्तन का आंकलन कर नगरीय एवं ग्रामीण निकायों के गठन तथा परिसीमन (Delimitation) के सम्बन्ध में अभिशांसा देने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, इस समिति द्वारा धन, श्रम एवं समय की बचत के साथ ही नगरीय निकाय तथा पंचायतीराज संस्थाओं के सशक्तीकरण की दृष्टि से '**One State-One Election**' की अवधारणा का परीक्षण भी किया जाना प्रस्तावित है।
- VII. क्षेत्रीय कार्यालयों के coverage के उन्नयन के लिए विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों/कार्यालयों की स्थापना/क्रमोन्नयन किया जायेगा। ये इकाइयाँ/कार्यालय हैं—

क्र.सं.	इकाइयों /कार्यालयों की स्थापना/क्रमोन्नयन
1.	ऊर्जा विभाग— जालबेरी (धौरीमन्ना)—बाड़मेर, महाजन (लूणकरणसर)—बीकानेर, मारोठ—डीडवाना कुचामन, माधोराजपुरा (चाकसू), झोटवाड़ा—जयपुर, भाद्राजून (आहोर)—जालोर, चिमाणा—फलौदी, श्रीनगर (नसीराबाद)—अजमेर एवं मसूदा—ब्यावर में सहायक अभियंता (विद्युत) कार्यालय

	<p>व डीडवाना शहर में सहायक अभियंता (विद्युत) (ग्रामीण) कार्यालय तथा माण्डलगढ़—भीलवाड़ा में सहायक अभियंता (विद्युत) को अधिशाषी अभियंता में क्रमोन्नयन</p> <p>नावां—डीडवाना कुचामन में अधिशाषी अभियंता (विद्युत) का कार्यालय</p>
2.	<p>जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग—</p> <p>झोटवाड़ा, कोटखावदा—जयपुर, तिंवरी (ओसियां)—जोधपुर, मण्डावर—दौसा व मनोहरथाना—झालावाड़ में सहायक अभियंता कार्यालय;</p> <p>सागवाड़ा—झूंगरपुर में खण्ड कार्यालय</p>
3.	<p>परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग—</p> <p>बिलाड़ा—जोधपुर में उप जिला परिवहन कार्यालय</p>
4.	<p>खान विभाग—</p> <p>बीकानेर में अतिरिक्त निदेशक (खान) तथा गंगापुर—भीलवाड़ा व जैतारण—ब्यावर में सहायक अभियंता (खनिज) कार्यालय</p>
5.	<p>राजस्व इकाइयों का गठन/ क्रमोन्नयन एवं निर्माण—</p> <ul style="list-style-type: none"> i. श्रीगंगानगर में मिनी सचिवालय ii. राहूवास (लालसोट)—दौसा एवं विवेक विहार—जोधपुर में उपखण्ड कार्यालय iii. बगरू—जयपुर, नाचना (पोकरण), झिनझिनयाली—जैसलमेर, डिग्गी (मालपुरा)—टॉक, गिलुण्ड—राजसमंद एवं नाई (बारापाल) —उदयपुर उप तहसीलों को तहसीलों में क्रमोन्नयन iv. नाथडाऊ (शेरगढ़)—जोधपुर को तहसील; v. बेढ़म (नगर)—डीग को उप तहसील बनाया जायेगा।
6.	<p>नगरीय इकाइयों का गठन व क्रमोन्नयन—</p> <ul style="list-style-type: none"> i. लाम्बाहरिसिंह, डिग्गी (मालपुरा), पीपलू—टॉक, मसूदा—ब्यावर, चौहटन, गुड़मालानी—बाड़मेर लूणकरणसर, नापासर—बीकानेर, सोजत रोड—पाली, नारायणपुर (बानसूर), मांढण—कोटपूतली—बहरोड़, जमवारामगढ़—जयपुर, सायला—जालोर, कुड़ी भकतासनी—जोधपुर, बिजोलिया—भीलवाड़ा, झूण्डलोद व

	<p>जाखल (नवलगढ़), सुल्ताना-झुंझुनूं मेड़ता रोड-नागौर एवं धोद-सीकर को नगर पालिका</p> <ul style="list-style-type: none"> ii. लोसल-सीकर, तारानगर-चूरू, महवा व बांदीकुई-दौसा नगर पालिका का उच्च श्रेणी में क्रमोन्नयन iii. पुष्कर-अजमेर, लालसोट-दौसा व शाहपुरा-जयपुर की नगर पालिका का नगर परिषद में क्रमोन्नयन iv. पाली व भीलवाड़ा नगर परिषद का नगर निगम में क्रमोन्नयन किया जायेगा।
--	---

98. आमजन को सुलभ एवं पारदर्शी रूप से सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए SMART System के माध्यम से Automated Service Delivery की दिशा में कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। इसी क्रम में, इस वर्ष (प्रथम चरण में) **Single Window–Same Day Service Delivery** स्थापित करते हुए विभिन्न विभागों की 25 सेवायें 24 घंटों में प्रदाय किये जाने की घोषणा करती हूँ।

99. SMART System/Platform के अन्तर्गत Individuals, Families तथा Organisations का पूर्ण profile संधारित करने के लिए Data Lake की स्थापना भी की जा रही है। इन Data Profiles को secured व consent based mechanism से Multi Stake Holder Environment में share करने के लिए देश का प्रथम Data Exchange–Raj D.Ex. (राजडैक्स) बनाने की घोषणा करती हूँ। यह Data Exchange, राजकीय विभागों/उपक्रमों के साथ-साथ निजी क्षेत्र में भी Social Monetisation के आधार पर Data उपलब्ध कराने का एकमात्र Platform होगा। साथ ही, Disaster Recovery Data Centre–जोधपुर का उन्नयन किया जायेगा।

100. आम आदमी को Civic Amenities व बेहतर Service Delivery उपलब्ध कराने के साथ यह भी आवश्यक है कि आमजन को बिना भय एवं दबाव के ये सुविधायें मिल सकें। इसके लिए कुशल प्रशासन के साथ—साथ मजबूत कानून व्यवस्था की भी आवश्यकता है। इसको ध्यान में रखते हुए—

- I. प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने एवं अपराध नियंत्रण सुनिश्चित करने की दृष्टि से पुलिस में 5 हजार 500 नये पदों के सृजन किये जाने की घोषणा करती हूँ। इसके अन्तर्गत जयपुर पुलिस आयुक्तालय में पृथक से **Security Police Force** हेतु भी व्यवस्था की जायेगी।
- II. राजस्थान सशस्त्र बल (RAC) के अन्तर्गत—पदमिनी, कालीबाई व अमृतादेवी महिला पुलिस बटालियनों की स्थापना कर आधारभूत सुविधायें उपलब्ध करवायी जायेंगी।
- III. प्रदेश में बच्चियों एवं महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़/अप्रिय घटना की रोकथाम हेतु गठित निर्भया Squads का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार करते हुए 500 कालिका Patrolling Units का गठन किया जाना प्रस्तावित है। प्रथम चरण में, इस वर्ष 250 कालिका Patrolling Units का गठन किया जायेगा।
- IV. प्रदेश में जयपुर, जोधपुर व कोटा जैसे बड़े शहरी क्षेत्रों के साथ—साथ एक लाख से अधिक आबादी वाले नगरीय क्षेत्रों में Traffic की समस्या का समाधान करने की दृष्टि से चरणबद्ध रूप से Traffic Police की व्यवस्था में वृद्धि करते हुए एक हजार 500 पुलिस कर्मी/**Traffic Volunteers** अतिरिक्त उपलब्ध करवाये जाने प्रस्तावित हैं।

- V. पुलिस को और अधिक Efficient एवं Effective बनाने हेतु संचार व्यवस्था, तकनीकी उपकरण तथा Arms-Ammunitions उपलब्ध कराने के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। साथ ही, पुलिस Mobility हेतु लगभग 750 मोटरसाइकिल एवं 500 हल्के वाहन भी उपलब्ध कराये जाना प्रस्तावित है।
- VI. इस माह (1 जुलाई, 2024) से लागू नये Criminal Laws के प्रावधानों की पूर्ति के लिए आवश्यक IT Equipments उपलब्ध कराने के लिए 50 करोड़ (पचास करोड़) रुपये का प्रावधान किया जायेगा।
- VII. प्रदेश के Forensic System को मजबूत करने के लिए कोटा, बीकानेर एवं भरतपुर में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालायें सुदृढ़ करते हुए उनमें रसायन खण्ड भी स्थापित किये जाने प्रस्तावित हैं।
- VIII. प्रदेश के जेलों में बंदियों की Living Conditions में सुधार तथा उनके skill upgradation के लिए आवश्यक कार्यक्रम चलाने के लिए इस वर्ष 25 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।
- IX. प्रदेश में कानून एवं न्यायिक तंत्र के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए पुलिस थाने, पुलिस कार्यालय, आधारभूत सुविधायें विकसित करने के साथ ही विभिन्न न्यायालय खोले /क्रमोन्नत किये जायेंगे। ये इकाइयां/कार्यालय हैं—

A. पुलिस इकाई/कार्यालय—

क्र.सं.	पुलिस इकाइयां/कार्य
1.	महिला थाने—रामगंजमण्डी—कोटा में महिला पुलिस थाने सहित महिला थानों से वंचित प्रत्येक जिले में एक महिला थाना।

2.	पुलिस थाने—हरिभाऊ उपाध्याय नगर (कोटड़ा)—अजमेर, खाटूश्यामजी सदर—सीकर, मौखमपुरा—दूदू, देवीपुरा बणी (नवलगढ़) —झुंझुनूं अंबाडा (चिखली)—झूंगरपुर एवं सुमेरपुर—पाली सहित 10 नये पुलिस थाने
3.	पुलिस चौकी से पुलिस थाने में क्रमोन्नयन—चंडावल नगर (सोजत)—पाली, पादरू (सिवाना)—बालोतरा, सामराऊ (ओसियां)—जोधपुर की पुलिस चौकियों का पुलिस थानों में क्रमोन्नयन
4.	नवीन पुलिस चौकी—जाली चौराहा (आर्सीद)—भीलवाड़ा
5.	पुलिस कार्यालय इकाइयों के निर्माण/मरम्मत कार्य—पुलिस चौकियों, थानों, प्रशासनिक भवनों तथा आवासों के निर्माण एवं मरम्मत हेतु 75 करोड़ (पचहत्तर करोड़) रुपये का प्रावधान

B. विभिन्न न्यायालय —

क्र.सं.	न्यायालय
1.	अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायालय—बड़ी सादड़ी—चित्तौड़गढ़ कैम्प कोर्ट के स्थान पर अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायालय
2.	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय—पुष्कर—अजमेर, चिड़ावा—झुंझुनूं
3.	विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रष्टाचार निरोधक एकट) न्यायालय—राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बारां व सीकर
4.	विशेष न्यायालय (पोक्सो एकट)—चूरू
5.	विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (एनआई एकट) न्यायालय—झुंझुनूं
6.	उपभोक्ता कैम्प कोर्ट—बांदीकुई—दौसा
7.	भू—प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी का कैम्प कोर्ट—वल्लभनगर—उदयपुर

कार्मिक कल्याण :

101. शासन—प्रशासन के सुचारू संचालन तथा जनकल्याणकारी योजनाओं के implementation में कर्मचारियों की महती भूमिका है। इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्मिकों की समस्याओं के त्वरित निदान के लिए प्रतिबद्ध है।

102. प्रदेश में Rajasthan Contractual Hiring to Civil Post Rules, 2022 के अन्तर्गत नियुक्त कार्मिकों हेतु राज्य कर्मचारियों की भाँति ही वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि की प्रतिवर्ष दो तिथियाँ—01 जुलाई एवं 01 जनवरी निर्धारित की जानी प्रस्तावित हैं।

103. Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार की तर्ज पर राज्य के विशेष योग्यजन श्रेणी कर्मचारियों को एक हजार 200 रुपये प्रतिमाह वाहन भत्ता दिया जाना प्रस्तावित है।

104. 30 जून, 2023 (तीस जून दो हजार तेर्झस) को सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को पेंशन गणना के लिए एक काल्पनिक वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ 1 जुलाई, 2023 से दिये जाने की घोषणा करती हूँ। इसी तरह भविष्य में प्रतिवर्ष 30 जून (तीस जून) को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए भी यह लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।

105. Central Government Health Scheme (**CGHS**) की तर्ज पर Rajasthan Government Health Scheme (**RGHS**) के अन्तर्गत Medical लाभ की सुविधा हेतु महिला एवं पुरुष कार्मिकों को अपने माता—पिता अथवा सास—ससुर में से किसी एक का विकल्प चुने जाने का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

106. कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति (Retirement) उपरान्त उनकी सामाजिक सुरक्षा हेतु भी हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इसी को ध्यान में रखते हुए—

- I. पेंशनर्स को देय Out Door चिकित्सा सुविधा व्यय की सीमा को 30 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये प्रतिवर्ष करने की घोषणा करती हूँ।
- II. केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के अनुरूप ही 1 अप्रैल, 2024 के बाद कार्मिक की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर 10 वर्षों तक बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन दिया जाना प्रस्तावित है।
- III. कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार के अनुरूप ग्रेच्युटी की वर्तमान अधिकतम सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने की घोषणा करती हूँ। इससे लगभग 120 करोड़ रुपये का वित्तीय भार सम्भावित है।

107. आमजन में जागरूकता लाने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ दूरस्थ क्षेत्रों में निवास करने वाले तथा वंचित वर्ग के परिवारों को भी मिल सके, इस हेतु पत्रकार साथियों की महती भूमिका है, इसलिए पत्रकार साथियों को और अधिक प्रोत्साहन देने की दृष्टि से—

- I. स्वतंत्र पत्रकारों के अधिस्वीकरण (accreditation) की आयु सीमा तथा अनुभव में छूट देते हुए न्यूनतम पात्रता आयु 45 (पैंतालीस) वर्ष तथा पत्रकारिता का अनुभव 15 वर्ष निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, उत्कृष्ट पत्रकारिता हेतु बिशनसिंह शेखावत पत्रकारिता पुरस्कार प्रारम्भ किये जायेंगे।

- II. अधिस्वीकृत पत्रकारों हेतु पृथक निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना—RJHS (Rajasthan Journalist Health Scheme) लागू किये जाने की घोषणा करती हूँ।
- III. Social Media Influencers को जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रचार—प्रसार में जोड़ने के लिए कौशल पर आधारित ‘नव—प्रसारक’ नीति लायी जानी प्रस्तावित है।

108. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश को उन्नति के पथ पर निरन्तर अग्रसर करने के लिए हमारी सरकार 24×7 प्रयास करेगी। हम अपने अथक प्रयासों से हर प्रदेशवासी के जीवन को समृद्ध एवं खुशहाल बनायेंगे। मैं, यहाँ देश के **महान् संत रैदास जी** की ये पंक्तियाँ याद दिलाना चाहूँगी—

“सौ बरस लौं जगत मेहिं, जीवत रहि करु काम।
रैदास करम ही धर्म हैं, करम करहु निहकाम।।”

संत रैदास कहते हैं कि मनुष्य को संसार में सौ वर्ष तक जीवित रहने की इच्छा के लिए निरन्तर निष्काम कर्म करते रहना चाहिये। कर्म करना ही मनुष्य—धर्म है।

कृषि बजट :

माननीय अध्यक्ष महोदय,

अब मैं आपकी अनुमति से कृषि बजट सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। यह सर्व स्वीकार्य (सर्वमान्य) तथ्य है कि किसान साथी अन्नदाता होने के साथ ही, हमारी अर्थव्यवस्था की भी धुरी हैं।

वर्षों पूर्व हमारे देश की प्रमुख संहिता कृषि पराशर में भी उल्लेखित है—

“कृषि धर्न्या कृषिर्मध्या जन्तूनाम् जीवनम् कृषिः ।”

अर्थात्—“कृषि से धन और ज्ञान प्राप्त होते हैं तथा कृषि ही मानव जीवन का आधार है ।”

प्रदेश में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के तीव्र विकास (exponential growth) के साथ—साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने '**Doubling of Farmers Income**' का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसकी प्राप्ति के लिए कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में उत्पादकता (Productivity) बढ़ाना हमारी प्राथमिकता रहेगी।

सिंचाई:

109. प्रदेश के किसान साथियों को मानसून की अनिश्चितता (uncertainty) एवं Ground Water की कमी के कारण अकसर फसल खराबे तथा उत्पादकता की कमी का सामना करना पड़ता है। हरित क्रान्ति के प्रणेता, भारत रत्न M.S. Swaminathan (एम.एस. स्वामीनाथन) ने भी कहा है—

'Farming is the riskiest profession in the world, since the fate of the crop is closely linked to the behaviour of the monsoon.'

अर्थात्—“खेती विश्व में सबसे जोखिम भरा व्यवसाय है, क्योंकि फसल का भविष्य मानसून पर निर्भर है।”

110. हमारी सरकार किसान साथियों को इस विडम्बना का लगातार सामना करने से बचाने के लिए कृत संकल्पित है। इस दृष्टि से मैं, **Rajasthan Irrigation Water Grid Mission** प्रारम्भ किये जाने की घोषणा करती हूँ। इस मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जिलों में सिंचाई व्यवस्था के साथ ही जल संचय की प्रणाली विकसित करने के लिए हमारे इस कार्यकाल में 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है।

111. यह हम सभी के लिए हर्ष का विषय है कि प्रदेश के 21 जिलों की लगभग 3 करोड़ 25 लाख (प्रदेश की 40 प्रतिशत) जनसंख्या को पेयजल तथा 2 लाख 80 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ERCP परियोजना (Eastern Region Canal Project)—संशोधित पार्वती—कालीसिंध—चम्बल लिंक परियोजना को त्वरित गति से धरातल पर उतारने के लिए प्रथम चरण में रामगढ़ व महलपुर बैराज—बारां, नवनेरा बैराज से बीसलपुर बांध एवं ईसरदा बांध भरने हेतु आवश्यक कार्यों की 9 हजार 600 करोड़ रुपये की स्वीकृति एवं work order भी जारी किये जा चुके हैं।

112. ERCP परियोजना के अन्तर्गत 5 महत्वपूर्ण लिंक व चम्बल बोरिन के कार्यों को भी चरणबद्ध रूप से कराया जाना प्रस्तावित है—

- I. मेज बैराज—बूंदी, छूंगरी बांध व राठौड़ बैराज—सवाई माधोपुर व इनके परिवहन तंत्र के लगभग 13 हजार करोड़ रुपये के कार्य,

- II. ईसरदा बांध से रामगढ़ बांध—जयपुर, जवानपुरा धबाई बांध, शाहपुरा बांध व बुचारा बांध (लागत लगभग 4 हजार 100 करोड़ रुपये)
- III. छूंगरी बांध से अलवर Reservoir (लागत लगभग 9 हजार 700 करोड़ रुपये)
- IV. बीसलपुर बांध से मोर सागर—अजमेर,
- V. छूंगरी बांध से बंध बरेठा होते हुए सुजान गंगा—भरतपुर लिंक
- VI. इसी क्रम में चम्बल बेसिन की नदियों से बारां जिले में 14 हजार 350 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई व पेयजल परियोजनायें लगभग एक हजार 240 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित की जानी प्रस्तावित हैं। ये कार्य हैं—

क्र.सं.	सिंचाई परियोजना/कार्य का नाम	लागत
1.	मूण्डकिया (छबड़ा) में अंधेरी नदी पर सिंचाई परियोजना	830 करोड़ रुपये
2.	कुंजेय (शाहबाद) के समीप करई नदी पर सोलर आधारित Sprinkler Lift सिंचाई परियोजना	120 करोड़ रुपये
3.	सेमरी (शाहबाद) के समीप करई नदी पर सोलर आधारित Sprinkler Lift सिंचाई परियोजना	70 करोड़ रुपये
4.	बामनगवां (शाहबाद) के समीप करई नदी पर सोलर आधारित Sprinkler Lift सिंचाई परियोजना	70 करोड़ रुपये
5.	कुनो व तिलपासी नदी पर 4 नवीन एनिकटों का निर्माण तथा कुनो व करई नदी के 2 एनिकटों की ऊँचाई बढ़ाना	150 करोड़ रुपये
6.	नाहरगढ़ क्षेत्र (किशनगंज) में बरनी नदी एवं झूबराज नदी से सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु survey किया जाकर DPR	50 लाख रुपये

113. प्रायः देखा गया है कि बरसात व बाढ़ के दौरान जल बहकर व्यर्थ चला जाता है। बाढ़ सुरक्षा प्रबन्धन के साथ—साथ ऐसे जल का सटुपयोग हो सके, इसके लिए दीर्घगामी योजना बनाकर हम **Run off Water Grid** स्थापित करेंगे। इस Grid के अन्तर्गत 30 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विभिन्न कार्य करवाये जायेंगे। ये कार्य हैं—

I. नदी बेसिन सहित विभिन्न परियोजनाओं के कार्य—

क्र.सं.	परियोजना का विवरण	लागत
1.	राणा प्रताप सागर बांध व जवाहर सागर बांधों के flood management व जल अपवर्तन कार्य लाभान्वित क्षेत्र—कोटा, धौलपुर एवं सवाई माधोपुर प्रथम चरण—500 करोड़ रुपये की लागत से ब्राह्मणी नदी पर बांध का निर्माण	8 हजार 300 करोड़ रुपये
2.	माही बेसिन की जाखम नदी एवं बांध के अधिशेष जल को फीडर नहर के माध्यम से जयसमंद बांध में लाकर चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा के बांधों को भरने सम्बन्धी कार्य लाभान्वित क्षेत्र—उदयपुर, चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा में पेयजल तथा लगभग 70 हजार हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र का rejuvenation इस वर्ष 30 करोड़ रुपये से परियोजना की DPR	7 हजार 100 करोड़ रुपये
3.	माही एवं सोम नदी के मानसून अवधि का अधिशेष जल, जयसमंद बांध सहित अन्य बांधों को भरते हुए जवाई बांध तक लाने सम्बन्धी कार्य लाभान्वित क्षेत्र—उदयपुर, सिरोही, पाली एवं जोधपुर में पेयजल तथा 16 हजार हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र के पुनर्स्थापन (rejuvenation) इस वर्ष 20 करोड़ रुपये व्यय कर परियोजना की DPR	7 हजार करोड़ रुपये

4.	जोधपुर एवं पाली शहर को पेयजल आपूर्ति हेतु जवाई बांध से जोधपुर तक चरणबद्ध रूप से 3 वर्षों में 194 किलोमीटर लम्बी क्षतिग्रस्त फीडर नहर का जीर्णोद्धार कार्य	2 हजार 280 करोड़ रुपये
5.	भद्रावती नदी—करौली की तर्ज पर साबी, रुपारेल—अलवर एवं जोजरी—जोधपुर आदि नदियों को rejuvenate करने सम्बन्धी कार्य की DPR	30 करोड़ रुपये
6.	सोम—कमला—अम्बा—भीखा भाई सागवाड़ा फीडर परियोजना सागवाड़ा तहसील हेतु सोम—कमला—अम्बा बांध के अधिशेष जल को फीडर नहर के माध्यम से लाये जाने का कार्य लाभान्वित क्षेत्र—19 हजार 224 हेक्टेयर कमाण्ड क्षेत्र में सिंचाई	125 करोड़ रुपये व्यय
7.	Rajasthan Water Sector Livelihood Improvement Project (RWSLIP)-Phase-III 36 सिंचाई उप परियोजनाओं के जीर्णोद्धार कार्य की DPR लाभान्वित क्षेत्र—13 जिलों के एक लाख 40 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई	342 करोड़ रुपये
8.	राजसमंद बांध में जल की आवक में अभिवृद्धि करने हेतु खारी फीडर की प्रवाह क्षमता को बढ़ाने के लिए शेष रहे जीर्णोद्धार तथा आवश्यक मरम्मत कार्य लाभान्वित क्षेत्र— 42 गांवों के लगभग 10 हजार 500 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई तथा राजसमंद शहर को पेयजल	150 करोड़ रुपये
9.	बांधों की भराव क्षमता की पुनर्स्थापना (rejuvenation) एवं नदी—नालों की सफाई के लिए desilting एवं dredging का कार्य	500 करोड़ रुपये

	लगभग 200 MCM (Million Cubic Metre) भराव क्षमता का rejuvenation	
10.	<p>100 एनिकटों का निर्माण/मरम्मत एवं जीर्णोद्धार— भाखेड़ा—अलवर, खापरिया (खौहरी)—बहरोड़ एवं छबड़ा—छीपाबड़ौद में पार्वती नदी पर गूगोर तथा कछावन; मोटाधामनिया (सुहागपुरा)—प्रतापगढ़; गोमती नदी पर मुलेश्वर महादेव—सलूम्बर तथा बीच्छा (लालसोट)—दौसा, नानौर—झालावाड़, खेजड़िया, भेव, आल्पा, रुखाड़ा, बुड़ेरी, जोयला, अरटवाडा, पोसलिया, जोगापुरा, उथमण—सिरोही, छोटी सादड़ी, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ सहित 100 एनिकटों का निर्माण/मरम्मत एवं जीर्णोद्धार।</p> <p>100 बांधों एवं नहरों का जीर्णोद्धार कार्य</p> <p>Micro Irrigation Tanks के साथ सौर ऊर्जा आधारित Sprinkler /Drip प्रणाली का भी प्रावधान।</p>	550 करोड़ रुपये
11.	महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत जल संग्रहण एवं जल संरक्षण की नवीन एवं परम्परागत जल स्रोतों (अमृत सरोवर के कार्य सहित) की संरचनाओं के कार्य।	2 हजार 627 करोड़ रुपये
12.	सावित्री माता मंदिर पुष्कर—अजमेर तक जल संग्रहण हेतु शोधित जल (treated water) लाने व एनिकट निर्माण सम्बन्धी कार्य	50 करोड़ रुपये

II. सिंचाई सम्बन्धी अन्य कार्य—

क्र.सं.	सिंचाई कार्य	लागत
1.	वल्लभनगर—उदयपुर में बांध निर्माण कार्य	25 करोड़ रुपये
2.	तेलवाड़ा (सिवाना)—बालोतरा व पाटड़ी (छबड़ा)—बारां में एमएसटी का निर्माण	12 करोड़ रुपये

3.	गणेशगंज नहरी तंत्र के माईनरों का जीर्णोद्धार मय पुराने पम्प की पुनर्स्थापना का शेष रहा कार्य (अंता)–बारा	15 करोड़ रुपये
4.	हरिशचन्द्र सागर परियोजना (सांगोद)–कोटा में शेष मुख्य नहर की वितरिका एवं माईनरों के जीर्णोद्धार कार्य	30 करोड़ रुपये
5.	उतावली लघु सिंचाई परियोजना (छबड़ा)–बारां की नहरों का जीर्णोद्धार कार्य	7 करोड़ रुपये
6.	देवाता फीडर का निर्माण–ब्यावर	30 करोड़ रुपये
7.	कोटा में चम्बल नदी के दांयी ओर पर स्थित लाडपुरा के ग्राम गंगायचा (रंगपुर) को बाढ़ के पानी से बचाने हेतु सुरक्षा दीवार निर्माण कार्य	10 करोड़ रुपये
8.	मातृकुण्डिया डेम से हिण्डौली डेम फीडर निर्माण कार्य (कपासन)–चित्तौड़गढ़	65 करोड़ रुपये
9.	धमाणा, भोपालसागर, जाश्मा फीडर के जीर्णोद्धार कार्य (कपासन)–चित्तौड़गढ़	25 करोड़ रुपये
10.	श्यामसिंहवाला (एसएसडब्ल्यू) वितरिका–जैसलमेर का पुनरुद्धार कार्य	28 करोड़ 30 लाख रुपये
11.	गुड़मालानी–बाड़मेर में नहरी तंत्र के सुचारू संचालन हेतु अरणियाली लिफ्ट माईनर पर किमी. 17 से आगे और आलपुरा माईनर, गुड़मालानी की डॉवल बढ़ाये जाने की डीपीआर तैयार करवाना	1 करोड़ 75 लाख रुपये
12.	छापरवाड़ा बांध की नहरों का नवीनीकरण–दूदू	40 करोड़ रुपये
13.	आगरिया फीडर का पुनरुद्धार कार्य (कुम्भलगढ़) –राजसमंद	5 करोड़ रुपये
14.	नटनी का बारा वियर से जयसमंद बांध–अलवर तक निर्मित नहर का उन्नयन	40 करोड़ रुपये

15.	डीग-कुम्हेर-भरतपुर में सांवई-खेड़ा डिप्रेशन से गोवर्धन झेन तक पानी लिफ्ट करने का कार्य	6 करोड़ 25 लाख रुपये
16.	चन्द्रावला (सांगोद) व कनवास-कोटा में डायवर्जन कार्य	25 करोड़ रुपये
17.	श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ के भाखड़ा एवं गंगनहर परियोजना अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में शेष रहे खालों का निर्माण कार्य	10 करोड़ रुपये
18.	देवली-उनियारा में स्थित गलवा बांध के माईनरों का जीर्णोद्धार	7 करोड़ रुपये
19.	मण्डाना (लाडपुरा)-कोटा क्षेत्र में सिंचाई के लिए चम्बल से लिफ्ट द्वारा योजना बनाकर नहरी तंत्र विकसित करने के कार्य की feasibility study	2 करोड़ रुपये
20.	लाडपुरा-कोटा के अरण्डखेड़ा, गंदीफली, बनियानी, मवासा एवं जाखोड़ा गांवों में सिंचाई हेतु आलनिया बांध में चम्बल की नहरों से पानी पहुंचाने की feasibility study	2 करोड़ रुपये

III. यमुना जल सम्बन्धी कार्य-

माननीय सदस्यों को विदित है कि वर्षों से चली आ रही, यमुना जल से राजस्थान का हिस्सा प्राप्त करने की समस्या को माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी ने पहल कर केन्द्र सरकार के सहयोग से, समाप्त करते हुए 577 (पांच सौ सतहत्तर) MCM पानी हेतु 17 फरवरी, 2024 को हरियाणा से MoU/Agreement कर प्रदेश को अपना हिस्सा दिलाने का ऐतिहासिक कार्य किया है। इस क्रम में, ताजेवाला हैड (हथिनीकुण्ड बैराज) हरियाणा पर राजस्थान को आवंटित यमुना जल को भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से diversion के कार्य की DPR 60 करोड़ रुपये की लागत से तैयार की जायेगी। यमुना बेसिन में रेणुका व लखवार बांध का कार्य

प्रगतिरत एवं किशाऊ बांध का कार्य भी शीघ्र प्रारम्भ होना संभावित है। इससे चूरु, सीकर व झुंझुनूं जिलों में वर्ष पर्यन्त जल उपलब्ध हो सकेगा।

IV. इंदिरा गांधी नहर परियोजनाओं के कार्य—

इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण में जीर्णोद्धार एवं सिंचाई संबंधी विभिन्न कार्य चरणबद्ध रूप से एक हजार 430 करोड़ (एक हजार चार सौ तीस करोड़) रुपये से अधिक की लागत से करवाये जायेंगे। ये कार्य हैं—

क्र.सं.	सिंचाई परियोजना/कार्य का नाम	लागत
1.	डॉ. करणी सिंह लिफट नहर में शेष रहे 44 हजार 500 हेक्टेयर क्षेत्र में Sprinkler सिंचाई सुविधा	270 करोड़ रुपये
2.	चौधरी कुम्भाराम आर्य लिफट नहर में शेष रहे 33 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में Sprinkler सिंचाई सुविधा	200 करोड़ रुपये
3.	वीर तेजाजी लिफट नहर में शेष रहे 8 हजार 320 हेक्टेयर क्षेत्र में Sprinkler सिंचाई सुविधा	50 करोड़ रुपये
4.	गुरु जम्भेश्वर लिफट (पोकरण) में शेष रहे 18 हजार 250 हेक्टेयर क्षेत्र में Sprinkler सिंचाई सुविधा	90 करोड़ रुपये
5.	जयनारायण व्यास लिफट नहर क्षेत्र में 12 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में Sprinkler सिंचाई सुविधा	75 करोड़ रुपये
6.	कंवरसेन लिफट नहर क्षेत्र में धातिग्रस्त खालों के जीर्णोद्धार कार्य	185 करोड़ रुपये
7.	सागरमल गोपा शाखा प्रणाली का जीर्णोद्धार कार्य	250 करोड़ रुपये
8.	इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बाबा रामदेव उपशाखा प्रणाली की आसुतार वितरिका तंत्र एवं अन्य नहरी तंत्र के जीर्णोद्धार कार्य	40 करोड़ रुपये

9.	इंदिरा गांधी मुख्य नहर की बुर्जी एक हजार 254 से एक हजार 458.500 के मध्य से निकलने वाली नहर प्रणाली, सागरमल गोपा शाखा, शहीद बीरबल शाखा तथा बाबा रामदेव उपशाखा की प्रणालियों में खालों की मरम्मत, कवरिंग व कच्ची साख को पक्का करवाने के कार्य	250 करोड़ रुपये
10.	इंदिरा गांधी मुख्य नहर के बेहतर संचालन एवं नियंत्रण हेतु SCADA System	23 करोड़ रुपये

114. फिरोजपुर फीडर (श्रीगंगानगर) के अन्तर्गत प्रदेश के हिस्से का पानी उपलब्ध कराने के लिए 200 करोड़ रुपये की लागत के कार्य हाथ में लिए जाना प्रस्तावित है। साथ ही, नहरी क्षेत्रों में डिग्गी निर्माण हेतु इस वर्ष 5 हजार किसानों को अनुदान दिया जायेगा। इस पर लगभग 160 करोड़ (एक सौ साठ करोड़) रुपये व्यय किये जायेंगे।

115. गत सरकार द्वारा किसानों को निश्चित समय अवधि में कृषि विद्युत कनेक्शन देने का आश्वासन देकर भी कार्य पूर्ण नहीं किया गया तथा मौके पर ट्रांसफार्मर आदि आवश्यक सामान की भी पूर्ति नहीं हो सकी। इस कारण प्रदेश का किसान अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। किसान साथियों की इस समस्या को देखते हुए अब मैं, किसानों के कृषि कार्य के लिए 31 मार्च, 2024 तक लम्बित विद्युत कनेक्शन आवेदनों की pendency समाप्त करने की दिशा में इस वर्ष लगभग एक लाख 45 (पैंतालीस) हजार विद्युत कनेक्शन जारी किये जाने की घोषणा करती हूँ। साथ ही, किसान भाइयों की सुविधा के लिए कृषि कनेक्शनों के विद्युत भार को बढ़ाने हेतु स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना (**Voluntary Load Disclosure Scheme**) लागू की जायेगी।

116. माननीय सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारी सरकार द्वारा वर्तमान में 'कुसुम योजना' के माध्यम से कृषि कनेक्शनों के Solarization करने के फलस्वरूप आगामी वर्ष से प्रारम्भ करते हुए चरणबद्ध रूप से किसान भाइयों को दिन के समय में सिंचाई हेतु बिजली दिये जाने का कार्य वर्ष 2027 (दो हजार सत्ताइस) तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

कृषि विकास :

117. प्रदेश में कृषि एवं Horticulture की परियोजनाओं त्वरित एवं समयबद्ध रूप से लागू करने, कृषि के क्षेत्र में नई तकनीकों का उपयोग बढ़ाने तथा कृषक कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (**RKVKY-RAFTAAR**) की तर्ज पर राजस्थान कृषि विकास योजना (**Raj KKY**), Rajasthan Agriculture and Horticulture Mission का गठन कर, लागू करने की घोषणा करती हैं। इस वर्ष Raj KKY हेतु 650 करोड़ (छ: सौ पचास करोड़) रुपये के कार्य हाथ में लिये जाने प्रस्तावित हैं।

118. कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए किसान भाइयों को आधुनिक तकनीकी आधारित यंत्रों यथा—Power Tiller, Disc Plough, Cultivator, Harrow, Reaper आदि हेतु 200 करोड़ रुपये का अनुदान उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, इस वर्ष 500 Custom Hiring Centres की स्थापना के लिए निर्धारित लक्ष्य को बढ़ाकर एक हजार करते हुए mobile app के माध्यम से hiring सुविधा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

119. राज्य में उन्नत तकनीक के green house - poly house/ shadenet, plastic mulching, low tunnel, farm pond तथा Drip/Sprinkler आदि को बढ़ावा देने के साथ—साथ किसानों को प्रोत्साहित एवं प्रशिक्षित करने के लिए

10 Agro Climatic Zones में 2–2 clusters विकसित किये जाने प्रस्तावित हैं। इस पर 120 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

120. महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत कृषि भूमि धारकों, SC/ST/BPL श्रेणी के परिवारों को व्यक्तिगत लाभ की श्रेणी में Farm Ponds/डिग्गी/फलदार पौधारोपण/मेड़बंदी इत्यादि कार्यों पर लगभग एक हजार 100 करोड़ रुपये की राशि का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

121. पिछली सरकार ने प्रदेश में जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए मात्र कोरी घोषणायें की थी, जो कि धरातल पर नहीं उतरीं। राज्य में जैविक एवं परम्परागत खेती को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष—

- I. कृषकों को सभी आवश्यक सहायता एवं प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए **Organic and Conventional Farming Board** का गठन किया जायेगा।
- II. जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण हेतु जिलों में Units एवं Labs की स्थापना की जायेगी।
- III. ब्लॉक स्तर पर 50–50 कृषकों को गौवंश से जैविक खाद उत्पादन करने हेतु गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना प्रारम्भ करते हुए 10 हजार रुपये प्रति कृषक तक की सहायता दिये जाने की घोषणा करती हूँ।
- IV. महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत गोवर्धन परियोजनाओं, compost pit एवं Fruits and Vegetables Plantation आदि कार्यों पर 197 करोड़ 86 लाख (एक सौ सत्तानवे करोड़ छियासी लाख) रुपये की राशि का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

122. प्रदेश में नमो ड्रोन दीदी योजना में एक हजार महिला Self Help Groups (SHGs) को कृषि कार्य हेतु उपलब्ध करवाये जा रहे drones पर सहायता देने के साथ ही Nano Urea एवं Pesticides का छिड़काव करने पर 2 हजार 500 रुपये प्रति हेक्टेयर subsidy उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा करती हूँ।

123. किसानों को Soil Testing, फसलों के सम्बन्ध में जानकारी तथा कीटों/रोगों के उपचार आदि के लिए विशेषज्ञ सेवायें उपलब्ध कराने हेतु समस्त जिला मुख्यालयों पर 2 वर्षों में **Agri Clinics** स्थापित किये जाने की घोषणा करती हूँ। इस पर लगभग 21 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

124. किसानों की क्षमता वृद्धि के लिए **Knowledge Enhancement Programme** प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत—

- I. प्रथम चरण में 100 प्रगतिशील युवा कृषकों को Israel सहित अन्य देशों तथा साथ ही 5 हजार युवाओं को देश के विभिन्न राज्यों में प्रशिक्षण हेतु भेजा जायेगा।
- II. वर्तमान में संचालित 9 **Centres of Excellence** की संख्या चरणबद्ध रूप से बढ़ाकर 18 की जायेगी।
- III. Agri-Stack के माध्यम से किसानों को स्वतः फसल गिरदावरी की सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी।

सहकारिता एवं कृषि विपणन :

125. प्रदेश में किसानों को सशक्त एवं समृद्ध बनाये जाने में सहकार आंदोलन (Cooperative Movement) की महती भूमिका रही है। वर्षों से चले आ रहे Cooperative Codes को और अधिक relevant बनाये जाने की दृष्टि से नवीन Cooperative Codes लाये जाने प्रस्तावित हैं।

126. मैं, इस वर्ष 23 (तेईस) हजार करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किये जाने की घोषणा करती हूँ। इसके अंतर्गत 5 लाख नये किसान भी ऋण प्राप्त कर सकेंगे। इस हेतु 736 करोड़ (सात सौ छत्तीस करोड़) रुपये ब्याज अनुदान पर व्यय किये जायेंगे। इससे लगभग 35 (पैंतीस) लाख किसान लाभान्वित होंगे।

127. भूमि सुधार के लिए सहकारी बैंकों द्वारा दिये जाने वाले दीर्घकालीन कृषि ऋणों का दायरा बढ़ाते हुए गत वर्ष में वितरित लगभग 50 करोड़ रुपये के ऋण को दोगुना कर 100 करोड़ रुपये के ऋण दिये जाने की घोषणा करती हूँ। दीर्घकालीन कृषि ऋणों का समय पर चुकारा करने वाले काश्तकारों को 2 प्रतिशत का अतिरिक्त ब्याज अनुदान भी दिया जाना प्रस्तावित है।

128. साथ ही, दीर्घकालीन सहकारी अकृषि (Non-Farming) ऋणों पर 5 प्रतिशत का ब्याज अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु लगभग 64 करोड़ (चौंसठ करोड़) रुपये का व्यय अनुमानित है।

129. प्रदेश में किसानों को Marketing व्यवस्था सुलभ कर सशक्त बनाने की दृष्टि से चरणबद्ध रूप से 500 नये **Farmer Producer Organizations (FPOs)** बनाये जाने की मैं, घोषणा करती हूँ। साथ ही, सहकारी संस्थाओं की भण्डारण क्षमता में वृद्धि करने के लिए 150 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 100 से 500 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है। इन पर लगभग 35 करोड़ रुपये व्यय होंगे। साथ ही, प्याज भण्डारण संरचना के निर्माण हेतु 2 हजार 500 किसानों को लगभग 22 करोड़ रुपये की subsidy उपलब्ध करवायी जायेगी।

130. प्रदेश में नवीन मण्डियों की स्थापना एवं विस्तार किये जाने की दृष्टि से विभिन्न कार्य करवाये जायेंगे। ये कार्य हैं—

क्र.सं.	मण्डी स्थापना व अन्य कार्य
1.	मंडियाँ/पार्क— रामगढ़ पचवारा (लालसोट)—दौसा, नसीराबाद—अजमेर, पीपलू—टोंक में कृषि मण्डी; जमवारामगढ़—जयपुर में फूल मण्डी; जहाजपुर—शाहपुरा में नगर पालिका फल एवं सब्जी मण्डी; सादड़ी—पाली में फल—फूल मण्डी; साधुवाली (सादुलशहर)—श्रीगंगानगर में गाजर मण्डी; जैसलमेर में जीरा मण्डी तथा मनोहरथाना—झालावाड़ में लहसुन मण्डी, भुसावर—भरतपुर में Food Park एवं भरतपुर में Food Processing Park
2.	मंडी क्रमोन्नयन एवं अन्य कार्य— मेड़ता—नागौर, रसीदपुरा—सीकर व भामाशाह कृषि उपज मण्डी—कोटा का विस्तार, तिजारा—खैरथल में नवीन कृषि मण्डी यार्ड
3.	खेत से खरीद सुविधा— e-Mandi Platform के माध्यम से सीधे कृषकों के खेत से खरीद की सुविधा
4.	प्रसंस्करण इकाइयाँ (Processing Plants)– भुसावर—भरतपुर में Agro Processing Plant तथा सवाई माधोपुर में अमरुद, आंवला एवं मिर्च, मेड़ता सिटी में जीरा, सिरोही में ईसबगोल, जोधपुर व बारां में spices एवं बालोतरा में अनार के processing plants निजी क्षेत्र के सहयोग से

पशुपालन एवं डेयरी :

131. प्रदेश में पशुपालन की अपार सम्भावनायें हैं। राज्य के 80 लाख परिवार पशुपालन एवं सम्बद्ध गतिविधियों पर निर्भर है। पशुपालन संवर्द्धन, संरक्षण एवं विकास हेतु 250 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष का गठन किये जाने की मैं, घोषणा करती हूँ। इसके अन्तर्गत पशु चिकित्सा एवं पशुओं में नस्ल सुधार सेवाओं के विस्तार तथा बेहतर पशु चिकित्सा उपलब्ध करवाने हेतु—

- I. दुधारू पशुओं के उन्नत नस्ल विकास एवं आवारा नर गौवंश की समस्या के निराकरण के लिए Sex Sorted Semen योजना के तहत दी जा रही अनुदान राशि 50 से बढ़ाकर 75 (पचहत्तर) प्रतिशत की जानी प्रस्तावित है। इससे लगभग 2 लाख पशुपालक लाभान्वित होंगे।
- II. प्रदेश में पशु चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के लिए 125 पशु चिकित्सकों तथा 525 पशुधन सहायकों के नये पदों का सृजन किया जायेगा।
- III. प्रदेश में विभिन्न पशु चिकित्सा संस्थान खोले जाने के साथ—साथ आधारभूत सुविधाओं के विकास कार्य करवाये जायेंगे। ये कार्य हैं—

क्र.सं.	पशु चिकित्सा संस्थान/ कार्य
1.	<p>पशु चिकित्सा उपकेन्द्र— प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध रूप से नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र</p> <p>इस वर्ष पशु चिकित्सा संस्था विहीन ग्राम पंचायतों—खोरी (पुष्कर)—अजमेर सहित 500 पशु चिकित्सा उपकेन्द्र</p>

2.	नवीन पशु चिकित्सालय— विद्याधर नगर—जयपुर, बेढ़म (नगर)—डीग एवं शिवदानपुरा —डीडवाना कुचामन
3.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों का पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन— देवनगर (पुष्कर)—अजमेर व मांदलिया (लाडपुरा)—कोटा सहित 100 पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों का पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन, इस पर लगभग 15 करोड़ रुपये का व्यय
4.	पशु चिकित्सालयों का प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन— पशु चिकित्सालय नेतराड (चौहटन)—बाड़मेर व जाखल (नवलगढ़)—झुंझुनूं का प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन
5.	पशु चिकित्सा संस्थानों में आधारभूत कार्य— विभिन्न पशु चिकित्सा संस्थानों में चरणबद्ध रूप से आधारभूत सुविधाओं के विकास, भवन निर्माण/मरम्मत कार्य व उपकरण आदि के लिए 200 करोड़ रुपये व्यय

132. गत सरकार द्वारा प्रदेश में पशुपालकों के लिए पशु बीमा योजना की मात्र कागजी घोषणा ही की गई। अब मैं, पशुपालकों के हितों का ध्यान रखते हुए चरणबद्ध रूप से दुधारू पशुओं के साथ—साथ अन्य पशुओं को भी सम्मिलित करते हुए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रारम्भ करने की घोषणा करती हूँ। इसके अन्तर्गत प्रथमतः 5—5 लाख दुधारू गाय/भैंस, 5—5 लाख भेड़/बकरी तथा 1 लाख उष्ट्र वंश (ऊँट) का बीमा किया जायेगा। इस पर कुल 400 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

133. पशुपालकों की सुविधा के लिए वर्तमान में प्रदेश के 7 जिलों में राज्य स्तरीय पशु मेले आयोजित किये जा रहे हैं। इसका विस्तार करते हुए अब मैं, शेष जिलों में चरणबद्ध रूप से पशु मेले आयोजित किये जाने की घोषणा करती हूँ।

134. 'रेगिस्तान का जहाज' कहे जाने वाले राज्य पशु ऊँट की संख्या में लगातार कमी चिंता का विषय है। प्रदेश में उष्ट्र विकास एवं संरक्षण के दृष्टिगत—

- I. ऊँट संरक्षण और विकास मिशन शुरू किया जायेगा।
- II. नवजात ऊँट के पालन-पोषण के लिए ऊँटपालकों को दी जाने वाली सहायता राशि 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रतिवर्ष की जायेगी।

135. प्रदेश के उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त दूध व milk products उपलब्ध कराने तथा milk plants की स्थापना, upgradation एवं विस्तार करने के उद्देश्य से—

- I. सरदारशहर—चूरू, रानीवाड़ा—सांचौर, झालावाड़, भरतपुर, नागौर तथा बीकानेर में milk processing plants का लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से upgradation व सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।
- II. पाली में 30 मीट्रिक टन क्षमता का 95 करोड़ (पंचानवे करोड़) रुपये की लागत से अत्याधुनिक milk powder plant स्थापित किया जायेगा।
- III. कोटा में Cattle Feed Plant 25 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

136. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन को आश्वस्त करना चाहूँगी कि हमारी सरकार के इस कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों की खुशहाली व प्रदेश को विकसित राज्य बनाने के लिए हमने जो संकल्प लिये हैं, उन्हें सबके सहयोग से समयबद्ध रूप से

साकार करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन तथा माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश हर क्षेत्र में प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा—

देकर अच्छी शिक्षा—बेहतर स्वास्थ्य, नित करें हम मानव—कल्याण,
दे सहारा करें असहाय वृद्धजन का सम्मान, दें नारी को प्रोत्साहन,
है भार जिन युवा कंधों पर, आओ कंधे उनके मजबूत बनायें,
आओ, मिलकर विकास की ओर एक साथ कदम बढ़ायें ॥

धरती ओढ़े चुनरी हरी, साफ स्वच्छ रहे पर्यावरण,
रोशन कर घरों को उनके, करें हर पल तिमिर का हरण,
प्यास बुझे ढाणी—ढाणी, मगरे—मगरे पहुँचे पानी,
विकसित हो उद्योग, मिले सबको रोजगार, है मिलकर हमने ठानी,
मंद हो गई जो प्रगति, आओ फिर उसको गतिमान बनायें,
आओ, मिलकर विकास की ओर एक साथ कदम बढ़ायें ।
चलो, मिलकर हम सब ‘विकसित राजस्थान’ बनायें ॥

कर—प्रस्ताव

137. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं अब कर—प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ।

यद्यपि करों से प्राप्त राजस्व की प्रदेश के विकास के साथ—साथ जन—कल्याण की योजनाओं के संचालन के लिये महत्वपूर्ण भूमिका है, तथापि सरकार का यह भी दायित्व है कि वह आमजन तथा उद्योग/व्यापार को करों के अत्यधिक बोझ एवं महँगाई के भार से बचाये। यह अवधारणा हमारे देश में प्राचीन काल से ही चली आ रही है। हमारी संस्कृति एवं पुरातन ग्रन्थों में कहा गया है कि—

“यथा फलेन युज्येत राजा कर्ता च कर्मणाम् ।
तथा—अवेक्ष्य नृपो राष्ट्रे कल्पयेत् सततम् करान् ॥

अर्थात् —

राजा को यह विचार करके ही ‘कर’ का निर्धारण करना चाहिए कि एकत्रित राजस्व उतना ही हो, जितने से राज्य का कार्य व जनकल्याण सुनिश्चित हो सके, तथा साथ में ही लोगों/व्यवसायियों को भी अपने कार्य का फल पाने के लिये पर्याप्त शेष रहे।

यही भावना ‘वृक्ष’ का दृष्टांत देते हुए कौटिल्य के ‘अर्थशास्त्र’ के भाग 5; अध्याय 2; श्लोक 70 में भी विद्यमान है। इन ग्रन्थों में दिये गये कर—निर्धारण के आधार को कालांतर में आधुनिक Economics के Laffer Curve Analysis के समतुल्य देखा जा सकता है।

हमारी सरकार द्वारा इसी भावना के अनुरूप आमजन को राहत देने के लिये प्रदेश की जनता को दी गई प्रधानमंत्री जी की गारंटी को पूरा करते हुए 15 मार्च, 2024 से पेट्रोल एवं डीजल की VAT दर में 2–2 प्रतिशत की कमी की गई। साथ ही, माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के विशेष प्रयासों से केन्द्र सरकार का सहयोग प्राप्त करते हुये पेट्रोल/डीजल के Freight को Rationalise कर पेट्रोल की कीमत में अधिकतम 7 रुपये 18 पैसे प्रति लीटर तथा डीजल में अधिकतम 6 रुपये 60 पैसे प्रति लीटर की कमी की गई।

हमारी सरकार इसी प्रकार भविष्य में भी प्रदेश के विकास को और अधिक गति देने के साथ ही आमजन एवं निवेशकों को आवश्यक राहत प्रदान करने की दृष्टि से राजस्व संग्रहण का दायित्व निर्वहन करने वाले समस्त विभागों से संबंधित कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिये कृतसंकल्प है।

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग :

138. विविध विलेखों पर स्टाम्प ड्यूटी की देयता के सम्बन्ध में प्रचलित वर्तमान श्रेणियों को कम करने के साथ ही दरों का Rationalization किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत निम्न विलेखों पर भी स्टाम्प ड्यूटी माफ करने की घोषणा करती हूँ –

- I. कृषि एवं आवासीय विद्युत कनेक्शन के लिए डिस्कॉम के साथ निष्पादित किये जाने वाले एग्रीमेन्ट
- II. युवाओं द्वारा Apprenticeship संबंधी दस्तावेज
- III. किसानों द्वारा अपनी फसल पर किया जाने वाला बन्धपत्र (Mortgage)
- IV. Shipping से संबंधित विविध विलेख

139. वर्तमान में माता—पिता द्वारा पुत्र और पुत्री के पक्ष में निष्पादित सेटलमेंट डीड पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क पर देय पूर्ण छूट को मैं पत्नी, पुत्रवधू, पोता/पोती एवं दोहिता/दोहिती के पक्ष में निष्पादित सेटलमेंट डीड पर भी दिये जाने की घोषणा करती हूँ।

140. परिवार के सदस्यों के संयुक्त स्वामित्व के अधीन दो या अधिक गैर—कृषि सम्पत्तियों के एक दूसरे के पक्ष में Exchange करने पर Stamp Duty उनमें से अधिकतम मूल्य की सम्पत्ति के मूल्य पर 6 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।

141. सैनिकों के साथ—साथ अर्द्धसैनिक बलों के शहीदों की वीरांगनाओं या उनके पुत्र, पुत्री या माता—पिता को सरकार, निजी संस्था अथवा व्यक्ति विशेष के द्वारा निःशुल्क आवास दिये जाने पर स्टाम्प ड्यूटी की छूट दी गई थी। अब इस हेतु पंजीयन शुल्क में भी पूर्ण छूट देने की घोषणा करती हूँ।

142. शहरों में अधिक जनसंख्या भार वाले क्षेत्रों में Congestion कम करने की दिशा में कदम उठाते हुये Transferable Development Rights (TDR) की प्रक्रिया Automate करते हुये Stamp Duty की पूरी छूट दिये जाने की घोषणा करती हूँ। तथा इसके विक्रय पर Stamp Duty 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत की जायेगी।

143. आमजन को आसानी से Housing Loan प्राप्त हो, इसके लिये Debt Assignment पर Stamp Duty की अधिकतम सीमा को 15 लाख रुपये से घटाकर 1 लाख रुपये किये जाने की घोषणा करती हूँ। साथ ही इस प्रकृति के दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क की अधिकतम सीमा को भी 25 हजार रुपये किया जाना प्रस्तावित है।

144. स्थानीय निकाय से आवासीय पट्टा जारी हो जाने पर पूर्व के अपंजीकृत दस्तावेजों यथा Agreement to Sale, Society Patta आदि पर स्टाम्प ड्यूटी DLC के 20 प्रतिशत पर देय है। इसी तर्ज पर अब मैं, स्थानीय निकाय का पट्टा नहीं होने पर भी उक्त छूट लागू करने की घोषणा करती हूँ।
145. मल्टी-स्टोरी भवनों में 50 लाख (पचास लाख) रुपये तक के फ्लैट्स की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी को वर्तमान में निर्धारित 6 प्रतिशत से कम करके 5 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है।
146. निर्माणाधीन फ्लैट्स एवं भवनों पर देय GST राशि पर ली जा रही स्टाम्प ड्यूटी से आमजन को राहत प्रदान करते हुये इसको माफ किये जाने की घोषणा करती हूँ।
147. Stamps Act के अन्तर्गत Reference/Appeal के माध्यम से निर्धारित की गई Stamp Duty को निर्णय के एक माह के अन्दर जमा कराने पर ब्याज माफ करना प्रस्तावित है।
148. दस्तावेज के निष्पादन के एक माह के भीतर उसका निरस्तीकरण (Cancellation) कराये जाने पर स्टाम्प ड्यूटी घटाकर Conveyance के स्थान पर एक हजार रुपये किये जाने की घोषणा करती हूँ।
149. Registry सम्बन्धी कार्य को सुगम एवं समय पर संपादित करने के लिये मौका निरीक्षण हेतु सम्बन्धित पटवारी, गिरदावर, ग्राम विकास अधिकारी एवं नगर निकाय अधिकारी को भी मौका—निरीक्षक के रूप में अधिकृत किया जाना प्रस्तावित है।

150. बैंकों एवं वित्तीय कम्पनियों द्वारा ऋण उपलब्ध कराने सम्बन्धी मूल दस्तावेज के अतिरिक्त अन्य दस्तावेजों को Stamp Duty मुक्त किये जाने की घोषणा करती हूँ।

151. कम्पनियों के Amalgamation एवं Demerger पर स्टाम्प ड्यूटी में रियायत प्रदान करते हुये Allotted/Transferred शेयर्स के मूल्य पर वर्तमान में देय 4 प्रतिशत को कम करते हुए 1 प्रतिशत किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही इस हेतु निर्धारित अधिकतम राशि की सीमा को भी 50 करोड़ रुपये से घटाकर 25 करोड़ रुपये किया जायेगा।

वाणिज्यिक कर विभाग :

152. राज्य सरकार द्वारा नई राजनिवेश नीति—2024 (RIPS-2024) लाई जायेगी, जिसमें राज्य में विक्रय या प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं पर विशेष प्रोत्साहन दिया जायेगा। साथ ही निवेशकों को और अधिक प्रोत्साहन देने की दृष्टि से RIPS योजना के अन्तर्गत —

- I. ऊर्जा के अधिक उपयोग वाले उद्यमों में निश्चित समय—अवधि के लिये PNG की वैट दर में 5 प्रतिशत तक कमी किया जाना प्रस्तावित है।
- II. निवेशकों द्वारा Sick Unit को Revive करने की स्थिति में भी Incentives का प्रावधान किया जायेगा।
- III. गत सरकार द्वारा प्रक्रिया का निर्धारण नहीं करने के कारण किसी भी निवेशक को प्रचलित RIPS के अन्तर्गत लाभ नहीं मिल पाये।

हम इस समस्या को दूर करते हुये 15 अगस्त, 2024 से Online Portal के माध्यम से लाभ देना प्रारम्भ कर देंगे।

- IV. RIPS के अन्तर्गत स्टाम्प ड्यूटी से छूट हेतु जारी पात्रता प्रमाण—पत्र की अवधि की वैधता को 1 वर्ष के स्थान पर 2 वर्ष किया जाना प्रस्तावित है।
153. जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है कि 1 जुलाई, 2017 से सम्पूर्ण राष्ट्र में GST लागू होने के उपरान्त मात्र 6 Commodities पर ही VAT की देयता है। ऐसी स्थिति में VAT Act के सरलीकरण की दृष्टि से नवीन VAT अधिनियम लाया जाना प्रस्तावित है।
154. Green Growth को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से CNG/PNG पर प्रचलित वैट दर को 14.5 प्रतिशत से कम कर 10 प्रतिशत किये जाने की घोषणा करती हूँ।
155. प्रदेश में युवाओं को Aviation के क्षेत्र में रोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से Flying Training Organizations (FTO) एवं Aircraft Type Training Organizations (ATO) की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु इनके लिये Aviation Turbine Fuel (ATF) पर लागू VAT दर को 26 (छब्बीस) प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किये जाने की घोषणा करती हूँ।
156. Captive Power प्रयोग करने वाले उपक्रमों को राहत देते हुए मैं उपक्रम हेतु उपयोग ली गई ऊर्जा से सम्बन्धित Auxiliary Power पर Electricity Duty समाप्त किये जाने की घोषणा करती हूँ। साथ ही, ऐसी

Auxiliary Power पर बकाया Electricity Duty का 10 प्रतिशत जमा कराने पर शेष मूल राशि तथा ब्याज/शास्ति माफ करना भी प्रस्तावित है।

157. Additional Resource Mobilization (ARM) को ध्यान में रखते हुये Online Gaming, e-Commerce, OTT Platform आदि के लिये नवीन Integrated प्रणाली विकसित की जायेगी।

परिवहन विभाग :

158. प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने हेतु इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अन्तर्गत 200 करोड़ रुपये का **e-Vehicle Promotion Fund** गठित करना प्रस्तावित है।

159. Stage Carriage वाहन के अन्य श्रेणी मार्ग पर 300 किलोमीटर से अधिक प्रतिदिन संचालन पर वर्तमान में देय मोटर वाहन कर (MV Tax) को 504 रुपये से घटाकर 400 रुपये प्रति सीट प्रतिमाह किया जाना प्रस्तावित है।

160. वाहन के स्वामित्व हस्तान्तरण (Ownership Transfer) में Procedural Simplification करते हुये वाहन को भौतिक रूप से प्रस्तुत किये जाने की अनिवार्यता से मुक्त किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, वाहन रजिस्ट्रेशन नम्बर Retention की सुविधा वाहन को Scrap कराये जाने पर भी प्रदान की जायेगी।

161. परिवहन व्यवसायियों को राहत प्रदान करते हुये परिवहन वाहनों की Fitness के समय कर-चुकता प्रमाण-पत्र (Tax Clearance Certificate-TCC) की अनिवार्यता को समाप्त किया जाता है।

162. नये वाहनों को पंजीयन के पश्चात् परमिट प्राप्त करने पर देय Spare Tax में छूट को 15 दिवस से बढ़ाकर 30 दिवस किया जाता है। यह छूट पुराने वाहनों का परमिट सरेण्डर करने के उपरान्त नया परमिट प्राप्त करने पर भी देय होगी।

163. Private Service Vehicle, Tourist Vehicle तथा Contract Carriage Vehicle में एकबारीय कर (One Time Tax) की वर्तमान प्रचलित दर को 10 प्रतिशत कम किया जाना प्रस्तावित है।

164. बाईस (22) सीट से अधिक बैठक क्षमता के यात्री वाहनों के Special Permit पर मोटर वाहन कर की दर को एक समान 600 रुपये तथा पर्यटक यात्री वाहनों का कर एक समान 875 (आठ सौ पचहत्तर) रुपये किया जाना प्रस्तावित है।

आबकारी विभाग :

165. वर्ष 1950 से प्रचलित राजस्थान आबकारी अधिनियम के वर्तमान समय में अप्रासंगिक (Irrelevant) होने के कारण राजस्व-संग्रहण में Efficiency लाने तथा अवैध मदिरा पर अंकुश लगाने की दृष्टि से नया आबकारी कानून लाया जाना प्रस्तावित है।

खान एवं पेट्रोलियम विभाग :

166. वर्ष 2015 से खनन कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन होने के उपरान्त राज्य में वर्तमान में प्रचलित खनिज नीति—2015 Obsolete हो गई है। अतः नवीन खनिज नीति—2024 लाई जानी प्रस्तावित है।

167. बलुआ पत्थर, चेजा पत्थर आदि खनिजों के सम्बन्ध में स्थानीय निवासियों को प्रोत्साहन देने के लिये 1 हेक्टेयर से छोटे क्षेत्रों की नीलामी में सिक्योरिटी राशि 10 लाख रुपये से घटाकर 2 लाख रुपये की जायेगी।

168. Minor Minerals के खनन पट्टाधारी/क्वारी लाईसेंस धारकों को राहत देते हुये लाईसेंस की बढ़ी हुई अवधि (अर्थात् वर्ष 2040 तक) के देय प्रीमियम की राशि को किश्तों में जमा कराये जाने का प्रावधान करने की घोषणा करती हूँ।

169. प्रदेश में बजरी सम्बन्धी समस्या के निदान के लिये—

- I. कतिपय स्थानों पर राज्य सरकार के उपक्रम Rajasthan State Mines & Minerals Limited (RSMML) के माध्यम से भी बजरी उत्पादन की कार्यवाही की जायेगी।
- II. साथ ही बजरी के विकल्प के रूप में **M-sand** को बढ़ावा देने के लिये नवीन **M-sand Policy** लाई जानी प्रस्तावित है।

170. प्रदेश में खनन सम्बन्धी गतिविधियों को गति देने हेतु केन्द्र सरकार की नीति के अनुरूप Private Sector को भी Exploration हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा। जहां गत 7 वर्षों में प्रधान खनिज के केवल 54 (चौवन) ब्लॉक्स (Blocks) की नीलामी की गई, वहीं अब नीलामी की संख्या को लगभग दो गुणा करते हुये 100 से अधिक ब्लॉक्स की नीलामी की जायेगी। इसी प्रकार पहली बार चिन्हित Blocks की Pre-embedded Clearances के साथ नीलामी किया जाना भी प्रस्तावित है। First Phase में ऐसे 8 ब्लॉक की नीलामी की जायेगी।

171. खनिजों के क्षेत्र में Research and Development की दृष्टि से बीकानेर में Ceramics तथा उदयपुर में Rare Earth Elements के लिए Centres of Excellence की स्थापना की घोषणा करती हूँ। इन पर 10 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

172. अप्रधान खनिजों के उत्पादन एवं निर्गमन में Volumetric Assessment पद्धति चरणबद्ध रूप से लागू की जायेगी। इस हेतु लीजक्षेत्र की विसंगतियों के सम्बन्ध में खनन क्षेत्र का समुचित निर्धारण करने हेतु स्पष्ट मानक पद्धति लागू की जायेगी। साथ ही, इस क्रम में एकमुश्त समाधान योजना लायी जाकर देय ब्याज व शारित की छूट दी जानी प्रस्तावित है।

173. प्रदेश में परिवारों विशेष कर महिलाओं को अतिरिक्त सुविधा एवं सुरक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य के 8 नगरों जयपुर, कोटा, अलवर, जोधपुर, उदयपुर, बूंदी, अजमेर व पाली में 2 हजार किलोमीटर लम्बाई की गैस पाईपलाईन बिछाकर 1 लाख से अधिक गैस कनेक्शन्स जारी किये जायेंगे।

निवेश प्रोत्साहन हेतु अन्य बिन्दु :

174. **उद्योग विभाग—**

- I. रीको एरिया से 1 किमी की परिधि में भी Land Conversion के लिये रीको की अनापत्ति (NOC) की आवश्यकता समाप्त करने की घोषणा करती हूँ। इसके साथ ही ‘निजी औद्योगिक पार्क योजना’ भी लायी जानी प्रस्तावित है।
- II. प्रदेश में भू—संसाधन के समुचित एवं Optimum उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु Land Aggregation and Monetization

Policy लाई जायेगी। साथ ही इसे सशक्त करने के लिये Aggregation of Private Land Act लाया जाना प्रस्तावित है।

175. **राजस्व विभाग—**

- I. रीको को हस्तान्तरित औद्योगिक क्षेत्रों के भू—रूपान्तरण एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिये Transfer of Industrial Lands Validation Act लाया जायेगा।
- II. पर्यटन एवं Agro-Processing जैसे प्रोजेक्ट्स, जिनके लिये कृषि भूमि का Conversion आवश्यक नहीं है, उनके लिये निःशुल्क ऑनलाईन Deemed Conversion Order उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायेगी, जिससे निवेशकों को अपने Projects के लिये त्रैण लेने में समस्या का सामना नहीं करना पड़े।

176. **स्वायत्त शासन विभाग—** 15 मीटर की ऊँचाई तक के भवनों के Fire Safety Certificate हेतु वर्तमान में निर्धारित एकमुश्त फीस 50 रुपये प्रति वर्गमीटर को घटाकर 15 रुपये प्रति वर्गमीटर 5 वर्ष के लिये की जाती है।

177. **कृषि विभाग—** कृषि एवं Horticulture क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देने हेतु **Agro Processing Policy-2024** लाया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, इस नीति के अन्तर्गत **श्रीअन्न Promotion Agency** की स्थापना करते हुये श्रीअन्न (Millets) हेतु विशेष प्रावधान किये जायेंगे।

एमनेस्टी (Amnesty) :

178. उद्यमिता एवं निवेश को प्रोत्साहित करने के साथ ही आमजन को राहत देने के लिये एमनेस्टी योजनाओं के अन्तर्गत विभिन्न विभागों में

31 दिसम्बर, 2023 तक की शेष रही बकाया राशि 31 दिसम्बर, 2024 तक जमा करने पर निम्न अनुसार छूट दी जानी प्रस्तावित हैं –

- I. **ऊर्जा एमनेस्टी**— कटे हुए कनेक्शन वाले विद्युत उपभोक्ताओं हेतु ब्याज/शास्ति की छूट ।
- II. **उपनिवेशन क्षेत्र संबंधी एमनेस्टी**— कृषि भूमि आवंटन की बकाया किश्तों पर ब्याज की छूट ।

179. उक्त के अतिरिक्त निम्न विभागों की नवीन एमनेस्टी योजनाएं लायी जानी प्रस्तावित हैं, जिसमें 31 दिसम्बर, 2024 तक राशि जमा कराने पर निम्नानुसार छूट दी जायेगी –

- I. **VAT Amnesty** (2017 के उपरान्त Repealed Acts के प्रकरणों हेतु) –
 - (a) 10 लाख रुपये तक की माँग राशि के प्रकरणों की समस्त बकाया माफ करने की घोषणा करती हूँ ।
 - (b) अन्य प्रकरणों में बकाया राशि का श्रेणीवार 10 से 20 प्रतिशत जमा करवाने पर शेष राशि माफ की जायेगी ।
- II. **खनन एमनेस्टी**— बकाया प्रकरणों में कुल राशि का श्रेणीवार मात्र 10 से 30 प्रतिशत जमा कराने पर शेष राशि माफ की जायेगी ।
- III. **परिवहन एमनेस्टी**— 30 जून, 2024 तक के बकाया प्रकरणों में ई-रवन्ना हेतु दी जा रही प्रशमन (Compounding) राशि की छूट में प्रशमन की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपये की जायेगी ।

- IV. स्टाम्प एमनेस्टी— स्टाम्प डयूटी की माँग के प्रकरणों में ब्याज एवं Penalty की शत-प्रतिशत छूट दी जायेगी ।
- V. आबकारी एमनेस्टी— 31 मार्च, 2024 तक के बकाया प्रकरणों में श्रेणीवार ब्याज एवं मूल राशि में छूट दी जायेगी ।

संस्थागत उन्नयन :

180. राजस्व अर्जन सम्बन्धी समस्त विभागों में Efficiency बढ़ाने के साथ ही Ease of Doing Business (EoDB) को ध्यान में रखते हुये IT Enablement, Mobility Enhancement, Procedural Re-engineering एवं Systemic Restructuring सम्बन्धित कार्य किये जायेंगे, जो इस प्रकार हैं –

क्र.सं.	कार्य/विवरण
1.	पंजीयन एवं मुद्रांक— ई-पंजीयन 3.0 पोर्टल प्रारंभ कर नागरिकों, विभागीय अधिकारियों एवं अन्य सभी Stakeholders को Online Transaction करने की सुविधा दी जायेगी । साथ ही, Reference एवं अन्य Legal Procedure को भी ई-पंजीयन पोर्टल पर लाकर Automated किया जायेगा ।
2.	वाणिज्यिक कर— विभागीय कार्य की विविधता एवं कार्यभार में वृद्धि तथा करदाताओं की सुविधा के दृष्टिगत वाणिज्यिक कर विभाग का पुनर्गठन किया जाना प्रस्तावित है । साथ ही Firms का पंजीकरण ‘आधार’-आधारित Bio-Metric Authentication के माध्यम से किया जायेगा ।
3.	परिवहन— स्वच्छ एवं पारदर्शी Administration की स्थापना की दिशा में कदम बढ़ाते हुये वाणिज्यिक कर तथा आबकारी विभागों के तर्ज पर परिवहन विभाग में भी Faceless Management की व्यवस्था प्रारम्भ की जानी

	प्रस्तावित है। साथ ही वाहनों के दस्तावेजों की जांच वाहनों को रोके बिना e-Detection प्रणाली के जरिये की जायेगी।
4.	आबकारी— वर्तमान प्रशासनिक संरचना को सुदृढ़ करते हुये “एकीकृत आबकारी प्रवर्तन व निरोधक बल” का गठन किया जायेगा।
5.	खान— खनन सम्बन्धी प्रक्रियाओं को Online करते हुये ब्लॉक्स का निर्धारण GIS प्रणाली पर करना, खनिज परिवहन हेतु RFID तथा GPS Tracking का प्रावधान लागू करना तथा उत्खनन की Quantity व सम्बन्धित Penalty का निर्धारण ड्रोन सर्वे के आधार पर किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, खान विभाग में कार्य-कुशलता की दृष्टि से राजस्व अधिकारियों के पद भी सृजित किये जायेंगे।

181. इन कर-प्रस्तावों के अतिरिक्त कुछ अधिनियमों के प्रावधानों में भी संशोधन (Amendment) प्रस्तावित हैं। इन संशोधनों के संबंध में विस्तृत उद्देश्य और प्रयोजन वित्त विधेयक में वर्णित हैं।

182. इन प्रस्तुत कर-प्रस्तावों और घोषणाओं की क्रियान्विति के लिये तथा अन्य प्रयोजनार्थ इनके साथ कुछ अधिसूचनाएँ जारी की जा रही हैं।

परिवर्तित बजट अनुमान (Modified Budget Estimates) 2024–25 :

183. माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2024–25 के लिए परिवर्तित बजट अनुमानों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

1.	राजस्व प्राप्तियां	2 लाख 64 हजार 461 करोड़ 29 लाख रुपये (दो लाख चौसठ हजार चार सौ इक्सठ करोड़ उन्नीस लाख रुपये)
2.	राजस्व व्यय	2 लाख 90 हजार 219 करोड़ 40 लाख रुपये (दो लाख नब्बे हजार दो सौ उन्नीस करोड़ चालीस लाख रुपये)
3.	राजस्व घाटा	25 हजार 758 करोड़ 11 लाख रुपये (पच्चीस हजार सात सौ अठावन करोड़ ग्यारह लाख रुपये)
4.	पूंजी खाते में प्राप्तियां	2 लाख 31 हजार 148 करोड़ 5 लाख रुपये (दो लाख इकत्तीस हजार एक सौ अड़तालीस करोड़ पांच लाख रुपये)
5.	पूंजी खाते में व्यय	2 लाख 5 हजार 247 करोड़ 70 लाख रुपये (दो लाख पांच हजार दौ सौ सेंतालीस करोड़ सत्तर लाख रुपये)
6.	राजकोषीय घाटा	70 हजार 9 करोड़ 47 लाख रुपये (सत्तर हजार नौ करोड़ सेंतालीस लाख रुपये)

राजस्व घाटा (Revenue Deficit) एवं राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit):

184. वर्ष 2024–25 में राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) का 1.45 प्रतिशत एवं राजकोषीय घाटा 3.93 प्रतिशत रहने का अनुमान है। मैंने राज्य में व्यापक स्तर पर Infrastructure Development हेतु विस्तृत Road-map प्रस्तुत किया है, जिसके लिए हमने Fiscal Deficit को FRBM की अनुमत सीमा तक रखते हुए समुचित संसाधनों की व्यवस्था की है।

राज्य सकल घरेलू उत्पाद (Gross State Domestic Product -GSDP) :

185. माननीय अध्यक्ष महोदय मुझे यह बताते हुए अत्यन्त प्रसन्नता है कि हमारी सरकार के द्वारा अल्प अवधि में ही कुशल वित्तीय प्रबंधन के साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के फलस्वरूप गत सरकार के कार्यकाल में दिसम्बर, 2023 तक GSDP की वृद्धि दर जो कि 11.58 प्रतिशत थी वह मार्च, 2024 में बढ़कर 12.56 प्रतिशत हो गई है। इसी प्रकार सदन में लेखानुदान प्रस्तुत करते समय वर्ष 2024–25 के लिये अनुमानित GSDP भी 17 लाख 1 हजार 843 करोड़ रुपये (सत्रह लाख एक हजार आठ सौ तियालीस करोड़ रुपये) से बढ़कर 17 लाख 81 हजार 78 करोड़ रुपये (सत्रह लाख इक्यासी हजार अठहत्तर करोड़ रुपये) होना अपेक्षित है।

ऋण तथा अन्य दायित्व (Debt and other Liabilities):

186. Fiscal Consolidation Path हमारी प्राथमिकता है। इसी कारण वर्ष 2024–25 में राज्य का कुल ऋण एवं अन्य दायित्व GSDP का 35.97 प्रतिशत रहना अनुमानित है जो कि FRBM द्वारा निर्धारित सीमा 38.20 प्रतिशत से कम होने के साथ ही यह गत वर्ष के 37.34 प्रतिशत से भी कम है।

मार्गोपाय अग्रिम (Ways and Means Advance) एवं विशेष आहरण सुविधा (Special Drawing Facility) के द्वारा कुशल राजकोषीय प्रबंधन :

187. हमारे द्वारा दायित्वों के समयबद्ध निर्वहन (time bound discharge) एवं Fund Flow/ Liquidity को कुशलता से manage करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में मार्गोपाय अग्रिम (WMA) एवं विशेष आहरण सुविधा (SDF) के द्वारा राजकोषीय प्रबंधन के फलस्वरूप राज्य को चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 में लगभग 150 करोड़ रुपये (एक सौ पचास करोड़ रुपये) की बचत संभव हो सकेगी।

पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure):

188. राज्य का पूंजीगत व्यय जो वर्ष 2023–24 में 26 हजार 646 करोड़ रुपये (छब्बीस हजार छः सौ छियालीस करोड़ रुपये) था उसे 65.94 प्रतिशत बढ़ाकर वर्ष 2024–25 में 44 हजार 216 करोड़ रुपये (चवालीस हजार दौ सौ सोलह करोड़ रुपये) का प्रावधान रखा गया है।

कृषि बजट (Agriculture Budget):

189. कृषि बजट के अन्तर्गत कृषि विकास एवं कृषकों के कल्याण हेतु Budgetary and Extra Budgetary प्रावधानों को योजनावार एवं बजट मदवार विस्तृत रूप से बजट संबंधी सारगर्भित विवरण भाग—III में सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। कृषि बजट के अन्तर्गत वर्ष 2024–25 में समेकित निधि (Consolidated Fund), राज्य की स्वायत्तशाषी, सहकारी एवं अन्य संस्थाओं के स्वयं के संसाधनों सहित कुल राशि 96 हजार 787 करोड़ 27 लाख रुपये (छियानवें हजार सात सौ सत्यासी करोड़ सत्ताईस लाख रुपये) का कृषि विकास एवं कृषकों के कल्याण हेतु प्रावधान किया गया है। कृषि बजट में से राशि 52 हजार 270 करोड़ 12 लाख रुपये (बावन हजार दो सौ सत्तर करोड़ बारह लाख रुपये) समेकित निधि से व्यय की जानी प्रस्तावित है।

राज्य के समावेशी एवं संतुलित विकास हेतु Alternate Funding Mechanism :

190. हमारे द्वारा राज्य के राजकीय उपक्रमों के Efficient Resource Mobilization हेतु भारत सरकार द्वारा किये गये सुधारों एवं दिशा—निर्देशों के अनुसरण में वित्तीय स्रोतों को leverage कर alternate/innovative

financing की व्यवस्था की है, फलस्वरूप न केवल operational efficiency में सुधार हुआ है अपितु financial turnaround भी सुनिश्चित हुआ है। इसके अन्तर्गत –

I. **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य –**

राज्य में Health Infrastructure के विकास के साथ ही नवीन मेडिकल कॉलेजों की स्थापना एवं संचालित मेडिकल कॉलेजों की operational efficiency में सुधार करने के लिये आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था Rajasthan Medical Education Society (RajMES) एवं Rajasthan Medical Service Corporation (RMSCL) के स्वयं के राजस्व को leverage कर की जा रही है।

II. **जल प्रबंधन –**

केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन तथा प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण ERCP परियोजना का क्रियान्वयन जल प्रदाय तथा सीवरेज निगम (RWSSC) व ERCP Corporation के माध्यम से करने के साथ ही विभिन्न जलदाय योजनाओं के Operation एवं Maintenance का कार्य भी चरणबद्ध रूप से इन Special Purpose Vehicles (SPVs) को हस्तान्तरित किया जाना प्रस्तावित है।

191. यह भी उल्लेखनीय है कि, भारत सरकार द्वारा Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment के तहत user charges reforms हेतु incentive प्रदान किये गये हैं। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा किये गये Fiscal Reforms की उपादेयता एवं सफलता को दृष्टिगत रखते हुये हम आने वाले समय में भी futuristic approach के साथ effective and efficient

public service delivery हेतु अन्य PSUs उदाहरणस्वरूप— RSRTC, JCTSL एवं RTDC आदि को भी Alternate Funding Mechanism के द्वारा funds उपलब्ध कराकर इनकी operational efficiency को सुधारेंगे तथा इन्हें self reliant बनायेंगे।

192. अब मैं, वर्ष 2024–25 का परिवर्तित वार्षिक वित्तीय विवरण विधानसभा के पटल पर रख रही हूँ। साथ ही, राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (Rajasthan Fiscal Responsibility And Budget Management Act, 2005) की अपेक्षानुसार मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण (Medium Term Fiscal Policy Statement), राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण (Fiscal Policy Strategy Statement) एवं प्रकटीकरण विवरण (Disclosure Statement) मैं सभा पटल पर रख रही हूँ। अन्य बजट पत्रों के साथ अनुदान की मांगें भी प्रस्तुत की जा रही हैं।

193. मैं, प्रदेश की जनता को भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की रचना उद्धृत करते हुए माननीय सदन के माध्यम से आश्वस्त करना चाहूँगी कि हम प्रदेश को विकास और खुशहाली के पथ पर निरन्तर आगे लेकर जायेंगे—

“दूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर,
पत्थर की छाती में उग आया नव अंकुर,
झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात,
प्राची में अरूणिमा की रेख देख पाता हूँ।
गीत नया गाता हूँ।

दूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी,
अन्तर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी,
हार नहीं मानूँगा, रार नई ठानूँगा,
काल के कपाल पर लिखता – मिटाता हूँ।
गीत नया गाता हूँ।”

इन्हीं भावनाओं के साथ मैं बजट प्रस्तावों को स्वीकृत करने की संस्तुति के साथ माननीय सदन के विचारार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करती हूँ।

—: जयहिन्द :—